


वार्षिक रिपोर्ट 2011-12



दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट 2011-12



दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

अनुक्रमणिका

I.	भारतीय दूरसंचार क्षेत्र : सिंहावलोकन	1-13
II.	दूरसंचार आयोग	15
III.	दूरसंचार विभाग	17-30
III. 1.	बेतार आयोजना एवं समन्वय	31-41
III. 2.	दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र	42-44
III. 3.	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	45-48
III. 4.	संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय	49-53
III. 5.	सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप	54-55
III. 6.	दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन एवं अनुवीक्षण (टीईआरएम)	56-59
III. 7.	महिला सशक्तिकरण	60-62
III. 8.	निःशक्त व्यक्ति	63-65
III. 9.	नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	66-71
IV.	भारतीय दूरसंचार विनियाम प्राधिकरण (टीआरएआई)	73-77
V.	दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण	79-80
VI.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा संबंधी टिप्पणियां	81-83
VII.	टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र	85-89
VIII.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	91
VIII. 1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	93-105
VIII. 2.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	107-119
VIII. 3.	आईटीआई लिमिटेड	121-126
VIII. 4.	टेलीकम्प्युनिकेशंस कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	127-130
IX.	सांख्यिकीय परिशिष्ट	131-137
X.	ग्राफ एवं चार्ट	139-146
	परिवर्णी शब्द	147-150
	संगठनात्क चार्ट	151



I. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र : सिंहावलोकन

विकास प्रक्रिया में दूरसंचार क्षेत्र की भूमिका


दूरसंचार को विश्वभर में आम जनता के सशक्तिकरण के माध्यम से विकास तथा निर्धनता में कमी के एक सशक्त साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। यह विकास तथा निर्धनता में कमी, रोजगार सृजन, जेन्डर इक्विटी, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा समाज के कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण के क्षेत्रों में "समावेशी तथा सतत" विकास के मुख्य स्तम्भों में से एक है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र पिछले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्य वाहक के रूप में उभरा है क्योंकि देश में बेतार क्षेत्र में भारी वृद्धि परिलक्षित हुई है। इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड के विस्तार में भी सुधार हुआ है। भारत सरकार ने ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के सृजन संबंधी परियोजना को अनुमोदित किया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति जिसे विभिन्न स्टेकधारकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है, इस क्षेत्र के तीव्र तथा संतुलित विकास की दिशा में एक अग्रणी कदम है।

दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा स्थिति

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ने चालू वर्ष के दौरान प्रभावशाली वृद्धि दर को बनाए रखा है। दिसंबर, 2011 के अंत में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के पास 926.55 मिलियन कनेक्शन हैं तथा 893.86 मिलियन बेतार कनेक्शन हैं। भारतीय दूरसंचार चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया है। एक बिलियन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लेने योग्य प्रतीत होता है। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के विस्तार में भी देशभर में 20.99 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ताओं तथा 13.30 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के साथ सुधार परिलक्षित हुआ है। हमारे देश में दूरसंचार का भावी विकास बहुत उत्साहवर्द्धक है क्योंकि प्रचालकों के देश में बेतार ब्रॉडबैंड नेटवर्कों का विस्तार आरंभ कर दिया है और बहुत जल्द ये सेवाएं पूरे देश में उपलब्ध हो जाएंगी। दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा स्थिति निम्नलिखित बॉक्स-1 में दी गई है :

बॉक्स 1 : दूरसंचार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति (31.12.2011 की स्थिति के अनुसार)

- भारतीय दूरसंचार बाजार विश्व में सर्वाधिक तेजी से उभरता हुआ बाजार है।
- 926.55 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों से युक्त भारतीय दूरसंचार विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है।
- यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बेतार नेटवर्क भी है।
- देश 1 बिलियन टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने की ओर उन्मुख है।
- बेतार प्रौद्योगिकी अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। बेतार टेलीफोनों का कुल फोनों में हिस्सा 96.47% है।
- कुल फोनों में निजी क्षेत्र का हिस्सा 86.09% है।
- समग्र टेलीघनत्व बढ़कर 76.86% हो गया है। शहरी टेलीघनत्व 167.46% है जबकि ग्रामीण टेली-घनत्व 37.52% है जो लगातार बढ़ रहा है।
- ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 13.30 मिलियन हो गई।



दूरसंचार क्षेत्र का विकास

दूरसंचार क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने से न केवल इस क्षेत्र का तीव्र विकास हुआ है बल्कि निर्बाध प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप निम्न प्रशुल्कों के माध्यम से इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचा है। दूरसंचार क्षेत्र में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1999 में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या मात्र 22.81 मिलियन थी जो मार्च, 2011 के अंत तक बढ़कर 846.33 मिलियन पर पहुंच चुकी है। 31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 926.55 मिलियन है जो अप्रैल से दिसंबर, 2011 की अवधि के दौरान टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में 80.22 मिलियन की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि में वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों का योगदान रहा है क्योंकि वायरलेस कनेक्शनों की संख्या वर्ष 2007 के 165.09 मिलियन से बढ़कर मार्च 2011 में 811.60 मिलियन और 31 दिसंबर, 2011 को 893.86 मिलियन हो गई है। तथापि वायरलाइन कनेक्शनों की संख्या वर्ष 2007 में 41 मिलियन से घटकर मार्च, 2011 में 34.73 मिलियन और दिसंबर, 2011 में 32.69 मिलियन हो गई है (सारणी-1)

सारणी 1 : पिछले वर्षों में टेलीफोन की वृद्धि

(मिलियन में)



	मार्च, 07	मार्च, 08	मार्च, 09	मार्च, 10	मार्च, 11	दिसम्बर 11
स्थिर लाइन वायरलेस	40.77	39.41	37.97	36.96	34.73	32.69
सकल योग	205.87	300.49	429.73	621.28	846.33	926.55
वार्षिक वृद्धि (%)	44.88%	45.96%	43.01%	44.58%	36.22%	9.48%

दूरसंचार क्षेत्र के गठन की संरचना में परिवर्तन

वायरलाइन बनाम वायरलेस

2007 से वायरलेस उपभोक्ताओं की 42.7% प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ वायरलेस सेवाओं में मूलभूत रूप से वृद्धि हुई है। वायरलेस सेवा वायरलाइन से आगे निकल गई है। वायरलेस फोनों की हिस्सेदारी वर्ष 2007 के 80.19 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर, 2011 में 96.47 प्रतिशत हो गयी है।


स्थिर वायरलाइन की हिस्सेदारी इसके विपरीत तेजी से घटकर 2007 में 19.81% से दिसंबर, 11 में 3.53% हो गई है। वायरलेस फोनों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि उनकी सुविधा और शुल्क वहनीयता के कारण ये पसंद किये जाते हैं। इसी के परिणामस्वरूप टेलीफोन आज आम लोगों की पहुंच के दायरे में है।





निजी बनाम सार्वजनिक



सरकार का उदारीकरण प्रयास निजी क्षेत्र की बढ़ रही हिस्सेदारी का प्रमाण है। आज दूरसंचार क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र भूमिका निभा रहा है। दिसंबर, 2011 के लिए उपलब्ध नवीनतम सांख्यिकी के अनुसार निजी क्षेत्र के कुल टेलीफोन कनेक्शनों की हिस्सेदारी अब 86.09% है जबकि मार्च, 1999 के अंत में यह नगण्य अर्थात मात्र 5.35% थी।



टेलीघनत्व में रुझान

टेलीघनत्व देश में दूरसंचार के प्रसार का एक महत्वपूर्ण सूचक है। नई वायरलैस प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ-साथ देश में टेलीघनत्व की वृद्धि में असाधारण तेजी आई है।

- मार्च, 2007 में जो टेलीघनत्व 18.22 % था वह मार्च, 2011 में बढ़कर 70.89% हो गया और दिसंबर, 2011 में 76.86% हो गया। इस प्रकार देश के समग्र टेलीघनत्व में सतत रूप से वृद्धि हुई है।
- ग्रामीण टेलीघनत्व जो मार्च, 2007 में 5.89 % था वह मार्च, 2011 में बढ़कर 33.83% हो गया और दिसंबर, 2011 की समाप्ति तक 37.52% हो गया।
- शहरी टेलीघनत्व जो मार्च, 2007 में 48.10% था वह मार्च, 2011 में बढ़कर 156.94% हो गया और दिसंबर, 2011 की समाप्ति तक यह 167.46% हो गया है।



ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ग्रामीण टेलीघनत्व में तेजी से वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस फोनों की शुरुआत होने से ग्रामीण टेलीघनत्व में रूझान बढ़ रहा है। सरकार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के लिए यूएसओ निधि के अंतर्गत अनेक उपाय कर रही है। क्योंकि शहरी क्षेत्र में इन सुविधाओं की भरमार है, निजी सेवा प्रदाता भी ग्रामीण क्षेत्रों में और अवसरों की तलाश कर रहे हैं। हाल ही में इन सभी तथ्यों ने ग्रामीण टेली-घनत्व में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है।

ग्रामीण टेलीफोनों पर ध्यान केन्द्रित करना

ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या मार्च 2007 में 47.10 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2011 में 282.29 मिलियन हो गई और दिसंबर, 2011 तक 315.39 मिलियन तक पहुंच गई। कुल टेलीफोन कनेक्शनों में उनकी हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है जो वर्ष 2007 में 22.88% से बढ़कर दिसंबर, 2011 तक 34.04% हो गया। कुल ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों में वायरलेस यानि मोबाइल कनेक्शनों ने भी अपना पर्याप्त योगदान दिया है। उनका योगदान मार्च, 2007 से 73.33% था जो मार्च, 2011 में बढ़कर 96.90% हो गया और दिसंबर, 2011 में 97.33% हो गया। वर्ष 2011-12 के दौरान (दिसंबर तक) ग्रामीण टेलीफोनों की वृद्धि दर 11.73% थी जबकि इसके मुकाबले में शहरी टेलीफोनों की वृद्धि दर 8.35% रही। निजी क्षेत्र ने भी ग्रामीण टेलीफोनों की वृद्धि में अपना योगदान दिया है जो कि वर्ष 2007 में 51.87% से बढ़कर दिसंबर, 2011 में 86.78% हो गई थी। ग्रामीण कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के लिए यूएसओएफ द्वारा किए गए उपाय बॉक्स -2 में दिए गए हैं:-




बॉक्स-2 : ग्रामीण कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के लिए यूएसओएफ द्वारा किए गए उपाय

- दिसंबर, 2011 तक देश के 11,5.76 लाख (97.11%) गांवों को ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधा से कवर किया गया।
- दिनांक 01.04.2002 से पूर्व स्थापित किए गए कुल 184775 मल्टी एक्सेस रेडियो रिले(एमएआरआर) आधारित वीपीटी के स्थान पर दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार उन्नत विश्वसनीय प्रौद्योगिकियों से युक्त वीपीटी लगाए गए हैं।
- अवसंरचना साझेदारी स्कीम के अंतर्गत देश के 27 राज्यों के 500 जिलों में 7353 टॉवरों को लगाए जाने के लक्ष्य में 31 दिसंबर, 2011 तक 7296 टॉवर अर्थात् 99.22% टॉवर लगाए जा चुके हैं।

ब्रॉडबैंड

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को विकसित सामाजिक-आर्थिक निष्पादन के बढ़ते हुए एक संपूर्ण वाहक के रूप में देखा जा रहा है। भारत सरकार इसमें दृढ़ विश्वास रखती है कि भारत सरकार के सभी नागरिकों को ब्रॉडबैंड और रूपांतरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो। ब्रॉडबैंड सेवाओं से आम जनता सशक्त बनती है। ये सेवाएं व्यक्तियों को नए करियर और शैक्षणिक अवसरों तक पहुंचने का मौका देती हैं। ये व्यापार गतिविधियों को नए बाजारों तक पहुंचने और उन्हें दक्ष बनने का अवसर देती हैं और ये सेवाएं सभी नागरिकों को अति महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, बैंकिंग और वाणिज्य प्रदान करने के लिए सरकार को और अधिक सक्षम बनाती हैं।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के प्रावधान से "डिजिटल अंतराल" को पाटने में भी मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड को व्यापक स्तर पर अपनाने से लंबे समय बाद बहुस्तरीय प्रभाव पड़ेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादनशीलता में सुधार होगा, अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना की बाधिताओं को दूर करने में मदद मिलेगी और समग्र रूप से इससे ग्रामीण





क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। पर्याप्त आर्थिक और सामाजिक लाभ देते हुए वहनीय दामों पर ब्रॉडबैंड की अभिगम्यता को विस्तार देना सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता बन गई है। एक सुदृढ़ ब्रॉडबैंड ईको पद्धति का विकास सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक कुंजी का काम करेगा। यह ज्ञात तथ्य है कि अभिगम नेटवर्क में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए बेतार, सबसे तेज़ और सबसे दक्ष माध्यम है। ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सृजन के लिए एक परियोजना को अनुमोदित किया है ताकि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। गत वर्ष में हुई 3जी और बीडब्ल्यूए की नीलामियों से आशा की जाती है कि ये भारत के अति दूरस्थ हिस्सों में भी इंटरनेट अभिगम्यता प्रदान करने में एक उत्प्रेरक का काम करेंगी। भारतीय दूरसंचार बाजार "सूचना क्रांति" के शिखर पर है। देश में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों की घोषणा की गई है और इन्हें क्रियान्वित किया गया है (बॉक्स 3)। इन उपायों के परिणामस्वरूप ब्रॉडबैंड उपभोक्ता वर्ष 2005 में 0.18 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2011 में 11.87 मिलियन और दिसंबर, 2011 के अंत में 13.30 मिलियन हो गए हैं।

बॉक्स-3 : ग्रामीण ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए यूएसओएफ

- देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 20,000 करोड़ ₹ के खर्चों पर राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) द्वारा जोड़ा जाएगा। एनओएफएन 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी होनी प्रस्तावित है।
- वर्ष 2014 तक, व्यक्तियों और सरकारी संस्थाओं को 888832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने और 28672 कियोस्क स्थापित करने की स्कीम है। संस्थान प्रयोक्ताओं जैसे कि ग्राम पंचायतों, उच्च माध्यमिक विद्यालय और जन स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड प्रदान किया जाएगा। 31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में 338617 ब्रॉडबैंड कनेक्शन और 6729 कियोस्क प्रदान किए गए हैं।
- बेतार ब्रॉडबैंड सक्रिय अवसंरचना जैसे कि बीटीएस जो लगभग 5 लाख गांवों को 512 केबीपीएस की गति से ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करेगा, के लिए सब्सिडी का प्रस्ताव।
- वॉयस और डाटा परियात को एकीकृत करने के लिए पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता प्रदान करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए स्कीम की शुरुआत।




भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह नई दिल्ली में "इंडिया टेलीकॉम 2011" के अवसर पर संबोधित करते हुए ।



भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह इंडिया टेलीकॉम 2011 के अवसर पर माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री कपिल सिब्बल से स्मारक चिह्न प्राप्त करते हुए ।



माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री कपिल सिबल के साथ माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री सचिन पायलट, घिंटोरनी नई दिल्ली में राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान के शिलान्यास समारोह में ।



माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री कपिल सिबल और माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री सचिन पायलट तथा दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी 5 जुलाई, 2011 को नई दिल्ली में दूरसंचार के उपभोक्ता प्रयोक्ता समूहों के साथ गोलमेज सम्मेलन में ।



विकास के नये क्षेत्र 3जी और बीडब्ल्यूए सेवाएं

भारत में मोबाइल क्षेत्र में हुआ सराहनीय विकास अभी ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में नहीं हुआ है। जबकि गत कुछ वर्षों को मोबाइल क्रांति के रूप में देखा गया, अगले कुछ वर्ष ब्रॉडबैंड और मोबाइल मूल्य वृद्धि सेवा (एमवीएएस) के क्षेत्र में और अधिक उत्साहवर्द्धक प्रतीत हो रहे हैं। वॉयस सेवाओं में मजबूत विकास के दो दशकों के पश्चात् डाटा सेवाएं भारतीय दूरसंचार बाजार-वायर लाइन और वायरलेस सेगमेंट दोनों के लिए-में विकास के लिए अगली उत्प्रेरक होंगी। आशा है कि 3जी और बीडब्ल्यूए संस्थापना के साथ डाटा के उपयोग में तेजी से वृद्धि होगी। आई फोनों जैसे स्मार्ट मोबाइल उपकरणों के बढ़ते उपयोग से भी डाटा उपयोग में वृद्धि को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

मूल्य वृद्धि सेवाएं (वीएएस)

मोबाइल-बैंकिंग, मोबाइल-एजुकेशन, मोबाइल-गवर्नेंस, मोबाइल-हेल्थ, मोबाइल-एग्रीकल्चर आदि जैसी मोबाइल मूल्य-वृद्धि सेवाओं ने वायरलेस उपभोक्ता आधार में तीव्र वृद्धि के कारण हाल के समय में अत्यंत महत्व हासिल कर लिया है। परिणामस्वरूप, मोबाइल फोन सूचना सेवाओं को डिजीलिवर करने के एक आकर्षक माध्यम में परिवर्तित हो गए हैं जिसका विस्तार शासन, वाणिज्य, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न उपयोग क्षेत्रों तक है। इस तरह मोबाइल-पावरिंग सुविधाजनक सेवाओं की पेशकश कर समाज के सभी स्तरों में सशक्तिकरण लाने में सहायक भूमिका अदा कर रहा है।

विनिर्माण

गत दशक में दूरसंचार क्षेत्र में हुई त्वरित वृद्धि के फलस्वरूप दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण और अन्य सहायक उद्योगों का विकास हुआ है। अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के आगमन और आपरेटर्स द्वारा 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम सेवाओं के विस्तार की ओर रुख करने से, दूरसंचार उपस्करों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। इस अवसर का लाभ उठाने के प्रयास में सरकार घरेलू विनिर्माण उद्योग का विकास करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। भारतीय उपस्कर विनिर्माण क्षेत्र ने गत कुछ वर्षों में लम्बा रास्ता तय किया है। एक आयात-केन्द्रित उद्योग होने से लेकर धीरे-धीरे परंतु सतत रूप से यह एक वैश्विक दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण केन्द्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2002-03 में भारत में 144000 मिलियन रूपए मूल्य के दूरसंचार उपस्करों का उत्पादन हुआ, 2010-11 में बढ़कर यह 520000 मिलियन रूपया हो गया, जिससे 265 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

देश न केवल एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में उभर रहा है बल्कि यह अपना दूरसंचार निर्यात बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। वर्ष 2006-07 में भारत ने 18980 मिलियन मूल्य के उपस्करों का निर्यात किया जो 2010-11 में 730 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 158380 मिलियन रूपए का हो गया।





विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

आज दूरसंचार सेवाओं और कम्प्यूटर साफ्टवेयर सेक्टर के पश्चात् विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को आकर्षित करने वाला तीसरा प्रमुख सेक्टर है। इस समय विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए 74% से 100% तक एफडीआई की अनुमति है। इससे दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सहायता मिली है। दूरसंचार सेक्टर में कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 2011-12 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान 12456 मिलियन अमरीकी डालर रहा है।

विनियामक ढांचा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई दूरसंचार नीति 1999 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदा ही बेहतर गुणवत्ता और वहनीय कीमतों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। 2011-12 के दौरान ट्राई द्वारा अनेक सिफारिशों की गईं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण नीति, ग्रीन टेलीकॉम, दूरसंचार अवसंरचना नीति पर सिफारिशें शामिल हैं। ट्राई ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता तरजीह विनियम में 7वां और 8वां संशोधन भी किया जिनमें उपभोक्ताओं को अवांछित एसएमएस भेजने पर रोक लगाने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में प्रतिदिन प्रति सिम व्यक्तिगत एसएमएस सीमा 100 एसएमएस निर्धारित की गई जिसे बाद में बढ़ाकर 200 एसएमएस कर दिया गया।

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की दृष्टि से, ट्राई ने मापन की विशुद्धता और बिलिंग की विश्वसनीयता आदि के संबंध में एकरूपता और पारदर्शिता लाने, इनके लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए मीटरिंग और बिलिंग की लेखा परीक्षा कराए जाने के संबंध में कदम उठाए हैं। सेवा प्रदाताओं को प्रतिवर्ष ट्राई को लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और उसके साथ सेवा प्रदाताओं द्वारा उनकी कमियों के संबंध में की गई सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, ट्राई ने उपभोक्ताओं को शिक्षित करने की दिशा में अनेक कार्यक्रमलाप शुरू किए हैं।

ट्राई ने तिमाही आधार पर बुनियादी और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के निष्पादन की और इसके अतिरिक्त मासिक रिपोर्टों के माध्यम से प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) की मानीटरिंग करके सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय भी किए हैं।

आशा है कि उपर्युक्त उपायों से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किए जाने के अलावा स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिए जाने और निवेश दक्षता में वृद्धि के द्वारा दूरसंचार क्षेत्र का सुगमतापूर्वक सुव्यवस्थित विकास होगा।

अनुसंधान और विकास

दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसायटी, सी-डॉट दूरसंचार में राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों-उपग्रह संचार, आईएन, एटीएम, डीडब्ल्यूडीएम, एनएमएस, वायरलेस ब्रॉडबैंड जीपीओएन, एनजीएन और मोबाइल सेल्यूलर प्रणालियों- में अनुसंधान और विकास का कार्य कर रहा है। भारतीय नौसेना के पोतों में जहाज पर संचार के लिए उपयोग की बाबत सी-डॉट की एटीएम प्रौद्योगिकी को अधिदेशित किया गया है। आशा है कि जीपीओएन ग्रामीण भारत तक ब्रॉडबैंड पाइप लाने में अग्रणी भूमिका अदा करेगा। एसजी-आरएन उत्पाद, जो सक्रिय जीएसएम अवसंरचना के साझा उपयोग पर आधारित है, ग्रामीण बाजार में वहनीय मोबाइल टेलीफोनी प्रदान करेगा। सी-डॉट के एमएएक्स/आरएएक्स उपभोक्ताओं को वीओआईपी और ब्रॉडबैंड अभिगम्यता के साथ एमएएक्स-एनजी से पीओटीएस (प्लेन ओल्ड टेलीफोनी सर्विस) में नई विशेषताएं लाकर देश की फिक्स्ड लाइन अवसंरचना में नई जान आएगी।



सी-डॉट दूरसंचार सॉफ्टवेयर समाधानों को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में भी सक्रिय रहा है। सी-डॉट के अंब्रेला एनएमएस (नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली) समाधान के कारण बहुत से वेंडरों से संघटकों को शामिल करके नेटवर्क प्रबंधन संभव हुआ है। सी-डॉट का डेटा क्लियरिंग हाउस समाधान बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच रोमिंग रिकार्ड के समाधान हेतु वाणिज्यिक दृष्टि से शुरू किया गया है और यह बाजार के प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना कर रहा है।

सी-डॉट को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं जैसे कि दूरसंचार सुरक्षा हेतु केंद्रीय मानीटरन प्रणाली और सामरिक उपयोग हेतु सुरक्षा नेटवर्क का काम सौंपा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम


दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। ये हैं :

- (i) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)
- (ii) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)
- (iii) आईटीआई लिमिटेड
- (iv) टेलीकम्युनिकेशंस कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)

एमटीएनएल और बीएसएनएल विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो प्रमुख उपक्रम हैं जिनका टेलीफोनो एवं अन्य संबंधित सेवाओं की बढ़ती अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु काफी योगदान रहा है। वर्ष 1986 में गठित एमटीएनएल भारत सरकार का एक नवरत्न दर्जे का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे भारत के प्रमुख महानगरों-दिल्ली एवं मुंबई में दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए स्थापित किया गया था। एमटीएनएल के ग्राहकों की संख्या दिसंबर, 2011 के अंत में 9 मिलियन हो गई है। एमटीएनएल ने अपने उपभोक्ताओं के बीच 3जी सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने सभी जीएसएम मोबाइल उपभोक्ताओं को 3जी सेवाओं की अभिगम्यता की अनुमति दे दी है। दिसंबर, 2011 के अंत तक कंपनी में ब्राडबैंड ग्राहकों की संख्या 10 लाख है। एमटीएनएल अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर तीन प्रकार की सेवाएं अर्थात् वॉयस, उच्चगति इंटरनेट और आईपीटीवी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। फिलहाल, भारत सरकार का कंपनी में 56.25% स्टैक है। कंपनी बढ़ती हुई कर्मचारी लागत के अतिरिक्त बाजार की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है और साथ ही हानि भी उठाता रहा है। इसे वर्ष 2009-10 में 2611 करोड़ रु० की हानि हुई थी जो वर्ष 2010-11 में बढ़कर 2802 करोड़ रु० हो गई है।

बीएसएनएल, जिसका गठन अक्टूबर, 2000 में हुआ था, भारत में दूरसंचार सेवाओं का व्यापक रेंज उपलब्ध कराता है जिनमें वायरलाइन, सीडीएमए वायरलेस, जीएसएम वायरलेस, इंटरनेट, ब्राडबैंड, वाहक सेवा, एमपीएलएस-वीपीएन, वीएसएटी, वीओआईपी सेवाएं, आईएन सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार 97 मिलियन बेतार ग्राहकों (सीडीएमए और जीएसएम ग्राहकों को मिलाकर) सहित 120 मिलियन उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बीएसएनएल ग्रामीण टेलीफोनी पर विशेष ध्यान दे रहा है। दिसंबर, 11 के अंत तक इसने 6 लाख गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनो (वीपीटी) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 416 लाख टेलीफोन उपलब्ध कराए हैं। बीएसएनएल पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास पर विशेष बल दे रहा है। बीएसएनएल ने जनवरी, 2005 से ब्रॉडबैंड सेवाएं आरंभ कर दी है तथा इसने दिसंबर, 2011 तक 86 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध करा दिए हैं। कंपनी को 2010-11 में 6384 करोड़ रु० की हानि हुई थी जबकि पिछले वर्ष यह राशि 1823 करोड़ रु० थी।

आईटीआई लिमिटेड 1948 से दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख उपक्रम है। छह स्थानों पर अत्याधुनिक विनिर्माणकारी सुविधाओं तथा देशव्यापी विपणन नेटवर्क/सेवा केन्द्रों के साथ यह कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी रेंज तथा सम्पूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है जिसमें स्विचन, पारेषण, अभिगम्यता और उपभोक्ता परिसर उपकरण का पूरा



स्पेक्ट्रम शामिल है। आईटीआई विशाकर भारतीय थल सेना सुरक्षित नेटवर्क के लिए समाधान उपलब्ध करा रहा है। कंपनी को वर्ष 2009-10 में 459 करोड़ ₹ की हानि हुई जबकि वर्ष 2010-11 में हानि 358 करोड़ रुपए की हुई थी।

टेलीकम्यूनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की स्थापना वर्ष 1978 में 10 लाख ₹ की सरकारी इक्विटी से की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, उपयुक्त विपणन कार्यनीति विकसित करके विदेशी और घरेलू बाजारों में प्रचालन में उत्कृष्टता हासिल करना, निरंतर आधार पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रापण तथा नेतृत्व को बनाए रखना था। टीसीआईएल भारत सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूची "क" के लघु रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी को वर्ष 2010-11 के दौरान 163.50 करोड़ ₹ का लाभ हुआ जबकि वर्ष 2009-10 के दौरान 197.40 करोड़ ₹ का लाभ हुआ था।

प्रमुख नीतिगत पहलें

सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति लाने के प्रस्ताव से संबंधित दो प्रमुख नीतिगत पहलें की गई हैं।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) द्वारा ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी :

सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ ₹ की लागत से सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए नवंबर, 2011 में परियोजना को अनुमोदित किया। इसके अंतर्गत मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पंचायतों तक बढ़ाने की योजना है। इससे नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास नेटवर्क उपलब्ध रहेगा। यह नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में वॉयस, डाटा और वीडियो के पारेषण के लिए उच्च मार्ग प्रदान करेगा। इससे 2एमबीपीएस तक की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकेगी। जो कि लोगों और व्यवसायों को ई-स्वास्थ्य, ई-मनोरंजन, ई-वाणिज्य, ई-गवर्नेंस इत्यादि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, छात्र, उद्यमी, ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के तहत सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न सरकारी विभाग इससे लाभान्वित होंगे। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), स्कूल इत्यादि जैसे विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं को कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न सेवाएं प्रदान करने और ब्रॉडबैंड संबंधी दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण दोनों के लिए निजी क्षेत्र की ओर से निवेश भी होगा। यह परियोजना सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा वित्त पोषित होगी। इस परियोजना को विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठित कंपनी (एसपीवी) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा जो कि भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित की गई कंपनी होगी और जो प्रारंभ में, सरकार और इच्छुक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (सीपीएसयू) (बीएसएनएल, रेलटेल, पावरग्रिड, गेलटेल, इत्यादि) की इक्विटी भागीदारी के साथ पूर्णतः सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी होगी।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) विभिन्न स्टैकहोल्डरों से परामर्श के लिए 10.10.2011 को जारी की गई एनटीपी-2011 का उद्देश्य भारत की जनता को किसी भी समय, कहीं भी सुरक्षित, विश्वसनीय, वहनीय और उच्च गुणवत्ता वाली कन्वर्ज्ड दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। इसके साथ ही एनटीपी-2011 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- भारत के सभी नागरिकों को विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली, वहनीय वॉयस टेलीफोनी और उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना।



- सुपुर्दगी की गति में वृद्धि करके ब्रॉडबैंड एक्सपीरियेंस में सुधार लाना।
- दूरसंचार उपस्कर सहित सभी इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए भारत को एक विश्व स्तर पर विनिर्माण केंद्र बनाना तथा देश के भीतर इन उपकरणों को पर्याप्त मूल्ययोजित बनाना एवं देश के सुरक्षा संबंधी पहलुओं के संबंध में रक्षोपाय करना।
- लाइसेंस व्यवस्था को सरल और युक्तियुक्त बनाना तथा स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए पारदर्शी प्रणाली को अपनाना तथा स्पेक्ट्रम के दक्ष उपयोग को बढ़ावा देना।
- बाजार संबंधी प्रक्रियाओं के जरिए स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारित करना।
- एक राष्ट्र - पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लक्ष्य प्राप्त करना।
- संपूर्ण देश में निशुल्क रोमिंग की सुविधा प्रदान करना।
- नागरिकों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, मनोरंजन, बैंकिंग और बीमा सेवाएं, कौशल उन्नयन, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्यार्थ मोबाइल फोनों की पूर्ण कार्य-क्षमता का उपयोग करना।
- किफायती मोबाइल उपकरणों के देशी विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विश्वसनीय ब्रॉडबैंड और उच्च स्पीड के तीव्र रॉल आउट से अभिशासन के विकेन्द्रीकरण, लोकतंत्र में भागीदारी तथा देश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी। विनिर्माण में तेजी से उद्यमशीलता में बढ़ोत्तरी, नौकरी के अधिक अवसरों का सृजन, आयात में कमी तथा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। स्पेक्ट्रम जैसे दुर्लभ संसाधनों के कुशल उपयोग से उपभोक्ताओं को वहनीय लागत पर सेवा की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होगी।
- नई नीति व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता/नागरिक, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, मूल्यवर्द्धित सेवा प्रदाताओं, सरकार और विनिर्माताओं सभी को लाभ होगा।

विभाग को विभिन्न स्टेकधारकों के विचार/टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। नई दूरसंचार नीति को अंतिम रूप दिए जाने के लिए इन पर विचार किया जा रहा है।

भावी विकास की नीति

देश में दूरसंचार क्षेत्र सरकारी एकाधिकार से बहु दूरसंचार सेवा प्रदाताओं वाले प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में एक प्रभावशाली परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरा है। दूरसंचार क्षेत्र में अन्वियों को अवसर प्रदान करने तथा बेतार सेवाओं की शुरुआत से भारत में एक प्रभावकारी प्रगतिशील व्यवस्था का सृजन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निवेश हुआ है। तथापि, बेतार सेवाओं में हुई जोरदार वृद्धि अभी ब्रॉडबैंड सेवाओं में भी परिलक्षित होनी शेष है। बीडब्ल्यूए और 3जी सेवाओं की शुरुआत से देश में वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवा में वृद्धि होगी तथा इससे भारत भर के सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने में भी सहायता प्राप्त होगी। आने वाले वर्षों में बेतार ब्रॉडबैंड अभिगम का संभावित विकासात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि इंटरनेट का उपयोग करने वाले ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता वायरलाईन के बजाए बेतार कनेक्शनों और डिवाइस से जुड़ रहे हैं तथा इसके साथ-साथ प्रीपेड मोबाइल ब्रॉडबैंड सहित बेतार-ब्रॉडबैंड अभिगम में वर्तमान में भारी संख्या में वृद्धि हो रही है। मोबाइल मूल्य वर्द्धित सेवाएं अथवा एम-सशक्तिकरण से राष्ट्र का डिजिटली रूप से परिवर्तन होगा तथा विकास के साथ-साथ प्रोत्साहन में सहायता मिलेगी। सरकार की योजना देशभर में मांग पर और उचित मूल्य पर टेलीफोन कनेक्शन और ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध कराने की है।





II. दूरसंचार आयोग

भारत सरकार ने दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सहित 11 अप्रैल, 1989 के संकल्प के द्वारा दूरसंचार आयोग का गठन किया था। इस आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य, जो कि दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव हैं तथा चार अंशकालिक सदस्य हैं जो कि संबंधित विभागों में भारत सरकार के सचिव हैं। आयोग का वर्तमान संघटन निम्नानुसार है:-

अध्यक्ष	श्री आर० चंद्रशेखर	24 सितंबर, 2010 से
सदस्य (वित्त)	श्रीमती साधना दीक्षित, सलाहकार (वित्त), सदस्य (वित्त) का कार्य देख रही हैं।	1 अप्रैल, 2011
सदस्य (सेवाएं)	श्री एस०सी० मिश्र	17 मार्च, 2010 से
सदस्य (प्रौद्योगिकी)	श्री चंद्र प्रकाश	17 सितंबर, 2009 से

सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सचिव आर्थिक कार्य विभाग, सचिव, योजना आयोग और सचिव औद्योगिक नीति और संवर्द्धन इसके अंशकालिक सदस्य हैं।

दूरसंचार आयोग के मुख्य कार्यों में नीति निर्माण, कार्य-निष्पादन की समीक्षा, लाइसेंसिंग, वायरलेस स्पैक्ट्रम प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रशासनिक मॉनीटरिंग, अनुसंधान और विकास तथा उपस्कर का मानकीकरण/विधिमान्यकरण तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध शामिल हैं।





III. दूरसंचार विभाग

भूमिका तथा कार्य

दूरसंचार विभाग, सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार विभिन्न शहरों और दूरसंचार सर्किलों में बुनियादी तथा मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने हेतु नीति बनाने, कार्यनिष्पादन समीक्षा, निगरानी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और विकास तथा प्रचालकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके फ्रीक्वेंसी आबंटन और रेडियो संचार के लिए प्रबंधन का कार्य भी करता है। यह विभाग बेतार विनियामक उपायों को लागू करने तथा देश में सभी प्रयोक्ताओं के बेतार पारिषद पर निगरानी रखने के लिए भी जिम्मेदार है। सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति के कार्यान्वयन के उद्देश्य से दिनांक 1 जून, 2002 से प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के कार्यालय की स्थापना की गई है। अक्टूबर, 2000 में भारत संचार निगम लि० के गठन के बाद भारत सरकार (कार्य आबंटन), नियमावली, 1961 के अन्तर्गत दूरसंचार विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-

- टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलैस, डाटा, फ़ैसिमाइल तथा टेलीमेटिक्स सेवाओं एवं संचार के अन्य समान साधनों के संबंध में नीति निर्धारण, लाइसेंसिंग तथा समन्वय संबंधी मामले।
- अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), इसके रेडियो विनियमन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो संचार सेक्टर (आईटीयू-आर), दूरसंचार मानकीकरण सेक्टर (आईटीयू-टी), विकास सेक्टर (आईटीयू-डी), अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (इन्टेलसैट), अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन (इन्मार्सैट), एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) जैसे दूरसंचार से संबंधित सभी अंतरराष्ट्रीय निकायों के मामलों सहित दूरसंचार से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
- दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना।
- दूरसंचार में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना।
- निम्नलिखित कार्यों सहित संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा अध्ययन को बढ़ावा देने और दूरसंचार संबंधी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति के सृजन हेतु वित्तीय सहायता :-
 - (क) उच्च वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसंधान हेतु संस्थानों/वैज्ञानिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देना ; तथा
 - (ख) शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना और दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन हेतु विदेश जाने वाले छात्रों सहित अन्य व्यक्तियों को अन्य किस्म की वित्तीय सहायता देना।
- दूरसंचार विभाग द्वारा अपेक्षित भंडार-सामग्रियों एवं उपस्करों का प्रापण।
- दूरसंचार आयोग।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
- दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण।
- इस सूची में उल्लिखित किन्हीं मामलों के संबंध में कानूनों का प्रशासन, नामतः:-
 - (क) भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13)
 - (ख) भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17), और
 - (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24)



- भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड ।
- मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटरर्स लिमिटेड से संबंधित विनिवेश के बाद के मामले ।
- भारत संचार निगम लिमिटेड ।
- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ।
- टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड से संबंधित विनिवेश के बाद के मामले ।
- टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र(सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले ।
- पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित अवशिष्ट कार्य, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित मामले भी शामिल हैं :-
 - (क) भारत संचार निगम लि. में आमेलन होने तक समूह "क" और अन्य वर्गों के कार्मिकों के संवर्ग नियंत्रण कार्य;
 - (ख) सेवांत लाभों का प्रशासन तथा भुगतान ।
- निर्माण कार्यों का निष्पादन, भूमि की खरीद और अधिग्रहण जिसे दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट के नामे डाला जाना है।

लाइसेंस प्रदान करना

एकीकृत अभिगम सेवाएं

31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार 240 एकीकृत अभिगम सेवा (यूएस), 2 बुनियादी सेवा और 37 सेल्युलर मोबाइल सेवा(सीएमटीएस) लाइसेंस मौजूद थे।

31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, 8 कंपनियों को दोहरे प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम (सीडीएमए और जीएसएम, दोनों) का प्रयोग करने के लिए उसी सीएमटीएस/यूएस लाइसेंस के तहत अनुमति प्रदान की गई है।

कैरियर सेवाएं

राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा

राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा को निजी क्षेत्र के लिए 13 अगस्त, 2000 से खोला गया था। जिन भारतीय पंजीकृत कंपनियों की नेटवर्थ 2.5 करोड़ ₹ है और प्रदत्त इक्विटी 2.5 करोड़ ₹ है वे इसके लिए आवेदन करने की पात्र हैं। इसके साथ-साथ आवेदन करने वाली कंपनी में, लाइसेंस की समूची अवधि के दौरान, किसी भी समय पर कुल विदेशी इक्विटी 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक कंपनी की इक्विटी में किसी एनआरआई/ओसीबी/अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसी द्वारा किए गए निवेश की गणना इसकी विदेशी इक्विटी के रूप में की जाती है। लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व 2.5 करोड़ ₹ का प्रवेश शुल्क जमा कराना होता है। प्रचालकों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई राष्ट्रीय लंबी दूरी का प्रचालक देश में अंतर-सर्किल परियात का प्रचालन कर सकता है। राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक का लाइसेंस गैर-अनन्य आधार पर 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है और इसकी अवधि को एकमुश्त रूप में 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अतिरिक्त 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार 32 अन्य कंपनियों ने लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रतिस्पर्द्धा के परिणामस्वरूप प्रशुल्कों में कमी आई है।



अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा

अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा मूलतः नेटवर्क कैरिज सेवा है जो विदेशी कैरियरों द्वारा प्रचालित नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करती है। नई दूरसंचार नीति-1999 के अनुसरण में, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा को पहली अप्रैल, 2002 से निजी प्रचालकों के लिए खोल दिया है। प्रचालकों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। जिन भारतीय पंजीकृत कंपनियों की नेटवर्थ 2.5 करोड़ ₹ है वे इसके लिए आवेदन करने की पात्र हैं। आवेदन करने वाली कंपनी में, लाइसेंस की समूची अवधि के दौरान, किसी भी समय पर कुल विदेशी इक्विटी 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक कंपनी की इक्विटी में किसी एनआरआई/ओसीबी/अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसी द्वारा किए गए निवेश की गणना इसकी विदेशी इक्विटी के रूप में की जाती है। लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व 2.5 करोड़ ₹ के प्रवेश शुल्क के साथ-साथ 2.5 करोड़ ₹ की निष्पादन बैंक गारंटी जमा करानी होती है। इसका लाइसेंस, लाइसेंस करार की तारीख से 20 वर्ष तक वैध होता है। अब तक 26 कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-1 (आईपी-1)

अवसंरचना प्रदाता-1 के लिए आवेदन करने वाली कंपनी को केवल दूरसंचार विभाग में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है। अवसंरचना प्रदाता-1 के रूप में पंजीकृत कंपनियां डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डस्ट स्पेस और टावर जैसी संपत्तियों की सुविधा उपलब्ध करा सकती हैं। सभी भारतीय पंजीकृत कंपनियां इसके लिए आवेदन करने की पात्र हैं। इसमें विदेशी इक्विटी और प्रवेश करने वाले प्रचालकों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें कोई प्रवेश शुल्क और बैंक गारंटी नहीं है। आवेदक कंपनी को आवेदन के साथ प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 5000 ₹ का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। अब तक 392 कंपनियों को अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-1 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

वॉयस मेल सेवा/ऑडियोटेक्स/एकीकृत संदेश सेवा

नई दूरसंचार नीति (एनटीपी)-99 के अनुसार वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स सेवा के लिए नई नीति जुलाई, 2001 में घोषित की गई थी जिसमें यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा (यूएमएस) नामक नई सेवा भी शामिल की गई थी। यूएमएस एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा टेलीफोन उपकरण, फैक्स मशीन, मोबाइल फोन, इंटरनेट ब्राउज़र इत्यादि का उपयोग करते हुए एक मेल बॉक्स से वॉयस मेल, फैक्स और ई-मेल (तीनों) प्राप्त किए जा सकते हैं। वर्तमान में 17 कंपनियों के पास 8 शहरों में वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विस प्रदान करने के लिए 26 लाइसेंस हैं। वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स सेवा प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं है।

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा लाइसेंस

नई दूरसंचार नीति, 99 के अनुसार पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विस (पीएमआरटीएस) की नीति 1 नवंबर, 2001 को घोषित की गई थी। पीएमआरटीएस के नए लाइसेंस गैर-अनन्य आधार पर प्रदान किए गए हैं। पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रदान करने के लिए 9 कंपनियों के पास 4 महानगरों और 10 सर्किलों में 28 लाइसेंस हैं।

जीएमपीसीएस सर्विस लाइसेंस की नीति

नई दूरसंचार नीति-99 की शर्तों में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विस (जीएमपीसीएस) के लाइसेंस प्रदान करने की नीति 2 नवंबर, 2001 को घोषित की गई थी। जीएमपीसीएस लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया बहुत ही अंतर्निहित प्रक्रिया है। जीएमपीसीएस लाइसेंस के आवेदन जिनमें संपूर्ण प्रस्ताव निहित हो सुरक्षा जांच के लिए विधि



प्रवर्तन एजेंसी को भेजे जाते हैं। अंतरमंत्रालयी समिति जिसमें मंत्रिमंडल सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, सचिव अंतरित विभाग एवं सचिव आसूचना ब्यूरो शामिल होते हैं द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से प्रस्ताव पास किए जाने पर आशय पत्र जारी किया जाता है। प्रक्रिया में सुरक्षा निगरानी सहित जीएमपीसीएस गेटवे भूमि स्टेशन की जांच भी शामिल है। राजस्व साझे के रूप में लाइसेंसशुल्क समायोजित सकल राजस्व का 10 प्रतिशत है तथा प्रवेश शुल्क 1 करोड़ ₹ है। अभी तक कोई जीएमपीसीएस प्रदान नहीं किए गए हैं।

वैरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वी सैट) सर्विस

31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार करीब एक लाख तीस हजार वीएसएटी सहित वाणिज्यिक सीयूजी वीएसएटी सेवा के लिए 14 लाइसेंसधारक हैं और करीब 6000 वीएसएटी सहित 37 वाणिज्यिक सीयूजी वीएसएटी प्रचालनरत हैं।

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं

31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, इंटरनेट सेवाओं के लिए 388 लाइसेंसधारक हैं जिसमें 103 क श्रेणी के लाइसेंसधारक, 155 ख श्रेणी के लाइसेंसधारक और 130 ग श्रेणी के लाइसेंसधारक शामिल हैं। आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए दो इंटरनेट सेवा लाइसेंसधारकों को अनुमति दी गई है। इसके अलावा 30 जून, 2011 की स्थिति के अनुसार 20.33 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता और 31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार लगभग 13.30 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ता हैं।

निवेश नीति (आईपी)

दूरसंचार सेक्टर को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे अधिक पसंदीदा सेक्टरों में से एक समझा जाता है। दूरसंचार सेक्टर हेतु मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति निम्नानुसार है :

क्र० सं०	सेक्टर/कार्यकलाप	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/इक्विटी की अधिकतम सीमा	प्रवेश रूट
1.	बेसिक तथा सेलुलर, एकीकृत अभिगम सेवाएं, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी, वी-सैट, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकड सेवाएं (पीएमआरटीएस), वैश्विक मोबाइल निजी संचार सेवाएं (जीएमपीसीएस) तथा अन्य मूल्यवर्द्धित दूरसंचार सेवाएं	74% (प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार के विदेशी निवेश)	ऑटोमेटिक रूट के तहत 49% तक तथा 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से ।
2.	गेटवेज सहित आईएसपी । गेटवे रहित आईएसपी, रेडियो पेजिंग, एंड-टु-एंड बैंडविड्थ प्रदाता	74%	ऑटोमेटिक रूट के तहत 49% तक तथा 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से ।
3.	क) डार्क फाईबर, मार्गाधिकार, डक्ट स्पेस, टॉवर (श्रेणी-1) प्रदान करने वाला अवसरचना प्रदाता ; (ख) इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉयस मेल	100%	ऑटोमेटिक रूट के तहत 49% तक तथा 49% से अधिक एफआईपीबी के माध्यम से ।
4.	दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण	100%	ऑटोमेटिक


सरकार ने दिनांक 24.8.2007 को आईएसपी से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित कर दिया है और नए दिशा-निर्देशों के तहत केवल 74% संयुक्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ आईएसपी लाइसेंसों के लिए प्रावधान किया गया है।



अप्रैल 2000 से सितंबर, 2011 तक दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई का वास्तविक अंतर्वाह \$ 12456 मिलियन है। गत पांच वर्षों और चालू वर्ष का संचयी एफडीआई आंकड़ा निम्नानुसार है:-

0 th 2000 से दूरसंचार क्षेत्र में संचयी एफडीआई	
निम्नलिखित को समाप्त होने वाले वर्ष तक	संचयी एफडीआई(मिलियन अमरीकी डालर)
मार्च 07	2581
मार्च 08	3782
मार्च 09	6392
मार्च 10	8924
मार्च 11	10555
सितंबर 11	12456

टिप्पणी: राशि में केवल एसआईए/एफआईपीबी रूट, मौजूदा शेयरों की अधिप्राप्ति और भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित रूट के माध्यम से प्राप्त अंतर्वाह शामिल है।





दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण:

गत दशक में दूरसंचार क्षेत्र में हुई त्वरित वृद्धि के फलस्वरूप दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण और अन्य सहायक उद्योगों का विकास हुआ है। अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के आगमन और आपरेटरों द्वारा 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम सेवाओं के विस्तार की ओर रुख करने से, दूरसंचार उपस्करों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। इस अवसर का लाभ उठाने के प्रयास में सरकार और नीति निर्माता घरेलू विनिर्माण उद्योग का विकास करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। भारतीय उपस्कर विनिर्माण क्षेत्र ने गत कुछ वर्षों में लम्बा रास्ता तय किया है। एक आयात-केन्द्रक उद्योग होने से लेकर धीरे-धीरे परंतु सतत रूप से यह एक वैश्विक दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण केन्द्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2002-03 में भारत में 144 बिलियन रूपए मूल्य के दूरसंचार उपस्करों का उत्पादन हुआ, 2010-11 में बढ़कर यह 520 बिलियन रूपया हो गया, जिससे 265 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इस प्रवृत्ति के महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ भारतीय कंपनियों द्वारा घरेलू विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना है। बाजार में इस समय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व है जिन्होंने गत दशक में देश में अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं और ऐसी अनेक अन्य कंपनियां अपनी सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रही हैं। इसके अलावा भारत में भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आधार स्थापित करने से, देश न केवल एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में उभर रहा है बल्कि यह प्रत्येक वर्ष अपना दूरसंचार निर्यात बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। वर्ष 2006-07 में भारत ने 18.98 बिलियन मूल्य के उपस्करों का निर्यात किया जो 2010-11 में 730 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 158 बिलियन रूपए का हो गया। भारतीय मोबाइल हैंडसेट कंपनियों ने घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी को 2008-09 में 3-4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2009-10 में 14 प्रतिशत कर लिया। घरेलू ब्रांडों ने बाजार में स्वयं को स्थापित कर लिया है और अंतरराष्ट्रीय हैंडसेट विक्रेताओं के साथ स्पर्द्धा कर रहे हैं। सरकार घरेलू उपस्कर विनिर्माण उद्योग और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता दे रही है। सरकार और उद्योग दोनों के प्रयासों से, भारत उपस्कर विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकीय प्रणाली का निर्माण कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे उद्योग का निर्माण हो सकता है जो विश्व में श्रेष्ठतम के साथ स्पर्द्धा करेगा। उपर्युक्त पहलों से, आशा है कि भारत दूरसंचार उपस्करों का एक विनिर्माण केन्द्र बन जाएगा।

दूरसंचार/आईसीटी उपस्कर विनिर्माण क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनने के लिए स्वदेशी शोध एवं विकास तथा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 11 के मसौदा में विभिन्न कार्यनीतियों का प्रस्ताव किया गया है। दूरसंचार क्षेत्र में केन्द्रित स्वदेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु सरल प्रौद्योगिकियों और उभरते रूझानों के विचारित मूल्यांकन के पश्चात, प्रौद्योगिकी मांग, मानकों और विनियमों को एक साथ जोड़ने के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा का निर्माण कर एक निश्चित नीतिगत दिशा की ओर प्रयास केन्द्रित किए जाएंगे। स्वदेशी शोध और विकास, आईपीआर सृजन अत्याधुनिक दूरसंचार उत्पादों का विनिर्माण और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए निधि सृजित करने का प्रस्ताव है। ऐसे भारतीय आईपीआर के निर्माण पर जोर दिया जाएगा जो ब्रांड इंडिया का विकास करने के साधन के रूप में प्रमुख कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अंतरराष्ट्रीय मानकों और उत्पाद विनिर्माण की जांच करते हैं।



2010-11 के दौरान हुए और 2011-12 के दौरान प्रत्याशित दूरसंचार उपस्करों के निर्यात और आयात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

2010-11 के दौरान	
दूरसंचार उपस्करों का उत्पादन	144000 मिलियन रूपए
भारत से दूरसंचार उपस्करों का निर्यात	158380 मिलियन रूपए
भारत में दूरसंचार उपस्करों का आयात	531020 मिलियन रूपए
2011-12 के दौरान	
दूरसंचार उपस्करों का उत्पादन	520000 मिलियन रूपए
भारत से दूरसंचार उपस्करों का निर्यात (अनुमानित)	165000 मिलियन रूपए
भारत में दूरसंचार उपस्करों का आयात (अनुमानित)	530000 मिलियन रूपए

इंडिया टेलीकॉम 2011

दूरसंचार विभाग ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ (फिक्की) के सहयोग से भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में क्षमताओं और अवसरों को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 7 से 9 दिसंबर, 2011 तक इंडिया टेलीकॉम प्रदर्शनी और सम्मेलन का छठा संस्करण अर्थात "इंडिया टेलीकॉम 2011" आयोजित किया जिसका थीम "एम-पावरिंग इंडिया" था। सम्मेलन ने इस बात पर चर्चा करने के लिए सरकार, नीति निर्माताओं संभावित निवेशकों, शिक्षाविदों और गैर-सरकारी संगठनों को एक मंच पर एकत्र किया कि कैसे दूरसंचार अन्य बातों के अलावा, सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और राजस्व के अर्थों में "सर्व समावेशी विकास" ला सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने 7 दिसंबर 2011 को उद्घाटन समारोह के दौरान कार्यक्रम के सहभागियों को संबोधित कर अवसर की शोभा बढ़ायी। प्रदर्शनी को भारी सफलता मिली जिसमें 38 से अधिक देशों के 235 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी/दूरसंचार कंपनियों और उनके लगभग 20,000 आईसीटी पेशेवर लोगों ने भाग लिया और 5 देशों के पैविलियन थे।



भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह नई दिल्ली में "इंडिया टेलीकॉम 2011" के अवसर पर "एम-पावरिंग इंडिया" पर रिपोर्ट का विमोचन करते हुए।



अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में देश के भीतर और बाहर कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भ्रमणों के अलावा, भ्रमणकारी विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श हुए। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं :

2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) अवधि के कार्यकलाप द्विपक्षीय सहयोग/बहुपक्षीय संयुक्त आयोग की बैठकें

- सदस्य (सेवाएं) के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने आईटीयू मुख्यालय में 29 जून से 1 जुलाई 2011 के दौरान आयोजित टीडीएजी-दूरसंचार विकास सलाहकार समूह की बैठक में भाग लिया। टीडीएजी ने क्षेत्रीय उपस्थिति के संबंध में वार्षिक प्रचालनात्मक योजना और अन्य कार्यकलापों तथा साथ ही क्षमता निर्माण के लिए एक समिति गठित करने की योजना पर चर्चा की और उन्हें अनुमोदित किया। एशिया प्रशांत की क्षेत्रीय समिति के लिए टीडीएजी द्वारा भारत के दूरसंचार विभाग के उपमहानिदेशक आईआर को और मलेशिया के एक अधिकारी को नामित किया गया है।
- मसौदा विनिर्माण नीति मुद्दों, डाटा निजता और ई-कामर्स आदि पर चर्चा करने के लिए अमरीकी वाणिज्य विभाग के सहायक सचिव की दिनांक 01.07.2011 दूरसंचार विभाग के अपर सचिव(दूरसंचार) के साथ बैठक हुई।
- नाइजीरियाई संचार आयोग (एनसीसी) के कार्यपालक उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय शिष्टमंडल भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करने के लिए 5 सितंबर 2011 को दूरसंचार विभाग के अधिकारियों से मिला।
- होटल शांगरिला, नई दिल्ली में ट्राई द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला के अनुरूप भारत में जापानी राजदूत और महासचिव, एपीटी के साथ माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की दिनांक 06.09.2011 को एक बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य 16-18 नवम्बर, 2011 के दौरान आयोजित आम सभा के दौरान जापानी राजदूत का महासचिव, एपीटी के रूप में पुनर्निर्वाचन के लिए भारत का समर्थन हासिल करना था। भारत ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया और वे पुनर्निर्वाचित हुए। जापान सरकार ने भारत के प्रति उसके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है और उसकी काफी प्रशंसा की है।
- माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 27 सितंबर, 2011 को फिनलैंड सरकार द्वारा भारत में स्थापित फिननोड का उद्घाटन किया। फिननोड का उद्देश्य भारत के पर्यावरण/उपयुक्तता के अनुसार अवसंरचना, आईसीटी, पावर सहित उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवप्रवर्तनकारी कार्यकलाप शुरू करना है। उद्घाटन समारोह में फिनलैंड के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने भाग लिया जिसमें फिनलैंड के व्यवसाय शिष्टमंडल के नेताओं के अलावा फिनलैंड के महामहिम माननीय मंत्री, भारत में फिनलैंड के राजदूत शामिल थे।
- सदस्य (प्रौद्योगिकी) के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 10-22 अक्टूबर, 2011 के दौरान जेनेवा में आयोजित आईटीयू परिषद् के 2011 सत्र में भाग लिया। परिषद् ने प्रचालन आयोजना, आईटीयू के समग्र कामकाज के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। भारत द्वारा उपग्रह संचार के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त तंत्र को अपनाने संबंधी मुद्दा उठाया गया और विय को डब्ल्यू आर सी, डब्ल्यू टीडीसी और डब्ल्यूसीआईटी आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए परिषद् के कार्यसंचालन में शामिल किया गया।
- सलाहकार (प्रचालन) के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 16-24 नवम्बर, 2012 के दौरान जेजू द्वीप, दक्षिण कोरिया में आयोजित क्षेत्रीय अंतर-सरकारी एजेंसी, एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) की आम सभा और प्रबंध समिति की



बैठक में भाग लिया। एपीटी के नीतिगत और समग्र प्रबंधन मुद्दों पर चर्चा करने के अलावा, महासभा के महासचिव, उप-महासचिव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव हुए।

- माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने 5-9 दिसंबर, 2011 को हुई आसियान टेलमिन बैठकों में भाग लिया, जिसके पहले आसियान की टेलसोम बैठकों से हुई थी। भारत ने सीएलएनवी देशों में टेली-मेडिसिन और टेलीएडुकेशन की स्थापना करने के लिए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 25.11.2011 को माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से मिला। बैठक के दौरान बताया गया कि यूरोपीय संसद ने डिजीटल एजेंडा को पूरा करने के लिए अधिक निवेश करने का निर्णय लिया है और इससे अनेक दायित्व पैदा होते हैं। इंटरनेट गवर्नेंस, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में अवसर और विनिर्माण पर चर्चा की गई। उपाध्यक्ष ने माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को उनकी सुविधा के अनुसार बुसेल्स का भ्रमण करने के लिए अपना निमंत्रण दिया। माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री उनका आमंत्रण स्वीकार करने के लिए सहमत हुए और प्रस्ताव किया कि भारत और यूरोपीय संघ मिलकर आईसीटी के अभिज्ञात क्षेत्र विशेष रूप से साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण, अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्थापना, व्यापार अवरोधों में कमी आदि में सहयोग और सहायता के लिए संपूर्ण रूपरेखा स्थापित कर सकते हैं।
- दूरसंचार नीति के मसौदा, विनिर्माण नीति के मसौदा पर चर्चा करने के लिए इजरायली राजदूत 4 दिसंबर 2011 को माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डी) से मिले। दोनों देशों के दूरसंचार सेक्टरों के बीच संयुक्त सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा हुई।
- संयुक्त राज्य और अंतरराष्ट्रीय संचार और सूचना नीति के समन्वयक आईसीटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 12 दिसंबर, 2012 को सचिव (दूरसंचार) से मिले।
- निदेशक, दूरसंचार मानकीकरण ब्यूरो, आईटीयू 20 दिसंबर, 2011 को नई दिल्ली में दूरसंचार सचिव से मिले। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार विनियम, एनजीएन जैसे आईसीटी के नए क्षेत्रों में आईटीयू के साथ सक्रिय अंतर्क्रिया और सहयोग के लिए सचिव(दूरसंचार) के साथ चर्चा की।
- रूसी राष्ट्रपति के विशेष संचार विभाग के अधिकारियों और दूरसंचार विभाग, एमटीएनएल, डीआरडीओ तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक द्विपक्षीय बैठक दोनों देशों के बीच सहयोग के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 21 दिसंबर, 2012 को संचार भवन में हुई। रूसी पक्ष की ओर से शिष्टमंडल का नेतृत्व रूसी राष्ट्रपति के विशेष संचार विभाग के अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रभाग के उप-प्रमुख ने किया। भारतीय पक्ष की ओर से आईआर प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग के अधिकारी, महाप्रबंधक (एलसी), एमटीएनएल और अवर सचिव(रूस), विदेश मंत्रालय बैठक में उपस्थित थे।

विदेश दौरे:- दूरसंचार की ओर से माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री, और सचिव (दूरसंचार)।

- माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने 4-5 मई, 2011 को भूमध्यवर्ती गिनी को एयू आयोग द्वारा आमंत्रित करने के लिए आईएफएस-II के लिए माननीय प्रधानमंत्री का पत्र प्रस्तुत किया।
- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने 14-20 मई, 2011 के दौरान, जेनेवा, स्वीट्जरलैंड में विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसआईएस) फोरम 2011 में भाग लिया।



- माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने 31 मई से 2 जून, 2011 तक जेरूसलम, इजरायल में एचटीआईए में हुए वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया।
- सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग ने 19-20 सितम्बर, 2011 को शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित अमेरिका-भारत आर्थिक अवसर और पारस्परिक सहयोग शिखर बैठक में भाग लिया और बाद में 22-23 सितम्बर, 2011 को न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 8वें भारत निवेश फोरम में भाग लिया।
- माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने हेलसिंकी, फिनलैंड में 18-21 सितम्बर, 2011 को सूचना और नेटवर्क सुरक्षा पर शिखर बैठक में और 19-सितम्बर, 2011 को एस्टोनिया में द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया तथा 22-24 सितम्बर, 2011 को स्वीडेन में द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया।
- माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने जेनेवा, स्वीट्जरलैंड में 24-27 अक्टूबर, 2011 को ब्रॉडबैंड नेतृत्व शिखर सम्मेलन और आईटीयू टेलीकॉम वर्ल्ड 2011 में भाग लिया।

राजभाषा (हिंदी)

कार्यकलाप

वर्ष 2011-12 की अवधि (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान, दूरसंचार विभाग के राजभाषा प्रभाग द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों पर कार्य किए गए:

भारत सरकार की राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी अनुभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राजभाषा अधिनियम, नियमों एवं उनके तहत जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई ताकि राजभाषा विभाग द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2011-12 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। विभाग, इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए गए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का पूर्णतः अनुपालन किया गया।

मानीटरिंग और निरीक्षण

इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण भारत में फैले दूरसंचार विभाग के अनेक कार्यालयों/इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा पर संसद की दूसरी उप-समिति द्वारा चौदह (14) निरीक्षण किए गए। ऐसे सभी निरीक्षणों की अवधि के दौरान राजभाषा प्रभाग ने एक समन्वयक के रूप में कार्य किया। राजभाषा प्रभाग ने इस संबंध में जारी राजभाषा अनुदेशों के उपबंधों के अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु स्वतंत्र रूप से ऐसे आठ निरीक्षण भी किए।

राजभाषा सम्मेलन

दूरसंचार विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशा0) और संयुक्त निदेशक (रा0भा0) ने 14 से 23 जून, 2011 तक दक्षिण अफ्रीका में भारतीय संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित "अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन" में भाग लिया।



राजभाषा कार्यान्वयन समिति

विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित की गईं जिनमें विभाग में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई। वर्ष के दौरान ऐसी चार बैठकें आयोजित की गईं।

प्रशिक्षण और कार्यशाला

हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण का कार्यसाधक ज्ञान नहीं रखने वाले कुछ कर्मचारियों को अगस्त, 2011 से शुरु होने वाले प्रशिक्षण सत्र के लिए नामित किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग सरल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर और यूनिकोड सुविधा के प्रयोग के संबंध में दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में 14 सितम्बर, 2011 से 30 सितम्बर, 2011 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। विभाग में की प्रगति से संबंधित 14 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

हिंदी सलाहकार समिति

दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 11 दिसंबर, 2010 को किया गया। इसकी पहली बैठक माननीय गृह, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 29.03.2011 को बंगलुरु में आयोजित की गई। दूसरी बैठक माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में संचार भवन, नई दिल्ली में 17.11.2011 को आयोजित की गई।



माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल और सचिव(टी) श्री आर. चंद्रशेखर के साथ दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नई दिल्ली में 17.11.2011 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में ।



कर्मचारी कल्याण तथा खेलकूद संबंधी कार्यकलाप

कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत, दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्कूल/कालेजों में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, बुक अवार्ड और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को वाहन भत्ता/छात्रावास सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में विपत्तिग्रस्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और मनोरंजन भ्रमण यात्राओं आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना भी शामिल है। वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2011) के दौरान कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :

- मृतक कर्मचारियों के परिवारों को 30,000/- रुपए (तीस हजार रुपए मात्र) की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई।
- संचार भवन में 10 अगस्त, 2011 को कैंसर के लिए (केवल महिलाओं के लिए) स्तनों की स्वयं जांच के प्रशिक्षण हेतु स्वास्थ्य कैंप/प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।
- दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) के कर्मचारियों को उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र (एनटीआर)/भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विभिन्न खेलकूद-कार्यक्रमों में तथा अंतर्मत्रालयीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए भेजा गया।
- दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्कूल में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को बुक अवार्ड और प्रोत्साहन राशि वितरित की गई।
- पिछले वर्ष किये गए अन्य सभी क्रियाकलाप भी विधिवत रूप से निष्पादन किए गए

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी स्कीमें और प्रावधान

कल्याणकारी योजनाएं व्यापक तौर पर लिंग-निरपेक्ष और संयुक्त स्वरूप की हैं। तथापि, कुछ योजनाओं जैसे बुक अवार्ड, स्कॉलरशिप अवार्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को अंकों में छूट दी जाती है। इन श्रेणियों के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि बुक अवार्ड/ स्कॉलरशिप योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र आवेदकों को प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में कर्मचारी कल्याण निधि से किया गया व्यय निम्नानुसार है :

- महिला कल्याण पर व्यय की गई धन राशि : 7,11,000/- (लगभग)
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास : 4,05,700/- (लगभग)
पर व्यय की गई धनराशि।

जेंडर बजटिंग

दूरसंचार विभाग में नवंबर, 2006 में जेंडर बजट प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। उक्त प्रकोष्ठ को आगे अप्रैल, 2010 में पुनर्गठित किया गया था। विभाग का जेंडर बजट प्रकोष्ठ सरकार की जेंडर बजट संबंधी पहल के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा इस क्षेत्र में विभिन्न स्कीमों की आयोजना तथा प्रतिपादन के स्तर पर संबंधित जेंडर के सरोकार को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए दूरसंचार विभाग की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।



वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए महिलाओं के हितलाभ के लिए गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत निधियों का आवंटन निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु० में)

100% महिला केंद्रित कार्यक्रम						
स्कीम का ब्यौरा	ब०प्रा० 2010-11		सं० प्रा० 2010-11		ब०प्रा० 2011-12	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
कर्मचारियों की सुख-सुविधा	-	0.30	-	0.06	-	0.08
सार्वभौमिक सेवा दायित्व स्कीम	-	-	-	-	0.50	-
30% महिला केंद्रित कार्यक्रम (गैर योजना)						
स्कीम का ब्यौरा	ब०प्रा० 2010-11		सं० प्रा० 2010-11		ब०प्रा० 2011-12	
कर्मचारियों की सुख-सुविधा	0.10		0.10		-	

सूचना का अधिकार अधिनियम

इस विभाग में सूचना का अधिकार की एक पृथक इकाई की स्थापना की गई और यह 1 जनवरी, 2007 से कार्य कर रही है। दूरसंचार विभाग की सूचना का अधिकार इकाई जनता की संतुष्टि के अनुरूप आरटीआई आवेदनों के निपटान की प्रणाली को निरंतर सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रही है। आरटीआई इकाई जिसमें केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में निदेशक (समन्वय), सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी की अध्यक्षता में आरटीआई अनुभाग हैं, जो समूचे विभाग, इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों तथा अन्य विभागों/मंत्रालयों के लिए नोडल इकाई के रूप में कार्य रही है। इसके अलावा आरटीआई आवेदनों/अपीलों का शीघ्र निपटान सुकर बनाने के लिए दूरसंचार विभाग में अतिरिक्त प्रथम अपील प्राधिकारियों के साथ 69 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी कार्य कर रहे हैं। इस विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी इकाई के सहयोग से, सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की पदधारिता की स्थिति दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। वर्ष 2011-12 के दौरान, 31 दिसंबर, तक 281 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 718 आवेदनों को अन्य विभागीय लोक प्राधिकरणों और सावर्जनिक क्षेत्र उपक्रमों के पास भेजा गया। सूचना के साथ आवेदनों का निपटान लगभग 99 % रहा। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो अपवाद हैं, उनको छोड़कर सूचना प्रदान करने से मनाही नहीं की गई।

लोक शिकायत और उनका निवारण

दूरसंचार विभाग अपने लोक शिकायत प्रकोष्ठ में माननीय प्रधानमंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के कार्यालय, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, अध्यक्ष के कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा जनता से सीधे शिकायतें प्राप्त करता है। दूरसंचार विभाग का लोक शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतों के शीघ्र और समय पर निपटान के लिए उनकी निगरानी करता है। वर्ष 2011-12 (31 दिसंबर, तक) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

01 अप्रैल, 2011 की स्थिति के अनुसार आरंभिक शेष	उक्त अवधि के दौरान दर्ज की गई शिकायतें	कुल	उक्त अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31, दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार शेष
2996	54,226	57,222	53,349	3873



अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन

भारत सरकार की नीति के अनुसार, निदेशक (कर्मचारी सम्बन्ध) के पर्यवेक्षण के तहत दूरसंचार विभाग में एक एससीटी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है जिन्हें दूरसंचार विभाग के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। संपर्क अधिकारी न केवल विभाग के अधिकारियों को अपितु दूरसंचार विभाग के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, संवैधानिक निकायों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान दूरसंचार विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 41 निर्णय/आदेशों का कार्यान्वयन किया गया।





III 1. बेतार आयोजना एवं समन्वय

दूरसंचार विभाग का बेतार आयोजना और समन्वय स्कन्ध स्पैक्ट्रम प्रबंधन, बेतार लाइसेंसिंग, फ्रीक्वेंसी आबंटन, स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय तथा रेडियो संचार प्रणालियों के लिए भारतीय तार अधिनियम 1885 (आईटीए, 1885) और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 (आईडब्ल्यूटीए, 1993) के प्रशासन का कार्य देखता है।

कोड डिवीजन मल्टिपल एक्सेस (सीडीएमए)

सीडीएमए नेटवर्कों हेतु आवृत्ति का आवंटन

- 824-844 मेगाहर्ट्ज के साथ युग्मित 869-889 मेगाहर्ट्ज वाली आवृत्ति को सीडीएमए नेटवर्कों को आवंटित करने पर विचार किया गया है तथा सीडीएमए सेवाओं के लिए कॉरडेक्ट आधारित नेटवर्क हेतु 1880-1900 मेगाहर्ट्ज पर विचार किया गया है।
- अन्य उपलब्ध नेटवर्कों सहित ऐसे सभी नेटवर्कों के व्यतिकरण मुक्त प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए वैद्युतचुम्बकीय विकिरण की उपयुक्तता स्थापित करने हेतु यथा उपयुक्त 6/7 मेगाहर्ट्ज तथा 15/18 मेगाहर्ट्ज बैंड में सीडीएमए/ कॉरडेक्ट आधारित नेटवर्कों, प्वाइंट टू प्वाइंट टू मल्टीप्लाइंट नेटवर्कों जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सीडीएमए नेटवर्कों हेतु आवृत्तियों का आवंटन किया गया है।
- बीडब्ल्यूए सेवाओं के संबंध में 2.3 - 2.4 गीगीहर्ट्ज बैंड में बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के छः सफल बोलीदाता ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इन बोलीदाताओं को आशय-पत्र तथा आवृत्ति निर्धारण संबंधी पत्र जारी किए गए हैं। कुछ बीडब्ल्यूए प्रचालकों के संदर्भ में एमडब्ल्यूए आवृत्तियों के निर्धारण की प्रक्रिया जारी है।

बीएसएनएल को 2.5 गीगीहर्ट्ज बैंड में बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया गया था तथा इसने कुछ सेवा क्षेत्रों में वाईमैक्स सेवाएं प्रदान कर दी हैं।

उपग्रह समन्वय

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) की अंतरराष्ट्रीय रेडियो विनियमों के उपबंधों के अनुसार उपग्रह प्रणालियों का अंतरराष्ट्रीय समन्वय आरंभ किया जाना अपेक्षित है। पृथक उपग्रह नेटवर्कों के लिए आवृत्ति आवंटन का समन्वय अन्य प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के साथ आवश्यक है ताकि ये दोनों नेटवर्क सही प्रकार से कार्य करते रहे तथा इन नेटवर्कों का व्यतिकरण रहित प्रचालन हो सके।

2011-12 की अवधि के दौरान की वास्तविक स्थिति (अप्रैल-दिसंबर)

अन्य प्रशासनों के साथ उपग्रह समन्वय

प्रचालन स्तर समन्वय बैठक सिंगापुर टेलीकम्यूनिकेशन्स के साथ सितंबर, 2010 के दौरान तथा जीएसएस, रूस के साथ जुलाई एवं अगस्त, 2011 के दौरान तकनीकी मुद्दों के समाधान हेतु हुईं।

कैनोपस-वी समन्वय (एनएसओ): भारतीय प्रशासन के इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के साथ रूस के उपग्रह नेटवर्क के समन्वय की सूचना आईटीयू को दी गई थी।



आईटीयू के साथ समन्वय

अधिसूचनाएं:-

पंजीकरण हेतु आवृत्ति नोटिस उपग्रह नेटवर्क इनसैट -2 (83) (83ई), इनसैट-ईके55 (55ई), इनसैट-केयू10 (111.5ई) (111.5ई) के लिए अनुरोध रेडियो संचार ब्यूरो के बीआर आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु बीआर को अग्रेति कर दिया गया है।

पंजीकरण हेतु आवृत्ति नोटिस आईआरएस-पी5 (एनजीएसओ) तथा आईआरएस - कार्टोसैट-2 (एनजीएसओ) उपग्रह नेटवर्क के लिए अनुरोध रेडियो संचार ब्यूरो के बीआरआईएफआईसी में प्रकाशन हेतु बीआर को अग्रेति कर कर दिए गए हैं।

प्रशासनिक सम्यक तत्परता:-

इनसैट-2 (83) (83ई) के लिए **प्रशासनिक सम्यक तत्परता** रेडियो संचार ब्यूरो के बीआर आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु आईटीयू को अग्रेति कर दिया गया है।

समन्वय अनुरोध:-

क्रमशः 74, 81.5, 82, 83 तथा 93.5ई पर उपग्रह नेटवर्क, इनसैट मेट; इनसैट-केयू11 (48ई) इनसैट-केयू11 (74ई) इनसैट-केयू-11 (83ई) , इनसैट-केयू11 (93.5ई) तथा इनसैट-केयू11 (111.5ई) के संदर्भ में समन्वय अनुरोध रेडियो संचार ब्यूरो के बीआर आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु आईटीयू को भेज दिया गया है।

उन्नत प्रकाशन सूचना:

यूथसैट (एनजीएसओ) तथा रिसोर्ससैट (एनजीएसओ) उपग्रह नेटवर्क की उन्नत प्रकाशन सूचना आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु बीआर को भेज दी गई है।

इनसैट-केए 51 (51⁰ई); इनसैट-केए 68 (68⁰ई); इनसैट-केए 78 (78⁰ई); इनसैट-केए 85.5 (85.5⁰ई); इनसैट-केए 104 (104⁰ई); इनसैट-केए 107 (107⁰ई); इनसैट-केए 120 (120⁰ई), उपग्रह नेटवर्क आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु बीआर को भेजा गया है।

इनसैट-एनएवीआर (32.5) (32.5⁰ई); इनसैट-एनएवीआर (83) (83⁰ई); इनसैट-एनएवीआर (120.5) (120.5⁰ई); इनसैट-एनएवीआर (121.5) (121.5⁰ई); इनसैट-एनएवीआर (123.5) (123.5⁰ई); इनसैट-एनएवीआर (124.5) (124.5⁰ई); इनसैट-एनएवीआर (125.5) (125.5⁰ई); इनसैट-एनएवीआर (126.5) (126.5⁰ई); इनसैट-एनएवीआर (127.5) (127.5⁰ई); इनसैट-एनएवीआर (128.5) (128.5⁰ई); इनसैट-एनएवीआर (129.5) (129.5⁰ई); इनसैट-एनएवीआर (130.5) (130.5⁰ई); और इनसैट-एनएवीआर-जीएस (एनजीएसओ) उपग्रह नेटवर्क आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु बीआर को भेजा गया है।

परिशिष्ट - एपी30बी के अनुसार एफएसएस प्लान : शून्य

अन्य देशों के उपग्रह नेटवर्कों से स्थलीय और रेडियो एस्ट्रोनोमी सेवाओं, भारतीय अंतरिक्ष का संरक्षण:

फ्रांस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, रूस, मॉरीशस, मिश्र, यूएई, पीएनजी, चीन, साइप्रस, सिंगापुर, यूके, इटली, आस्ट्रिया, पॉलैंड, वियतनाम, इजरायल, सऊदी अरब, लक्जमबर्ग, कजाखस्तान टर्की, आस्ट्रेलिया, कतार, नॉर्वे,



कनाडा तथा कोरिया प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में बीआर आईएफआईसी में प्रकाशित उन्नत प्रकाशन सूचना पर मौजूदा एवं सुनियोजित इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के मद्देनजर आपत्ति व्यक्त की गई।

समन्वय अनुरोध (सीआर/सी) नॉर्वे, साइप्रस, चीन, लक्जमबर्ग, कतार, यूएसए, मलेशिया, यूके, जर्मनी, यूएई, मिश्र, यूक्रेन, इजरायल, जापान, स्पेन, इण्डोनेशिया, फ्रांस, मॉरीशस, रूस, पीएनजी तथा बांग्लादेश प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में बीआर आईएफआईसी में प्रकाशित आवृत्ति आवंटनों पर मौजूदा एवं सुनियोजित इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के मद्देनजर आपत्ति व्यक्त की गई।

पंजीकरण हेतु आवृत्ति नोटिस (भाग I -एस):- यू0के0, रूस, जापान, इटली तथा फ्रांस प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में बीआर आईएफआईसी में प्रकाशित आवृत्ति आवंटनों पर मौजूदा एवं सुनियोजित इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के मद्देनजर आपत्ति व्यक्त की गई।

परिशिष्ट -एपी 30बी के अनुसार एफएसएस प्लान: साइप्रस, यूएई, रूस, इजरायल, बेलारूस, फ्रांस, सउदी अरब, चीन, मलेशिया तथा मोनाको प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में आवृत्ति आवंटनों पर मौजूदा एवं सुनियोजित इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के मद्देनजर आपत्ति व्यक्त की गई।

परिशिष्ट - 30/30ए के अनुसार बीएसएस प्लान:- हॉलैंड, पीएनजी, लक्जमबर्ग, मलेशिया तथा यूएई प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में आवृत्ति आवंटनों पर मौजूदा एवं सुनियोजित इनसैट उपग्रह नेटवर्कों के मद्देनजर आपत्ति व्यक्त की गई।

अंतरराष्ट्रीय आवंटन सूचना परिपत्र (बीआरआईएफआईसी) के विशेष खंडों में निम्नलिखित भारतीय उपग्रह नेटवर्कों का प्रकाशन किया गया था:

पंजीकरण हेतु आवृत्ति आवंटन (भाग-II - एस, I - एस)

इनसैट - ईके 55 (55ई) इनसैट-केयू 10 (111.5ई) (111.5ई) उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में भाग II-एस प्रकाशित किया गया है।

इनसैट-2 (83) (83ई) उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में भाग I एस प्रकाशित किया गया है।

समन्वय अनुरोध (सीआर/सी)

भारत में क्रमशः 74, 81.5, 82, 83 तथा 93.5ई पर इनसैट-मेट; इनसैट-केयू 11 (48ई), इनसैट-केयू 11 (74ई), इनसैट-केयू 11 (83ई), इनसैट-केयू 11 (93.5), तथा इनसैट-केयू 11 (111.5ई) के संदर्भ में समन्वय अनुरोध रेडियो संचार ब्यूरो के अंतरराष्ट्रीय आवृत्ति सूचना परिपत्र (बीआरआईएफआईसी) में प्रकाशित किए गए हैं।

उन्नत प्रकाशन सूचना

एस्सेलैट-1 (98.5ई) उपग्रह नेटवर्क के संदर्भ में एपीआई/ए (मॉड) प्रकाशित किए गए हैं।
इनसैट- केए 82 (82ई) उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में एपीआई/ए (मॉड) प्रकाशित किए गए हैं।
यूथसैट (एनजीएसओ) उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में एपीआई/ए/ 6817 प्रकाशित किए गए हैं।
रिसोर्ससैट (एनजीएसओ) उपग्रह नेटवर्कों के संदर्भ में एपीआई/ए/ 8616 प्रकाशित किए गए हैं।



एफएसएस प्लान प्रकाशन (एपी30बी) तथा बीएसएस प्लान प्रकाशन (एपी 30/30ए)

शून्य

प्रशासनिक सामयिक तत्परता प्रकाशन:-

भारतीय प्रशासन की इनसैट-2 (83) (83ई) अवस्थिति के संदर्भ में आरईएस-49/1382 प्रकाशन के तहत सामयिक तत्परता के बारे में प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रीय बैठकें

उपग्रह प्रचालकों के साथ राष्ट्रीय स्तर की तीन बैठकें विभिन्न प्रकार के उपग्रह समन्वय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए की गईं। उपग्रह प्रचालकों के साथ दो-तीन बैठकें होनी संभावित हैं।

जनवरी-मार्च 2012 की अवधि हेतु प्रत्याशित लक्ष्य

आईटीयू के साथ समन्वय

अधिसूचनाएं:

रेडियो संचार ब्यूरो के बीआर आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु इनसैट-एनएवी-जीएस तथा इनसैट - एनएवी-ए-जीएस उपग्रह नेटवर्क के लिए पंजीकरण अनुरोध हेतु आवृत्ति नोटिस

समन्वय अनुरोध:

विभिन्न अवस्थितियों के इनसैट-एनएवीआर तथा इनसैट-एनएवी - एनजीएसए उपग्रह नेटवर्क के संदर्भ में समन्वय अनुरोध रेडियो संचार ब्यूरो के बीआर आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु आईटीयू को भेज दिया गया है।

उन्नत प्रकाशन सूचना:

किसी नए नेटवर्क की उन्नत प्रकाशन सूचना, डीओएस द्वारा कभी भी अनुरोध किए जाने पर, आईएफआईसी में प्रकाशन हेतु बीआर को भेजी जाएगी।

सम्मेलन:

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और एशिया प्रशान्त टेलीक्युनिटी (एपीटी) के तत्वावधान में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी की, इनमें भाग लिया और अनुवर्ती कार्रवाई की ताकि विशेषकर स्पैक्ट्रम प्रबंधन तथा रेडियो संचार से संबंधित मामलों के संदर्भ में राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके।



राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना (एनएफएपी)

राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना-2011 के मसौदे को सभी स्टेकधारकों के साथ विचार-विमर्श करके अंतिम रूप दिया गया तथा इसे अप्रैल 2011 में डब्ल्यूपीसी स्कंध की वेबसाइट पर डाल दिया गया ।

माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने दिनांक 30 सितंबर, 2011 का अनावरण किया। एनएफएपी-2011 दिनांक 1 अक्टूबर, 2011 से लागू है।

राष्ट्रीय तैयारी समिति (एनपीसी)

डब्ल्यूआरसी-12 के लिए एनपीसी, जिसका गठन सम्मेलन के कार्य हेतु भारतीय प्रस्तावों को प्रतिपादित करने और अन्य प्रशासकों के प्रस्तावों पर भारतीय दृष्टिकोणों को अंतिम रूप देने के लिए डब्ल्यूआरसी-12 की कार्यसूची के विभिन्न मदों के बारे में राष्ट्रीय विचारों का समन्वय और सुमेलित करने के लिए किया गया है, की बैठक चार बार हुई।

आईटीयू-आर विश्व रेडियो संचार सम्मेलन-2012 (डब्ल्यूआरसी-12) की कार्यसूची के विभिन्न मदों के संबंध में पांच भारतीय प्रस्तावों को आईटीयू -आर डब्ल्यूआरसी-12 के विचार हेतु प्रारंभिक एपीटी साझा प्रस्ताव में शामिल किया गया था, जो 23 जनवरी से 17 फरवरी, 2012 की अवधि के दौरान जनेवा में आयोजित होने वाला था।

डब्ल्यूआरसी-12 के 9 सूत्रीय मदों पर तैतीस भारतीय प्रस्तावों को एनपीसी बैठक में अंतिम रूप दिया गया था, तथा 23 जनवरी से 17 फरवरी, 2012 तक जिनिवा में डब्ल्यूआरसी-12 की बैठक के दौरान राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए डब्ल्यूआरसी-12 के विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया था।

परियोजना कार्यान्वयन :

राष्ट्रीय रेडियो स्पेक्ट्रम प्रबंधन और अनुश्रवण प्रणाली (एनआरएसएमएमएस) " परियोजना की डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापना और उसे चालू करने के कार्य को डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना के अधीन, स्पेक्ट्रम प्रबंधन और अनुश्रवण कार्यों को स्वचालित किया गया है ताकि इन गतिविधियों को और अधिक प्रभावी और कुशलतापूर्ण बनाया जा सके।

अप्रैल से दिसंबर, 2011 तक की वास्तविक उपलब्धियां :

- एनआरएसएमएमएस संविदा के एसएचएफ भाग (फिक्सड और मोबाइल) को रद्द कर दिया गया है। बैंक प्रतिभूतियों को भुना कर परियोजना के एसएचएफ भाग को रद्द करने के विरुद्ध एसएचएफ और परिनिर्धारित नुकसानी प्रभारों के विरुद्ध वसूलियां की गई हैं।
- संविदाकार के साथ वार्षिक अनुसंधान संविदा (एएमसी) को रद्द करने के पश्चात डब्ल्यूपीसी/डब्ल्यूएमओ अधिकारियों और स्टाफ द्वारा एनआरएसएमएमएस परियोजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं का रखरखाव किया जा रहा है।
- संविदाकार ने विवादों को न्यायनिर्णयन के लिए भेज दिया है जिन्हे जून, 2011 में पूरा कर दिया गया। विभाग ने न्यायनिर्णायक की रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया है।



- दोनों संविदाकारों ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में मामले दर्ज कराए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय दोहरी पीठ के समक्ष मैसर्स थेल्स, फ्रांस द्वारा भी एक एफएओ (ओएस) दर्ज कराया गया था। तथापि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोनो ओएमपीएस और एफएओ (ओएस) का निपटारा कर दिया गया है।
- संविदाकारों ने बैंक प्रतिभूतियों को भुनाने के नोटिस के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष मामले दर्ज कराए हैं। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा इन मामलों का निपटारा कर दिया गया है।
- विभाग द्वारा न्यायनिर्णायक की रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया गया है तथा संविदा खंड के अनुसार विवादों के निपटारे के लिए माध्यस्थम स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। माध्यस्थम के साथ कार्यवाही करने के लिए नियोक्ता की ओर से माध्यस्थ की भी नियुक्ति की गई है।

जनवरी से मार्च, 2012 तक प्रत्याशित उपलब्धियां

- माध्यस्थम का अनुवर्तन करना
- एनआरएसएमएमएस परियोजना के अंतर्गत संस्थापित सुविधाओं के अनुरक्षण की निगरानी
- माध्यस्थ द्वारा यथा निर्धारित संविदाकारों को स्पिल ओवर भुगतान करना

विनियम

अप्रैल - दिसंबर, 2011 की अवधि के लिए वास्तविक उपलब्धियां, कार्यकलाप और कार्य-निष्पादन :

विनियम प्रकोष्ठ क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालयों, ट्राई, डीजीएफटी आदि के साथ समन्वय बनाने के लिए भारतीय बेतार अधिनियम, 1885 की धारा 4 और 10 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धाराओं 4 और 7 के तहत मौजूदा नियमों के तहत नए नियमों और संसोधन के निर्माण के प्रति उत्तरदायी है।

फ्रीक्वेंसी बैंड 433-434 मेगाहर्ट्ज को लाइसेंस मुक्त करने का प्रस्ताव :

विभिन्न आवेदकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर फ्रीक्वेंसी बैंड 433-434 मेगाहर्ट्ज में कम शक्ति के रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरणों के प्रयोग के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड 433-434 मेगाहर्ट्ज को लाइसेंस मुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है ताकि गैर व्यक्तिकरण, गैर सुरक्षा और साझा (गैर अनन्य) आधार पर कतिपय तकनीकी पैरामीटरों के अनुपालन के अधधीन बैंड में लाइसेंस मुक्त दशाओं में कार्य किया जा सके।



उपलब्धियां	वास्तविक 2011-12	अनुमानित जनवरी-मार्च 2012
1.1 रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबंधन		
विभिन्न प्रयोक्ताओं को प्राधिकृत नई रेडियो फ्रीक्वेंसी	123385	26391
पंजीकरण हेतु आईटीयू के रेडियो संचार ब्यूरो को सूचित फ्रीक्वेंसी आवंटन	-	-
अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे के लिए आवंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी	-	-
एसएसीएफए (फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) की आयोजित बैठकें	-	-
आयोजित अंतर-विभागीय बैठकों की सं०	-	-
नए बेतार केंद्रों हेतु स्वीकृत स्थल	205168	70000
विशेष मानीटरिंग मामलों की संख्या	-	-
1.1 जारी किए गए बेतार लाइसेंस		
जारी किए गए आयात लाइसेंसों की सं०	2405	904
नए बेतार केंद्रों को जारी किए गए लाइसेंसों की सं०	102420	27211
नवीकृत लाइसेंसों (बेतार केंद्रों हेतु) की सं०	39686	12226
1.1 प्रवीणता प्रमाण-पत्र (सीओपी) परीक्षा/लाइसेंस		
आयोजित प्रवीणता प्रमाण-पत्र परीक्षाओं की सं०	41	13
दाखिल किए गए उम्मीदवारों की सं०	8175	4875
जारी किये गए लाइसेंसों की सं०	3064	1599
नवीकृत लाइसेंसों की सं०	3673	1185
नए रेडियो एमेच्योर केंद्रों को जारी लाइसेंसों की सं०	161	100
पुराने रेडियो एमेच्योर केंद्रों हेतु नवीकृत लाइसेंसों की सं०	275	150



बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ)

बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ) 3जी, बीडब्ल्यूए इत्यादि जैसी नई सेवाएं प्रारंभ करने के लिए तेजी से संकुलित होते रेडियो वातावरण में डब्ल्यूपीसी स्कंध को आवश्यक तकनीकी डाटा प्रदान करने के साथ-साथ बाधा रहित बेतार सेवाएं सतत रूप से प्रदान कर रहा है।

रेडियो मॉनीटरिंग - एक विनियामक और संधिपरक अपेक्षा

रेडियो मॉनीटरिंग सेवा, एक विनियामक और संधिपरक अपेक्षा का क्रियान्वयन बेतार अनुश्रवण संगठन, बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध (डब्ल्यूपीसी विंग), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। यह अनिवार्यतः तकनीकी प्रकृति का मामला है और इसके प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संधिपरक दस्तावेज़ - अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के रेडियो विनियमन से लिए गए हैं।

रेडियो विनियम की प्रस्तावना में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रत्येक सदस्य देश की रेडियो मॉनीटरिंग सेवा के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित हैं।

- रेडियो-फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और भूस्थानिक-उपग्रह कक्ष के प्राकृतिक संसाधनों तक साम्ययुक्त अभिगम्यता और उनके युक्तिसंगत उपयोग को सुगम बनाना ;
- विपत्ति और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई फ्रीक्वेंसियों की खतरनाक व्यतिकरण से रक्षा करना और इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना ;
- विभिन्न प्रशासनों की रेडियो सेवाओं के बीच खतरनाक व्यतिकरण के मामलों से बचने और उनको निपटाने में सहायता करना ;
- सभी रेडियो संचार सेवाओं के दक्ष और प्रभावी प्रचालन को सुगम बनाना ;
- रेडियो-संचार प्रौद्योगिकी के नए अनुप्रयोगों को, जहां आवश्यक हो, उपलब्ध कराना और नियंत्रित करना।

बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ) के प्रमुख कार्य

डब्ल्यूएमओ के प्रमुख कार्यों के रूप में ऊपर सूचीबद्ध उद्देश्यों के साथ, राष्ट्रीय स्पैक्ट्रम प्रबंधन निकाय-डब्ल्यूपीसी स्कंध - को डब्ल्यूएमओ से अनेक सेवाओं की अपेक्षा है। व्यावहारिक रूप से, डब्ल्यूएमओ के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :-

खतरनाक व्यतिकरण का समाधान ;

नई सेवाएं प्रारंभ करने और/या मौजूदा सेवाओं हेतु अतिरिक्त आवंटन के लिए फ्रीक्वेंसी उप-बैंडों की पहचान के लिए मॉनीटरिंग ;

प्राधिकृत एजेंसियों से अप्रयुक्त/कम-प्रयुक्त फ्रीक्वेंसी के संबंध में स्पैक्ट्रम की वापसी के लिए मॉनीटरिंग ;



लाइसेंसिंग शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग ;

घरेलू बेतार प्रयोक्ताओं को सहायता ;

विदेशी प्रशासन को सहायता ;

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विशेष मॉनीटरिंग अभियानों में भागीदारी ;

नए रेडियो संचार मानकों के लागू किए जाने की संभावना और साथ ही प्रस्तावित नए अधिष्ठापनों की ईएमसी अनुरूपता का अध्ययन करने के लिए रेडियो उत्सर्जनों (इरादतन और गैर-इरादतन) मापन ;

लाइसेंसीकृत अधिष्ठापनों का निरीक्षण ; और

प्राधिकृत उपग्रह पारोणों की रक्षा के लिए आकाशीय उत्सर्जनों की मॉनीटरिंग ।

डब्ल्यूएमओ के समक्ष चुनौतियां

समाज (सरकार और सार्वजनिक समान रूप से) की बेतार संचार पर बढ़ती निर्भरता के कारण डब्ल्यूएमओ से अपेक्षा की जाती है कि वह रेडियो संचार का निर्बाध वातावरण सुनिश्चित करे। अतः फिलहाल डब्ल्यूएमओ का ध्यान प्राथमिक रूप से सार्वजनिक मोबाइल रेडियो संचार सेवाओं, सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं और जीवन-सुरक्षा सेवाओं पर है। डब्ल्यूएमओ बाधा रहित वातावरण में इन सेवाओं का सतत प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों—जन-शक्ति और मशीनी-शक्ति—पर गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहा है। इन सेवाओं के बाधा रहित प्रचालन का प्राथमिक कारण समग्र समाज को अत्यधिक महत्व देने में निहित है। सार्वजनिक मोबाइल सेल्युलर सेवा के संबंध में, डब्ल्यूएमओ के दो उद्देश्य हैं : (i) विभिन्न कारणों की वजह से होने वाली बाधा के स्रोतों को पहचानना और उन्हें दूर करना और (ii) मौजूदा 2जी सेवाओं के विस्तार और 3जी सेवाओं की शुरुआत के लिए अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को प्राप्त करना। जहां तक सार्वजनिक प्रसारण का संबंध है, इसके पारिषणसे एयरोनोटिकल मोबाइल संचार (नागर विमानन) पर प्रभाव पड़ता देखा गया है और इससे लाइसेंसिकरण के मानदंडों का उल्लंघन भी होता है। इन अतिमहत्वपूर्ण सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएमओ ग्राहकों के अनुकूल रेडियो अनुश्रवण उत्पादों के अधिप्रापण पर कार्य कर रहा है। रेडियो मानीटरिंग के सेवा संबंधी पहलु के अलावा..

सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए, 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के तहत चालू वित्तीय वर्ष में भुवनेश्वर, देहरादून, लखनऊ, पटना, रायपुर और विजयवाड़ा में छह नए बेतार अनुश्रवण स्टेशन स्थापित किए गए हैं। कार्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु इन छह नए मॉनीटरिंग स्टेशनों में प्रत्येक में एक तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति की गई है। इन छह अतिरिक्त बेतार अनुश्रवण स्टेशनों के लिए तकनीकी अवसंरचना अन्य बेतार अनुश्रवण स्टेशनों के पास मौजूदा उपलब्ध अवसंरचना की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से सार्वजनिक मोबाइल तथा प्रसारण सेवाओं की अनुश्रवण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इस प्रयोजनार्थ डब्ल्यूएमओ ने "पोर्टेबल मानीटरिंग उपस्कर युक्त छह वाहन आरोपित मानीटरिंग टर्मिनल तथा नेटवर्क विश्लेषण एवं कवरेज मापक उपस्करों" के प्रापण हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन सुविधाओं की अनुमानित लागत 28.0 करोड़ रु0 है और प्रापण र्वा 2012-13 में प्रभावी हो सकेगा।



नए बेतार अनुश्रवण केंद्रों के लिए भूमि के प्रापण के मामले को वर्ष 2007 में संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष उठाया गया था। डब्ल्यूएमओ निरन्तर प्रयास से बेतार अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से भुवनेश्वर, देहरादून और नया रायपुर में पहले ही भूमि का प्रापण कर चुका है।

डब्ल्यूएमओ अत्यधिक संकुलित रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम से उत्पन्न नई अनुश्रवण चुनौतियों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक ढंग से निपटाता है। डब्ल्यूएमओ ने नई प्रौद्योगिकियों को लाने और क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाए हैं। जहां तक नई प्रौद्योगिकियों का संबंध है साफ्टवेयर और हार्डवेयर का अधिप्रापण पहले ही प्रारंभ कर दिया गया है। अनुश्रवण और सूचना प्रौद्योगिकी पर गहन प्रशिक्षण का लक्ष्य क्षमता-निर्माण है। इन दोनों पहलुओं को संयुक्त रूप से अनुश्रवण मुख्यालय और प्रशिक्षण व विकास केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

जालना (महाराष्ट्र) में स्थित उपग्रह अनुश्रवण भू-केन्द्र भारत से संबंधित ज्यो-आर्क में स्थित सभी उपग्रहों से प्राप्त सिगनलों का अनुश्रवण सतत रूप से कर रहा है। निकट भविष्य में इसके मापन प्रकार्यात्मकता को बढ़ाने की योजना है।

विशाखापट्टनम और भोपाल में निर्मित दो नए भवनों से बेतार अनुश्रवण केंद्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इस स्थानों पर स्थित बेतार अनुश्रवण केन्द्रों ने नए निर्मित भवनों से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। जालंधर, मैंगलोर और सिलिगुडी स्थित बेतार अनुश्रवण केन्द्रों के कार्यालय भवनों के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया है। बेतार अनुश्रवण केंद्र, मैंगलोर के कार्यालय भवन का निर्माण पूरा होने के चरण में है। इसके अतिरिक्त, नागपुर में नए भवनों के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किया गया प्रारंभिक प्राक्कलन वित्तीय सहमति हेतु प्रक्रियाधीन है।

डब्ल्यूएमओ ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त दूरसंचार सुधार परियोजना के माध्यम से रेडियो स्पेक्ट्रम अनुश्रवण क्षमताओं का व्यापक आधुनिकीकरण किया है। इस परियोजना के तहत 21वीं/यूएचएफ मोबाइल अनुश्रवण टर्मिनलों का अधिप्रापण किया गया। इसके अतिरिक्त एचएफ और डीएफ सुविधाओं को भी हासिल किया गया है।



चालू वर्ष अर्थात् 01.04.2011 से 31.12.2011 तक के पहले नौ माह के दौरान सांख्यिकीय निष्पादन संबंधी आंकड़ें और 01.01.2012 से 31.03.2012 तक के दौरान अनुमानित निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र० सं०	मर्दे	अप्रैल-दिसंबर 2011 के दौरान वास्तविक उपलब्धियां	जनवरी-मार्च 2012 के दौरान अनुमानित उपलब्धि
1.	निपटाए गए मानीटरिंग कार्य	8125	2800
2.	मानीटर किए गए बेतार पारेषणों की सं०	105632	35000
3.	विनिर्दिष्ट मानकों के भीतर अपना प्रचालन बनाए रखने के लिए दी गई तकनीकी सहायता	515	200
4.	सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु विभिन्न बेतार प्रयोक्ता को सूचित अतिलंघनों की संख्या	3347	1100
5.	रेडियो मानीटरिंग हेतु प्रयुक्त चैनल दिवस	4784	1595
6.	निरीक्षण किए गए बेतार केन्द्रों की संख्या	6886	2295
7.	रेडियो नॉयज मापकों की संख्या	197635	44000
8.	निपटाई गई अति प्राथमिकता व्यतिकरण संबंधी शिकायतों की संख्या	61	20
9.	निपटाई गई मानक व्यतिकरण संबंधी शिकायतों की संख्या	11	4
10.	उच्च स्तरीय तकनीकी कार्य हेतु श्रम दिवसों की संख्या	336	120
11.	आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या	04	03
12.	प्रशिक्षण हेतु श्रम दिवसों की संख्या	330	250





III.2 दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र

दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र, दूरसंचार विभाग का तकनीकी स्तंभ है। अन्य बातों के साथ-साथ इसके निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं :-

- भारतीय दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के प्रचालकों हेतु मानक और विनिर्देशन तैयार करना।
- उपस्कर और सेवाओं का मूल्यांकन करना।
- उपस्कर, प्रौद्योगिकी और सेवाओं हेतु अनुमोदन देना।
- नई प्रौद्योगिकी और सेवाओं का अध्ययन करना तथा भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में इन्हें लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग को तकनीकी सलाह प्रदान करना।
- दूरसंचार विभाग को तकनीकी और परामर्शी सहायता प्रदान करना।
- दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर ट्राई, टीडीएसएटी, यूएसओएफ, बीएसएनएल और एमटीएनएल को तकनीकी सलाह देना।
- दूरसंचार विभाग की मूलभूत तकनीकी योजनाएं तैयार करना।
- दूरसंचार विभाग के माध्यम से एपीटी, ईटीएसआई और आईटीयू आदि जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से तालमेल करना।
- एमआरए के लक्ष्यों का विस्तार करने के लिए सुविधाओं का सृजन।
- अनुसंधान और विकास के परिणामों और अद्यतन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आवश्यक दक्षता विकसित करना।
- दूरसंचार विभाग स्तर पर नीति नियोजन हेतु, दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकासों से संबंधित ब्यौरे प्रदान करने के लिए सी-डॉट के साथ समन्वय करना।

उपलब्धियां

1. अप्रैल, 2011 से दिसंबर, 2011 तक की अवधि के दौरान, टीईसी ने 7 नए जीआर/आईआर और संशोधित 17 जीआर/आईआर जारी किए हैं। नए और संशोधित जीआर/आईआर के लिए 24 जांच अनुसूचियों/जांच प्रक्रिया तैयार की गई थीं।
2. उपस्कर प्रौद्योगिकी और सेवाओं के लिए तदनुसार अनुमोदन हेतु इनके कार्यकलाप के भाग के रूप में केंद्र ने अप्रैल-दिसंबर, 2011 की अवधि के दौरान निम्नलिखित अनुमोदन जारी किए हैं :-
 - अन्य नेटवर्क के साथ अंतपृष्ठ उपस्कर के लिए 111 अंतपृष्ठ अनुमोदनों को जारी किया गया।
 - निजी प्रचालकों के नेटवर्क के लिए अनुमोदन संबंधी 50 प्रमाणपत्र जारी किए गए।
 - उपस्कर के लिए 8 ट्राईप अनुमोदन/सेवा अनुमोदन जारी किए गए।
3. अप्रैल, 2011 से दिसंबर 2011 की अवधि के दौरान विभिन्न विक्रेताओं से जांच शुल्क और दस्तावेजों की बिक्री के रूप में संकलित किया गया राजस्व 1.26 करोड़ ₹ था।
4. केंद्र दूरसंचार विभाग, ट्राई और टीडीएसएटी को स्विचिंग और पारेषण संबंधी मुद्दों पर सतत रूप से विशेषज्ञ की राय भेजता है।



5. नवीन प्रौद्योगिकियों में अद्यतन विकास कार्यों के साथ-साथ चलने और भारत के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से टीईसी ने बहुत सी अंतरराष्ट्रीय बैठकों में सहभागिता की है तथा प्रस्तुतीकरण किया है। ऐसी अंतरराष्ट्रीय बैठकों जिसमें टीईसी ने भाग लिया है निम्नलिखित हैं :-
- पूसान, कोरिया में "4जी मोबाइल (आईएमटी एडवांस्ड) प्रणाली पर आईटीयू-एसपी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण।
 - सैन जोस, अमरीका में एनजीएन प्रयोगशाला परियोजना के लिए अध्ययन संबंधी दौरा।
 - बैंगकोक, थाइलैंड में "आईसीटी पर एशिया पैसिफिक रिजनल फोरम"।
 - जिनेवा में आईटीयू-टी अध्ययन समूह 15।
 - गोआ में आईटीयू-आर कार्यदल 5 डी की बैठक।
 - जिनेवा में आईटीयू-टी अध्ययन समूह 13।
 - जिनेवा में आईटीयू-टी अध्ययन समूह 11।
 - सियॉल, दक्षिण कोरिया में आईटीयू-टी अध्ययन समूह 5 की बैठक।
 - "उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए विनियामक ढांचा" पर ट्राई एपीटी कार्यशाला।
 - बुसान, दक्षिण कोरिया में आईपीवी 6 पर एपीएनआईसी-32 की बैठक।
 - बुसान, दक्षिण कोरिया में एपीजी 12-5 की बैठक।
 - वाइकोलोआ, हवाई, अमरीका में आईटीयू-आर डब्ल्यूपी 5 डी की बैठक।
 - जिनेवा में आईटीयू-डी/आईटीयू-आर संयुक्त सम्पर्क समूह की बैठक।
 - जिनेवा में आईटीयू-आर सलाहकार समूह की बैठक में सहभागिता की गई।
 - वाशिंगटन में भारत-अमरीका संयुक्त कार्यदल समूह की बैठक।
 - आईपीवी6 कार्यान्वयन और भारत तथा मलेशिया के बीच सहयोग के लिए मलेशिया के एनएवी6 शिष्टमंडल के साथ बैठक की गई।
6. अंतरराष्ट्रीय बैठके जिसमें टीईसी ने प्रस्तुतीकरण किया है :-
- दिल्ली में आईटीयू कार्यशाला में "भारत में मानकीकरण" पर प्रस्तुतीकरण।
 - जिनेवा में आईटीयू-टी अध्ययन समूह में "डीप पैकेट जांच में भारतीय योगदान" पर प्रस्तुतीकरण।
 - लखनऊ में "वायरलैस विजन" पर आईईटीई सम्मेलन में व्याख्यान दिया।
 - आईटीयू-टी अध्ययन समूह 13 में प्रस्तुत डीपीआई (डीप पैकेट निरीक्षण) में योगदान किया।
 - कम्प्युनिक एशिया 2011 सम्मेलन में "मोबाइल सेवा प्रदाता के लिए क्लाउड कम्प्यूटिंग, प्रासंगिकता पर पेपर स्वीकार किया गया तथा ये यह पेपर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया जिसकी बहुत सराहना की गई थी।
7. एएलटीटीसी गाजियाबाद में एनटीए का कार्यकरण
- एनटीआई द्वारा "रेडियो संचार" पर एक सप्ताह का पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।
 - एनटीआई द्वारा टीएन और चेन्नै टर्म प्रकोठों के सहयोग से "बीडब्ल्यूए" पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
 - एनटीआई द्वारा "मोबाइल रेडियो ट्रकिंग प्रौद्योगिकी" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
 - एनटीआई द्वारा "स्मार्ट ग्रिड अवसरों तथा चुनौतियों" पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
 - एनटीआई द्वारा मानक वर्तनी के प्रयोग के संबंध में जानकारी पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
 - एनटीआई द्वारा "आरटीआई अधिनियम, 2005" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
 - एनटीआई द्वारा नेटवर्कों का ढांचा इंटरकनेक्शनों तथा सेवा प्रदानगी पर एक सप्ताह के पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।
 - एनटीआई द्वारा "साइबर सुरक्षा" पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।



8. टीईसी ने विभिन्न राष्ट्रीय कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठके आयोजित की है।
9. इस अवधि के दौरान टीईसी द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :-
 - टीईसी में एक सम्मेलन का आयोजन करके "विश्व आईसीटी और दूरसंचार दिवस" मनाया गया तथा भवन को रोशनी से सजाया गया।
 - विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर तिमाही टीईसी सूचना-पत्र जारी किए गए।
 - प्राकृतिक आपदाओं की आपात स्थिति के दौरान दूरसंचार सहायता के समन्वय तथा सेवा प्रदान करने के लिए "मानक क्रियात्मक प्रक्रिया (एसओपी)" पर बैठक में सहभागिता की गई।
 - "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन किया गया।
 - "डीप पैकेट जांच" पर श्वेत पत्र जारी किया गया।
 - बीआईएस ईटी-11 बैठक में सहभागिता की गई।
 - गृह मंत्रालय में सुरक्षा से संबंधित बैठक में सहभागिता की गई।
 - सलाहकार"टी" द्वारा "ग्रामीण संचार" पर सार-संग्रह जारी किया गया।
 - दिनांक 14.09.2011 से "हिन्दी पखवाड़े" का आयोजन किया गया।
 - गुवाहाटी में "आईपीवी 6 अनुप्रयोग और रोडमैप" पर बैठक में सहभागिता की गई।
 - ट्राई सम्मेलन में "एनजीएन नंबरिंग और एड्रेसिंग" तथा "भारतीय सन्दर्भ में एनजीएन मानकों और अंतपृष्ठों" पर विवरण प्रस्तुत किया गया।
 - हिंदी वार्षिक गृह पत्रिका "टीईसी संचारिका 2011" का प्रकाशन किया गया।
 - सचिव, दूरसंचार विभाग द्वारा "आईपीवी6 कार्यकलाप" पर सार-संग्रह जारी किया गया।





III. 3 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

संगठनात्मक ढांचा

संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के अध्यक्ष प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि हैं, जिन्हें निधि की देखरेख के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रशासक, यूएसओएफ को यूएसओ निधि स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करने तथा यूएसओएफ से निधियों का संवितरण करने का अधिकार प्राप्त है। इनका कार्यालय दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

चालू कार्यकलापों की वर्तमान स्थिति :

सार्वजनिक अभिगम

देश में 100 से कम जनसंख्या वाले गांवों, घने वन क्षेत्रों में स्थित और उग्रवाद से प्रभावित गांवों को छोड़कर 62302 सुविधारहित गांवों में वीपीटी प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने हेतु नवम्बर, 2004 में मैसर्स बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इन गांवों में वीपीटी प्रदान करने के कार्य को भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार 62046 वीपीटी प्रदान किए गए हैं।

2011-12 के दौरान दिसम्बर, 2010 तक वास्तविक उपलब्धियां	जनवरी-मार्च, 2012 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियां
16	256

2001 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले गांवों में कार्यरत वीपीटी का मौजूदा वीपीटी और भारत निर्माण के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए वीपीटी को ध्यान में रखकर सामंजस्य किया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार दिनांक 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार शेष सभी 62443 आबादी वाले गांवों को जनसंख्या, दूरस्थता, पहुंच और कानून तथा व्यवस्था के मानदंडों को ध्यान में न रखते हुए, इस स्कीम के अंतर्गत यूएसओ निधि से आर्थिक सहायता प्रदान कर वीपीटी उपलब्ध कराने के लिए शामिल किया गया है। इस संबंध में दिनांक 27.02.2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के अंतर्गत, दिनांक 31.12.2011 तक 52086 वीपीटी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष वीपीटी चरणबद्ध रूप में मई, 2012 तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। सांख्यिकीय अनुपूरक पर अध्याय की तालिका 4 पर दिए ब्योरानुसार 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार, कुल 593601 आबादी वाले गांवों में से कुल 579888 गांवों को वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वीपीटी की सुविधा प्रदान कर दी गई है।

वर्ष 2011-12 के दौरान दिसम्बर, 2011 तक वास्तविक उपलब्धियां	जनवरी-मार्च, 2012 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियां
726	9274



ऐसे 185121 वीपीटी जो पहले मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी के आधार पर कार्य कर रहे थे और दिनांक 01.04.2002 से पहले संस्थापित किए गए थे, को सितंबर 2003 और मार्च 2004 में बदलने के लिए मैसर्स बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए थे। दिनांक 31.12.2011 तक मै0 बीएसएनएल द्वारा कुल 1,84,775 एमएआरआर वीपीटी बदले जा चुके हैं।

2011-12 के दौरान दिसम्बर, 2011 तक वास्तविक उपलब्धियां	जनवरी-मार्च, 2012 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियां
105	346

वैयक्तिक अभिगम

बीएसएनएल के साथ दिनांक 12.03.2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें एडीसी को समाप्त किए जाने के बदले दिनांक 01.04.2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों के प्रचालन को बनाए रखने के लिए यूएसओ निधि से बीएसएनएल को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 2000 करोड़ रु. की राज-सहायता प्रदान की जा रही है। दिनांक 30.11.2011 तक इस समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत यूएसओएफ से बीएसएनएल को 5907.61 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

मोबाइल सेवाओं के लिए अवसंरचना सहायता

ऐसे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र जहां मौजूदा फिक्सड वायरलैस और मोबाइल कवरेज नहीं हैं, में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से, 27 राज्यों के 500 जिलों में 7353 अवसंरचना स्थलों/टॉवरों (7871 से संशोधित) को संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूएसओ निधि से एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे गांव अथवा गांवों के समूह जिनकी जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है तथा जहां मोबाइल कवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, में टावर संस्थापित करने के लिए विचार किया गया है। करार की शर्तों के अनुसार वास्तविक फील्ड सर्वेक्षण और प्राप्त सुविधा के आधार पर टॉवरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। दिनांक 01.06.2007 से प्रभावी इस करार को मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 7296 टॉवर स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार सृजित अवसंरचना का उपयोग करते हुए, विभिन्न सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं द्वारा बीटीएस शुरू किए जा रहे हैं और इन टावरों से चरणबद्ध तरीके से मोबाइल सेवाएं शुरू कर दी गई हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान दिसम्बर, 2011 तक वास्तविक उपलब्धियां	जनवरी-मार्च, 2012 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियां
20	57

गांव स्तर तक वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता के प्रावधान के विस्तार के लिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड स्कीम

मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना और कॉपर वायरलाइन नेटवर्क को स्तरोन्नत करके ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वायर लाइन ब्रॉडबैंड संयोजकता उपलब्ध कराने के लिए यूएसओएफ ने ग्रामीण वायरलाइन ब्राडबैंड स्कीम के अंतर्गत 20 जनवरी, 2009 को बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति कम से कम 512 केबीपीएस रहेगी। बीएसएनएल द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात् 2014 तक एकल प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थानों को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथा 28,672 कियोस्क उपलब्ध कराए



जाएंगे। यह राज-सहायता (i) ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई), कम्प्यूटर/ कम्प्यूटिंग उपकरण और (ii) ब्रॉडबैंड सेवा की सार्वजनिक अभिगम्यता के लिए कियोस्कों की स्थापना करने के लिए है। 5 वर्ष की अवधि में अनुमानित राज-सहायता 1500 करोड़ रु० की है जिसमें 9 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शनों, ग्राहक परिसर उपस्करों, कम्प्यूटर/कम्प्यूटिंग उपकरणों और कियोस्कों के लिए सब्सिडी भी शामिल है। दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कुल 3,38,617 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं तथा 6729 क्योस्क स्थापित किए गए हैं।

2011-12 के दौरान (नवम्बर, 2011 तक) वास्तविक उपलब्धियां	दिसम्बर, 2011-मार्च 2012 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियां
72679 ब्रॉडबैंड कनेक्शन और 2537 क्योस्क	177321 ब्रॉडबैंड कनेक्शन और 5463 क्योस्क

असम सेवा क्षेत्र में अंतरा-जिला उपमंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्धन, सर्जन और प्रबंधन।

यूएसओएफ ने वायस और डाटा परियात को अभिगम नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मुख्य नेटवर्क पर समाकलित करने के लिए पर्याप्त बैंक-हॉल क्षमता प्रदान करने के मद्देनजर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ओएफसी नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए पहल की है। इस स्कीम के तहत आरंभ में जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के बीच ओएफसी नेटवर्क बिछाने का विचार किया जाता है। इस स्कीम के माध्यम से यूएसओएफ जिले के भीतर उपमंडल मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क के संवर्द्धन, सर्जन और प्रबंधन के लिए सब्सिडी सहायता इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि करार में निर्धारित दरों पर इस नेटवर्क को अन्य प्रचालकों के साथ साझा किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम असम को लिया गया है। असम के लिए निविदा दिनांक 30.10.2009 को प्रारंभ की गई थी और बीएसएनएल को 98.89 करोड़ रु० की सब्सिडी दर पर सफल घोषित किया गया है और तत्पश्चात असम में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 12.2.2010 को बीएसएनएल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 18 महीने के भीतर असम के सभी जिलों में इंटीग्रेटेड वॉएस, डाटा और वीडियो सिग्नलों के लिए टीडीएम, आईपी, फ्रेम रिले, एटीएम इत्यादि सहित विभिन्न प्रोटोकॉलों के दक्ष परियात की क्षमता के साथ केबल रूट भिन्नता और कम से कम 2.5 जीबीपीएस की रिंग क्षमता सुनिश्चित करते हुए सभी स्थलों को जिला मुख्यालय नोड के साथ वास्तविक ओएफसी रिंग रूट पर जोड़ा जाएगा। यह करार प्रभावी तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। इस स्कीम के तहत प्राप्त की गई राज-सहायता से तैयार की गई बैंडविड्थ क्षमता को कम से कम 70% असम के क्षेत्रों में लाइसेंसधारक सेवा प्रदाताओं द्वारा ट्राई के चालू उच्चतम प्रशुल्कों के 26.22% से कम की दरों पर साझा किया जाएगा। दिनांक 30.11.2010 की स्थिति के अनुसार 354 में से लगभग 174 नोड्स स्थापित कर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के द्वारा ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी : सरकार ने 20,000 करोड़ रु० की लागत से सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए अक्टूबर, 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हेतु एक परियोजना का अनुमोदन किया है। इस योजना के तहत पंचायतों तक मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा नागरिकों को बिना किसी भेदभाव पूर्ण तरीके के विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए यह नेटवर्क उपलब्ध होगा। यह नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में वायस, डाटा और वीडियो के पारेषण के लिए एक हाइवे प्रदान करेगा। यह 2 एमबीपीएस तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को



सक्षम बनाएगा जिससे लागों को और व्यापार के लिए ई-शिक्षा, ई-स्वस्थ, ई-मनोरंजन, ई-वाणिज्य, ई-शासन आदि जैसी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगीं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग, विधार्थी, उद्यमी, ई-शासन परियोजना के तहत सेवा प्रदान कर रहे विभिन्न सरकारी विभागों को इससे लाभ होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) स्कूलों आदि जैसे विभिन्न सरकारी संस्थानों को भी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इससे विभिन्न सेवाएं प्रदान करने तथा दूरसंचार उपस्कर से संबंधित ब्रॉडबैंड के विनिर्माण दोनों के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ) द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इस परियोजना को विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) द्वारा निष्पादित किया जाएगा जो कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी होगी तथा आरंभ में सरकार और संबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां (सीपीएसयू) (बीएसएनएल, रेलटेल, पावरग्रिड, गेलटेल आदि) से इक्विटी भागीदारी के साथ केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में होंगी। विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) को स्थापित करने तथा उसके प्रचालन के लिए कार्रवाई की जा रही है।

निधियों के संवितरण और उपलब्धता की स्थिति

(करोड़ रु० में)

वित्तीय वर्ष	यूएसएल के रूप में संग्रहित निधियां	आवंटित निधियां	संवितरित निधियां	एलएफ और स्पक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति	बकाया
2002-03	1653.61	300.00	300.00	2300.00	
2003-04	2143.22	200.00	200.00	2300.00	
2004-05	3457.73	1314.59	1314.59	1765.68	
2005-06	3215.13	1766.85	1766.85	582.96	
2006-07	3940.73	1500.00	1500.00		
2007-08	5405.80	1290.00	1290.00		
2008-09	5515.14	1600.00	1600.00		
2009-10	5778.00	2400.00	2400.00		
2010-11	6114.56	3100.00	3100.00		
2011-12 (31.12.11)	3349.44 *	2100.00	1575.08		
कुल जोड़	40,573.36	13471.44	15046.52	6948.64	17646.69

नोट:-

1. यूएसएल संग्रहण वर्ष 2002-03 से आरंभ किया गया।
2. कॉलम (2) में यूएसएल संग्रहण आंकड़े दूरसंचार विभाग के लेखों में दर्ज आंकड़ों के अनुसार लिए गए हैं।
3. कॉलम (5) के अन्तर्गत भुगतान दिनांक 04.06.2008 के पत्र के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के निर्णय के अनुसार लिया गया है।

*दिनांक 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार।





III. 4 संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय

पेंशन और सेवांत हित लाभों के भुगतान के अलावा सभी दूरसंचार सर्किलों में दूरसंचार विभाग प्रकोष्ठों के प्रत्यायोजित कार्यों के दायरे में विस्तार हो जाने से इन दूरसंचार विभाग प्रकोष्ठों का नाम बदलकर संचार लेखा नियंत्रक का कार्यालय कर दिया गया। काफी लंबे समय से विभिन्न नीतिगत निर्णयों में संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों की अहम भूमिका रही है। संचार लेखा नियंत्रक यूनिट दूरसंचार विभाग और इसके विभिन्न स्टेक होल्डरों के बीच विभिन्न मुद्दों जैसे लाइसेंस शुल्क व स्पेक्ट्रम प्रभारों, यूएसओ निधि के संवितरण इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सहक्रिया विकसित करता रहा है।

संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों द्वारा निपादित किए जा रहे कार्य

समूचे देश में संचार लेखा नियंत्रक के 26 कार्यालय अवस्थित हैं और वे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करते हैं -

(क) सीमांत लाभों का संवितरण

(i) **पेंशन - केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के नियम 37 (क) के प्रख्यापन हो जाने से भारत संचार निगम लि0 में आमेलित पूर्ववर्ती सरकारी सेवकों के पेंशन के भुगतान में सरकार की अहम भूमिका है।** सीसीए यूनिट पेंशन संबंधी व्यय का बजट बनाने और सीडीए और आईडीए वेतनमान पर सेवानिवृत्ति हितलाभों का प्राधिकार बनाने के लिए जिम्मेदार है। इस समय, सीसीए कार्यालय दो लाख से अधिक पेंशनभोगियों को पेंशन का संवितरण कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष	पेंशन भोगियों की संख्या (लाखों में)	संवितरित पेंशन (करोड़ ₹0 में)
अप्रैल-दिसंबर, 2011	2.2	2915.01

(ii) **पेंशन अंशदान और छुट्टी का वेतन -** सीसीए कार्यालय सरकार द्वारा किए गए पेंशन अंशदान और छुट्टी के वेतन भुगतान के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशियों का संग्रहण उनकी जांच और मॉनीटरिंग के कार्य करते हैं।

(iii) **सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और दीर्घावधिक ऋणों का लेखाकरण -** सीसीए कार्यालय सामान्य भविष्य निधि, दीर्घावधिक ऋणों और अग्रिम राशियों के अनुरक्षण और उनकी वसूली/ उनके लेखाकरण के लिए भी उत्तरदायी हैं।

(iv) **लेखा परीक्षा संबंधी कार्य -** सीसीए कार्यालय पेंशनभोगियों को पेंशन और संबद्ध हितलाभों का भुगतान करने के लिए नामोद्विष्ट बैंकों और डाकघरों द्वारा किए गए संवितरण की उत्तर लेखापरीक्षा करते रहे हैं। सीसीए कार्यालय, वायरलैस मानीटोरिंग सेवाओं, दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन तथा मॉनीटरिंग प्रकोष्ठों, क्षेत्रीय दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्रों और क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालयों सहित फील्ड कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करते हैं।



- (v) **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय जनसूचना अधिकारी के रूप में कार्य करना:** सीसीए कार्यालयों द्वारा देखे जा रहे सभी मामलों के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का सरल प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सीसीए कार्यालयों के अधिकारियों को केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों (डीएए) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

(ख) लेखा

सीसीए कार्यालय विभागीय लेखा संगठन की बुनियादी इकाई है और टर्म, डब्ल्यूएमओ और आरएलओ जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पीएओ और डीडीओ का कार्य करता है। सीसीए कार्यालयों में सूचना प्रवृत्ति को प्रभावी रूप से लागू करते हुए लेखों-की तैयारी और प्रस्तुतिकरण को अत्यधिक रूप से सरल और कारगर बना दिया गया है। दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2011 में "ई-लेखा" के साथ सीओएमपीएसीटी(कामैक्ट) साफ्टवेयर के माध्यम से लेखों के प्रस्तुतिकरण को समग्र रूप से एकीकृत करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ई-लेखा महालेखा नियंत्रक(सीजीए) कार्यालय द्वारा ई-शासन संबंधी की गई एक पहल है जिसमें सभी मंत्रालयों द्वारा लेखों को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। इस एकीकरण के परिणामस्वरूप, लेखा-संबंधी ऑनलाइन सूचना; ई-लेखा की साईट पर वस्तु शीर्ष स्तर से प्रबंधन स्तर तक उपलब्ध है। प्रधान लेखा कार्यालय (दूरसंचार विभाग मुख्यालय) में आंकड़ों की हस्तलिखित सामग्री रखने का कार्य पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है।

(ग) मूल्यांकन और राजस्व संबंधी कार्य

- (i) **लाइसेंस शुल्क का संग्रहण** - सीसीए, सभी सेल्युलर, बुनियादी और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों से होने वाले राजस्व की हिस्सेदारी पर प्रतिशतता के रूप में लाइसेंस शुल्क का मूल्यांकन और संग्रहण करता है साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों नामतः एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) विवरणों और शपथपत्रों की जांच भी करता है। सीसीए कार्यालय यूएसएल/बुनियादी/सीएमटीएस/एनएलडी/अन्य सेवाओं के तहत लाइसेंसधारकों के लाइसेंस शुल्क संबंधी कार्य भी देखते हैं। हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने लाइसेंस करार में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा का अनुमोदन किया है जिसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा चुनौती दी गई थी। सरकार का वित्तीय हित सुरक्षित है और महत्वपूर्ण लाइसेंस शुल्क राजस्व अब मुकदमेंबाजी/विवाद के दायरे से बाहर है।
- (ii) **कटौतियों का सत्यापन** - लाइसेंस करार के अनुसार, लाइसेंसधारकों ने लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए समायोजित सकल राजस्व का आकलन करते समय कटौतियों का दावा किया था। इन कटौतियों (पारगमन प्रभारों, रोमिंग सेवा प्रभारों, बिक्री कर, सेवा कर के लिए) को सीसीए द्वारा तिमाही आधार पर सत्यापित किया जाता है। लाइसेंसधारकों द्वारा मांगी गई कटौतियां लाइसेंसों की विभिन्न श्रेणियों के तहत सकल राजस्व का 25% से 90% तक भिन्न-भिन्न होती हैं।
- (iii) **स्पैक्ट्रम प्रभारों का संग्रहण** - राजस्व हिस्सेदारी आधार पर सेल्युलर प्रचालकों के संबंध में स्पैक्ट्रम प्रभारों के संग्रहण से संबंधित कार्य 1 अप्रैल, 2004 से सीसीए कार्यालयों को प्रत्यायोजित किया गया है। स्पैक्ट्रम शुल्क प्रत्येक तिमाही में राजस्व की निर्धारित प्रतिशतता पर अग्रिम रूप से संग्रहित कर लिया जाता है।
- (iv) **वित्तीय बैंक गारंटियों का अनुरक्षण** - लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बैंक गारंटियों के अनुरक्षण, नवीकरण, संशोधन और भुनाने संबंधी कार्य सीसीए को सौंपे गए हैं।



- (v) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से संग्रहीत लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार भारत सरकार के गैर-कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। इस स्रोत से पिछले तीन वर्षों के दौरान संग्रहीत राशि नीचे सारणी में दी गई है:-

मदें	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (नवम्बर, 2011 तक)
लाइसेंस शुल्क	9511	9778.52	10286.44	5639.03
स्पेक्ट्रम प्रभार	3455	3809.54	3433.23	3722.63
नीलामी राजस्व			106264.73	

(घ) यूएसओ से संबंधित कार्य

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का संवितरण और उसकी निगरानी राज्य स्तर पर संचार लेखा नियंत्रक, के कार्यालयों द्वारा की जाती है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते समय संचार लेखा नियंत्रक द्वारा निधियों के संवितरण के पूर्व दावों का सत्यापन किया जाता है। दावों की सत्यता सिद्ध करने के लिए वे उनका वास्तविक निरीक्षण और निगरानी भी करते हैं। इसके अतिरिक्त सीसीए, सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक संपर्क स्थापित करने वाले कार्यालय के रूप में कार्य करता है। वे राज्य सरकारों से आपसी सम्पर्क भी करते हैं। वर्ष के दौरान यूएसओएफ द्वारा संवितरित राशि नीचे सारणी में दी गई है।

क्र०सं०	मदें	अप्रैल, से दिसंबर, 2011 तक वास्तविक उपलब्धियां	जनवरी से मार्च, 2012 के लिए प्रत्याशित संवितरण
1	संवितरित यूएसओ निधि	1575.08	74.92

प्रशासनिक कार्य

- (i) संचार लेखा नियंत्रक, दूरसंचार विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय डब्ल्यूएमओ और टीईआरएम प्रकोष्ठों के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी का कार्य कर रहे हैं। विभागाध्यक्ष (एचओडी) के रूप में अन्य प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के अलावा संचार लेखा नियंत्रक, क्षेत्रीय स्तर पर अदालती मुकदमों को भी देखते हैं जिनमें भारत सरकार, सेवा संबंधी मामलों और लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम प्रभार, पेंशन, आमेलन संबंधी मुद्दों इत्यादि के मामलों में एक पक्षकार के रूप में होती है। संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय पेंशन से संबंधित शिकायतों का निपटारा करने के लिए पेंशन अदालतों का भी आयोजन करते हैं।
- (ii) तार प्राधिकरण और इस सुविधा के प्रयोक्ता के बीच किसी विवाद की स्थिति में निर्णय करने के लिए विभाग द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7-ख के प्रावधानों के अनुसार विवाचक नियुक्त किए जाते हैं। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 300 के करीब विवाचक नियुक्त किए जाते हैं। हाल ही में विभाग ने भारत संचार निगम लि० और महानगर टेलीफोन निगम के बिलों संबंधी विवादों के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7-ख के तहत विवाचक नियुक्त करने की अपनी शक्तियां प्रधान नियंत्रक/संचार लेखा नियंत्रकों को प्रत्यायोजित कर दी हैं। ऐसा उपभोक्ताओं की अभिगम्यता बढ़ाने के लिए तथा शिकायत निपटान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए किया गया है।



- (iii) दूरसंचार विभाग ने, भूमि तथा भवन के रूप में बड़ी परिसंपत्तियों का मालिक होने के नाते भूमि तथा भवन संबंधी एक परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सीसीए कार्यालय, बीएसएनएल/एमटीएनएल अधिकारियों के पास दूरसंचार विभाग/भारत संचार निगम लि0/महानगर टेलीफोन निगम की भूमि होने का सत्यापन करते हैं। परिसंपत्ति रजिस्टर का रख-रखाव/ भारत संचार निगम लि0 को भूमि स्थानांतरित किए जाने का कार्य सीसीए, कार्यालयों द्वारा किया जाता है। दूरसंचार विभाग का भूमि एवं भवन परिसंपत्ति संबंधी रजिस्टर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित दूरसंचार विभाग की परिसंपत्ति वेबसाइट पर तैयार किया गया है, भूमि एवं भवन परिसंपत्ति की जीआईएस मैपिंग का कार्य एनआईसी द्वारा पूरा कर लिया गया है।

(च) राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान

राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान, (एनआईसीएफ) दूरसंचार विभाग और डाक विभाग में तैनात भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। एनआईसीएफ दूरसंचार नीतियों, योजना तथा लाइसेंसिंग, यूएसओ विनियम, डाक लेखा, डाक वित्त के लिए एक नोडल प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र का कार्य करता है।

एनआईसीएफ भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा के समूह "क" परिवीक्षाधीनों के लिए प्रवेश कालीन प्रशिक्षण आयोजित करता है जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं। प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समूह "ख" अधिकारियों के लिए भी आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान आईपी एंड टीएसएफएस परिवीक्षाधीनों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त, एनआईसीएफ द्वारा 30 लघु अवधि के सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नए पदोन्नत हुए एएओ के तीन बैचों को भी प्रवेशकालीन प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1994 बैच के आईपी एंड टीएसएफएस अधिकारियों का पहला मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया। वित्त-वर्ष 2010-11 के दौरान कुल मिलाकर 540 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।



राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान, घिठोरनी, नई दिल्ली में नींव समारोह में दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल एवं माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री सचिन पायलट।



इस समय एनआईसीएफ के दो कैम्पस हैं जिनमें एक गाजियाबाद में स्थित है और दूसरा गुडगांव-मेहरौली रोड, घिटरनी नई दिल्ली में है। गाजियाबाद कैम्पस, एएलटीटीएस, गाजियाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान को घिटरनी, मेहरौली-गुडगांव रोड, नई दिल्ली में एक और कैम्पस खोलने के लिए 53 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की भव्य उपस्थिति में माननीय संचार एवं सूचना मंत्री ने इस कैम्पस की नींव रखी। इस एनआईसी केन्द्र को माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा इसे संचार के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र बनाने के लिए और विश्वभर के संस्थानों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उभरने के लिए सौंपा है। इस परियोजना को चालू पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और योजना आयोग ने कैम्पस के निर्माण आदि के लिए निधियां आबंटित की हैं।





III. 5 सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

दूरसंचार विभाग के सतर्कता स्कंध को जनता, मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसे विभिन्न स्रोतों और एमटीएनएल/बीएसएनएल की फील्ड यूनिटों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके बाद दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए इन शिकायतों की जांच की जाती है। वर्ष 2011-12(अप्रैल-दिसम्बर) की अवधि के दौरान कुल 201 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 63 शिकायतों की जांच शुरू की गई। इसी अवधि के दौरान 23 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किये गए। अनुशासनिक कार्यवाही पूरी होने पर 104 अधिकारियों/कर्मचारियों को दीर्घ/लघु शास्ति द्वारा दंडित किया गया।

कर्मचारी प्रशिक्षण

सतर्कता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है। पांच दिवसीय सतर्कता और अनुशासनिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक वर्ष विभिन्न दूरसंचार सर्किलों को कवर किया जाता है। वर्ष 2011-12(अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान देश भर में ऐसे 16 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवधि के दौरान विभिन्न स्तरों के 297 अधिकारियों को सतर्कता और अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। ये प्रशिक्षित अधिकारी बाद में जांच अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अधिकारियों के पूल में शामिल किए जाते हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

दिनांक 31 अक्टूबर से 5 नवम्बर, 2011 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए निबंध, पहली और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

सतर्कता निकासी

यह सतर्कता विंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसकी आवश्यकता पदोन्नति, विदेश में प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति, अन्य संगठनों/विभागों में प्रतिनियुक्ति और पासपोर्ट आदि प्राप्त करते समय पड़ती है। इस अवधि के दौरान, 4,032 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए सतर्कता निकासी प्रदान की गई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श

केन्द्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जिसका सतर्कता संबंधी मामलों के लिए सभी मंत्रालयों/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि पर क्षेत्राधिकार है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ समुचित परामर्श प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। दूरसंचार विभाग का सतर्कता स्कंध दूरसंचार विभाग के सतर्कता संबंधी मामलों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करता है। चालू वर्ष के दौरान 176 सीवीसी शिकायतें प्राप्त हुईं और दिनांक 1 अप्रैल, 2011 की स्थिति के अनुसार 101 शिकायतें पहले से शेष थीं। इन कुल 277 शिकायतों में से 173 शिकायतों का निपटान कर दिया गया और दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार 104 मामले शेष थे।



जनवरी से मार्च, 2012 तक के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियां

- तीन (3) सतर्कता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाने का प्रस्ताव है जिनमें से प्रत्येक पाठ्यक्रम पांच दिन की अवधि का होगा।
- 1200 सतर्कता निकासी जारी किए जाने की संभावना है।
- दीर्घ शास्ति (राजपत्रित 03) और लघु शास्ति (राजपत्रित 03) लगाने हेतु अधिकारियों को आरोप पत्र दिया जाना।
- दीर्घ/लघु शास्ति लगाकर 10 अधिकारियों को दंडित किया जाना।
- राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध 02 अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान किया जाना।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सलाह देने के लिए भेजे जाने वाली सीबीआई रिपोर्टों की संख्या 02।
- निपटाए जाने वाले अपील मामलों की संख्या (समूह क 02, एवं समूह ख 10)।

वर्ष 2011-12(अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान विभागीय सतर्कता क्रियाकलापों का सांख्यिकीय सार

क्रम सं०	क्रियाकलाप	श्रेणी	वास्तविक
1.	इस अवधि के दौरान छानबीन की गई शिकायतों की सं०		201
2.	अधिकारियों की संख्या जिन्हें आरोप पत्र दिए गए		23
	(क) दीर्घ शास्ति	राजपत्रित	12
		अराजपत्रित	-
	(ख) लघु शास्ति	राजपत्रित	11
		अराजपत्रित	-
3.	दीर्घ/लघु शास्ति से दंडित अधिकारियों की संख्या		104
4.	जारी की गई अभियोजन संस्वीकृतियों की सं०		07
		राजपत्रित	07
		अराजपत्रित	-
5.	जाँच की गई अन्वेषण रिपोर्ट तथा सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गए मामलों की संख्या (सीवीसी मामलों को छोड़कर)		22
6.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सलाह के लिए भेजी गई सीबीआई रिपोर्टों की संख्या		11
7.	उन अधिकारियों की संख्या जिनके संबंध में सतर्कता निकासी जारी की गई		4,032
8.	जाँच के बाद निपटाए गए मामलों (पीएमओ के एसीयू से प्राप्त) की संख्या		-
9.	निपटाए गए अपील मामलों की संख्या		18
		समूह " क "	11
		समूह " ख "	07





III. 6 दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन एवं अनुवीक्षण (टीईआरएम)

टीईआरएम प्रकोष्ठों का उदभव - देश में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की बढ़ती संख्या के कारण सरकार ने देश के सभी लाइसेंसिकृत सेवा क्षेत्रों और बड़े दूरसंचार जिलों में दूरसंचार प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता महसूस की। अभिगम सेवा प्रदाताओं और आईएसपी की संख्या बढ़ने से दूरसंचार प्रचालन के क्षेत्र में अवैध/गुप्त प्रचालन की भी वृद्धि हुई है। इस समस्या से निबटने के लिए सरकार ने सतर्कता दूरसंचार अनुवीक्षण प्रकोष्ठों (वीटीएम) का गठन किया है जिसका नाम बदलकर दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन और अनुवीक्षण (टीईआरएम) प्रकोष्ठ रखा गया है ताकि इनके समग्र कार्यों को प्रदर्शित किया जा सके। आज की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में 34 टीईआरएम प्रकोष्ठ हैं, प्रत्येक प्रकोष्ठ का प्रमुख वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर का अधिकारी होता है, जिसे उप महानिदेशक, टीईआरएम कहा जाता है।

टीईआरएम प्रकोष्ठ के प्रकार्य

उपभोक्ताओं के प्रापण संबंधी विहित मानकों के अनुपालन का अनुवीक्षण:

वर्ष 2007 में यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षा संबंधी सरोकारों के लिए उपभोक्ताओं के प्रापण के बारे में विहित मानकों के अनुपालन का अनुवीक्षण सतत रूप से किया जाए। इस उद्देश्यार्थ यह निर्णय लिया गया कि प्रति माह प्रतिदर्शी आधार पर सभी सक्रिय उपभोक्ताओं के ग्राहक प्रापण प्रपत्रों (सीएएफ) का सत्यापन किया जाए। वर्ष 2008 में, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की सिफारिश के आधार पर प्रतिदर्शी आकार को संशोधित करके 0.1% तक कर दिया गया। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने पर इन पर दंड भी लगाया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, सीएएफ के अनुपालन संबंधी प्रतिशतता, जो लगभग 80% थी, को बढ़ाकर लगभग 95% कर दिया गया है।

अपनी उपर्युक्त गतिविधियों के अलावा, टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों का भी संचालन किया जा रहा है तथा मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने पर दंड लगाया जा रहा है:

- (i) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता डाटाबेसों का विश्लेषण करते हैं।
- (ii) स्टोरेज से सीधे प्रतिदर्शी की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मालगोदामों का निरीक्षण करते हैं।
- (iii) एलईए सहित विभिन्न स्रोतों द्वारा रिपोर्ट किए गए उपभोक्ता सत्यापन संबंधी मामलों का निरीक्षण करते हैं।

मासिक सीएएफ लेखा परीक्षा संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में शास्ति के रूप में 120 करोड़ से अधिक राशि का दंड लगाया गया है। सीएएफ/दस्तावेजों से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में, दूरसंचार विभाग के निर्देश के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध दिनांक 31.12.2011 तक स्थानीय पुलिस के पास 30,000 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

सेवा परीक्षण: लाइसेंस करार के अनुसार, सभी अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपनी सेवाओं का विस्तार करेंगे। इसके लिए उन्हें दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित पैरामीटर तथा गुणवत्ता/कवरेज की फिर से जांच करने के लिए स्वयं द्वारा चयनित जिलों में अपनी सेवाएं प्रदान करनी हैं। वर्ष 2007 में यह निर्णय लिया गया कि टीईआरएम प्रकोष्ठों को उस समय तक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए मामलों की सेवा की जांच करने और अपने पास नए मामलों को पंजीकृत कराने की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती हैं। ये काफी सघन जांच होती है और दूरसंचार विभाग द्वारा इन जांचों के लिए आरोपों का निर्धारण किया गया है। टीईआरएम प्रकोष्ठ स्वयं द्वारा जांच किए गए मामलों के संदर्भ में सेवा जांच परिणाम प्रमाण-पत्र (एसटीआरसी) भी जारी कर रहे हैं।



दिनांक 31 दिसंबर, 2011 तक, टीईआरएम प्रकोष्ठों ने 13000 से अधिक बीटीएस की जांच की है जिससे जांच शुल्क के रूप में 39 करोड़ ₹ से अधिक की राजस्व राशि प्राप्त हुई है।

इसके अलावा, टीईआरएम प्रकोष्ठ उन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर परिनिर्धारित नुकसानी प्रभार लगाने के लिए दायित्व का रॉल आउट करने संबंधी संग्रहित आंकड़े भी प्रेषित कर रहे हैं, जो रॉल- आउट शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

ईएमएफ विकिरण मानकों के अनुपालन की जांच: मानव स्वास्थ्य पर वैद्युत चुम्बकीय विकिरण के हानिकारक प्रभावों के संबंध में बढ़ती चिंता के मद्देनजर, वर्ष 2010 में यह निर्णय लिया गया कि टीईआरएम प्रकोष्ठों को सरकार द्वारा विहित ईएमएफ विकिरण मानकों के अनुपालन की दुबारा जांच करने का कार्य सौंपा जा सकता है। इस संबंध में, जांच शुल्क सहित अन्य विशिष्ट प्रक्रियाओं को भी निर्धारित किया गया है।

31 दिसंबर, 2011 तक, विकिरण मानकों के अनुपालन हेतु 13000 से अधिक बीटीएस की जांच की गई है जिससे जांच शुल्क के रूप में 13 करोड़ से अधिक राशि का राजस्व प्राप्त हुआ है।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की शुरुआत: सरकार ने वर्ष 2010 में पूरे देश में एमएनपी व्यवस्था आरंभ करने का निर्णय लिया था। इसके लिए, टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा पूरे देश में सघन जांच की गई जिसके लिए किसी पोर्टेड नम्बर से सभी सर्किलों/प्रचालकों के नम्बरों तक कॉलों के पूरे होने और पोर्टिंग प्रक्रिया की गतिविधियों को तुल्यकालिक बनाना अपेक्षित था। पूरे देश में सभी प्रचालकों के पोर्टेड उपभोक्ताओं के लिए इस कार्य को करना अपेक्षित था। टीईआरएम प्रकोष्ठ ने सभी तकनीकी मुद्दों का समाधान करते हुए निर्दिष्ट अवधि में इसे बड़े कार्य को पूरा किया है। सरकार ने सभी प्रकार के नेटवर्कों के लिए जांच शुल्क निर्धारित किया है तथा दिनांक 31 दिसंबर, 2011 तक 430 से अधिक नेटवर्कों की जांच की गई है और इससे 13 करोड़ ₹ से अधिक की राशि राजस्व के रूप में संग्रहित होने की संभावना है। जब कभी भी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पेशकश की जाती तो नए नेटवर्कों की एमएनपी स्वीकृति जांच (एटी) भी टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा की जा रही है। यद्यपि ट्राई द्वारा एमएनपी संबंधी विनियमन (एमएनपी अनुरोधों, शुल्क, समय-सीमा, इत्यादि को अस्वीकार करने के लिए अनुमत कारणों जैसे) जारी किए जा रहे हैं, तथापि टीईआरएम प्रकोष्ठ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एमएनपी अनुरोधों की अवैध अस्वीकृति पर स्थानीय स्तर पर निगरानी रख रहा है तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का समाधान भी कर रहा है। टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा एमएनपी के संबंध में 4400 से अधिक मोबाइल कनेक्शनों के विरुद्ध प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 31.12.2011 तक 90000 से अधिक मोबाइल कनेक्शनों के विरुद्ध अपनी ओर से जांच भी की गई है।

लाइसेंसधारकों द्वारा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम/एमएससी कोडों की अपेक्षा के लिए वीएलआर डाटा का सत्यापन: लाइसेंसधारकों को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए अपनी मांग के समर्थन में वीएलआर और परियात डाटा के सोथ दूरसंचार विभाग के डब्ल्यूपीसी स्कंध को संपर्क करना होता है। टीईआरएम प्रकोष्ठों को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के एक्सचेंजों में उपलब्ध अपरिष्कृत डाटा सहित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत डाटा का सत्यापन कराने तथा इस संबंध में उपयुक्त निर्णय लेने के लिए डब्ल्यूपीसी को वापस डाटा प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। दिनांक 31 दिसंबर, 2011 तक इस प्रकार के 120 से अधिक मामलों का सत्यापन किया गया है।

टीईआरएम प्रकोष्ठ अतिरिक्त एमएससी कोडों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत डाटा के सत्यापन का कार्य भी कर रहा है। दिनांक 31 दिसंबर, 2011 तक, लगभग 70 ऐसे मामलों को भी सत्यापित किया गया है।

जन शिकायत संबंधी मामलों का निपटान: टीईआरएम प्रकोष्ठ अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित लाइसेंसप्रदाता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तथाक इनके द्वारा पीजी पोर्टल या अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण और समाधान किया जाता है। दिनांक 31 दिसंबर, 2011 तक, 2100 से अधिक मोबाइल कनेक्शनों (एमएनपी से भिन्न) के विरुद्ध शिकायतों पर टीईआरएम द्वारा कार्रवाई की गई है।



ऐसे अवैध ढांचों जिनसे राजकोष को वित्तीय हानि होती है, को प्रतिबंधित करना : टीईआरएम प्रकोष्ठों के सृजन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अवैध प्रचालनों (जो भारतीय दूरसंचार अधिनियम के तहत अनुमत नहीं हैं) को प्रतिबंधित करना तथा अपराधियों की गिरफ्तारी करनी थी। अभी तक, ऐसे 500 से अधिक अवैध ढांचों का पता लगाया गया है और संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात् स्थानीय पुलिस, सीबीआई, डीआरआई इत्यादि की मदद से उन पर छापे मारे गए हैं ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सके। इन मामलों को विधि प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया है ताकि अपराधियों के विरुद्ध भावी कार्रवाई की जा सके।

अन्य सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण: देश में बीपीओ उद्योग का विकास होने पर, यह निर्णय लिया गया कि दूरसंचार विभाग, मुख्यालय द्वारा किए जा रहे अन्य सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण को विकेंद्रित किया जाए। टीईआरएम प्रकोष्ठों को ओएसपी पंजीकरण सहित टेली-मार्केटर्स के पंजीकरण का कार्य भी सौंपा गया था। टेलीमार्केटर्स के पंजीकरण संबंधी कार्य अभी ट्राई द्वारा किया जा रहा है। ओएसपी के पंजीकरण हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों में वृद्धि के मद्देनजर, एनआईसी की सहायता से एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है ताकि ओएसपी पंजीकरण के आवेदनों के निपटान हेतु अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और तीव्र प्रक्रिया तंत्र की व्यवस्था की जा सके। सरकार ने टेलीमार्केटर के पंजीकरण के लिए 1,000/-₹ तथा ओएसपी पंजीकरण के लिए 1,500/- ₹ का नाममात्र का प्रक्रिया शुल्क भी निर्धारित किया है। दिनांक 31 दिसंबर, 2011 तक टीईआरएम प्रकोष्ठ द्वारा 14,000 से अधिक टेलीमार्केटर्स से और 3500 से अधिक ओएसपी को पंजीकृत किया गया है जिससे 1.7 करोड़ ₹ से अधिक राशि का राजस्व अर्जन हुआ है।

उपभोक्ताओं/दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का निरीक्षण: की जांच: टीईआरएम प्रकोष्ठ दूरसंचार विभाग द्वारा जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जांच के लिए समय-समय पर निम्नलिखित प्रकार का निरीक्षण करता है:

- i) यूएसएल/सीएमटीएस/बुनियादी लाइसेंसधारकों का निरीक्षण
- ii) राष्ट्रीय लंबी दूरी/ अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी लाइसेंसधारकों का निरीक्षण
- iii) अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं का निरीक्षण
- iv) अन्य सेवा प्रदाताओं/टेली मार्केटर्स का निरीक्षण
- v) अवसंरचना प्रदाताओं-1 (आईपी-1) का निरीक्षण
- vi) अधिक संख्या वाले ग्राहकों, बहुत अधिक उपयोग करने वाले, इंटरनेट पट्टेशुदा लाइनों, वी-सैट ग्राहकों सहित अन्य ग्राहकों का निरीक्षण
- vii) खुदरा विक्रेताओं / वितरकों का निरीक्षण ।

दिनांक 31 दिसंबर, 2011 तक टीईआरएम प्रकोष्ठों द्वारा ऐसे 2800 से अधिक निरीक्षण किए गए तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करके इनसे संबंधित विसंगतियों को ठीक किया गया है।

केंद्रीकृत अनुवीक्षण प्रणाली: सरकार ने वैध अंतरावरोधन तथा अनुवीक्षण के लिए केंद्रीकृत अनुवीक्षण प्रणाली की स्थापना करने का निर्णय लिया है जिससे लक्ष्यों का विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा यथा अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रख-रखाव संभव होगा ताकि विभिन्न चरणों पर मैन्युअल हस्तक्षेप कम हो सके तथा समय की बचत भी हो सके। यह प्रणाली सी-डॉट द्वारा स्थापित की जानी है तथा टीईआरएम प्रकोष्ठों को इस परियोजना के लिए सिविल/वैद्युत अवसंरचना की व्यवस्था करने का कार्य सौंपा गया है। केंद्रीकृत अनुवीक्षण प्रणाली शुरू किए जाने के बाद टीईआरएम प्रकोष्ठ इनके प्रचालन के लिए उत्तरदायी होंगे।



अन्य प्रमुख कार्य

- फील्ड के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा विभिन्न नेटवर्क प्रचालकों के बीच समन्वय करना और नेटवर्क पैरामीटरों की निगरानी करना।
- लाइसेंसप्रदाता द्वारा जनहित में जारी निर्देशों का लाइसेंसधारक द्वारा अनुपालन किए जाने की जांच करना।
- संबंधित लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र में उपभोक्ता डाटाबेस का अनुरक्षण करना और इसे अद्यतन बनाना।
- संबंधित लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र के सेल स्थलों/बीटीएस रजिस्ट्रों का अनुरक्षण और इन्हें अद्यतन करना।
- ग्लोबल कॉलिंग कार्ड, अंतरराष्ट्रीय सिम कार्डों इत्यादि की बिक्री के क्षेत्र में दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संदर्भ में कंपनियों द्वारा शर्तों का अनुपालन किए जाने की जांच करना।
- ओएसपी, आईपी-1, आईपी-11 इत्यादि श्रेणी के अंतर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा जारी पंजीकरणों के संदर्भ में कंपनियों द्वारा शर्तों के अनुपालन की जांच करना।
- अंतः प्रचालक कॉलों के लिए कॉल पूरा होने का इष्टतम अनुपात सुनिश्चित करने के लिए अंतः प्रचालक संपर्कता की निगरानी करना।
- ग्राहकों, सीडीआर, एक्सचेंज रिकॉर्डों इत्यादि के संबंध में सूचना प्रदान करने में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों/ एलईए को सहायता प्रदान करना और एलईए के साथ समन्वय/राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करना।
- लाइसेंसधारक के नेटवर्क से होकर गुजरने वाले सभी संचार संप्रोणों के संबंध में लाइसेंसधारक की ओर से प्रस्ताव किए जाने पर वैध अंतरावरोधन/ निगरानी की तकनीकी व्यवस्था करना।
- आपदा प्रबंधन: प्राकृतिक आपदा या अन्य आपात स्थितियों में नेटवर्क को अपने अधिकार में लेना।
- संवेदनशील राज्यों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के फ्रेंचाइजी का पुलिस से सत्यापन कराना। दिनांक 31 दिसंबर, 2011 तक, 4600 से अधिक ऐसे मामलों का निपटान किया गया है।
- विभिन्न लाइसेंसधारकों के कॉल डाटा रिकॉर्डों/एक्सचेंज रिकॉर्डों/ अंशदान/परियात डाटा का विश्लेषण करना।
- देश और उपभोक्ताओं के समग्र हित में दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना।





III. 7 महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति में वर्णित महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और लिंग-भेद दूर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के नीतिपरक दृष्टिकोण के अनुसरण में दूरसंचार विभाग और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कुछ कदम उठाए हैं।

दूरसंचार विभाग अपनी सभी यूनिटों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों/अनुदेशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुसरण करते हुए विभाग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महिला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। विभाग के विभिन्न कार्यशील स्कंधों के द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयास नीचे दिए गए हैं: -

दूरसंचार विभाग-सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की संचार शक्ति स्कीम

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की अतिमहत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, महिलाओं के स्वयं सेवी समूहों (एसएचजी) की आईसीटी समर्थ सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्यार्थ प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए एक स्कीम प्रारंभ की गई है। संचार शक्ति स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों की परियोजनाएं शामिल हैं।

- एसएचजी को कम से कम एक वर्ष की सेवा वैधता/वारंटी के साथ मोबाइल मूल्यवर्द्धित सेवा के सब्सक्रिप्शन का प्रावधान।
- ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी द्वारा चलाए जाने वाले मोबाइल मरम्मत और मोडम मरम्मत केंद्रों की स्थापना करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी द्वारा चलाए जाने वाले सौर ऊर्जा आधारित मोबाइल/सीडीएमए एफडब्ल्यूटी प्रभारण केंद्रों की स्थापना करना।
- इस स्कीम को भारत की राष्ट्रपति की अति महत् उपस्थिति में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 7 मार्च, 2011 को प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में 9 मोबाइल मूल्यवर्द्धित सेवा संबंधी परियोजनाओं के लिए एकाग्रता सकेंद्रण प्रमाण (पीओसी) के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अभी तक, 7 मोबाइल मूल्यवर्द्धित सेवा परियोजनाओं के लिए पीओसी पूरे कर लिए गए हैं।

भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल)

बीएसएनएल में विभिन्न स्तरों पर लगभग 38,615 महिला कर्मचारी नियुक्त हैं। पदोन्नति पर उन्हें यथासंभव उसी स्थान पर रहने दिया जाता है जिस स्थान पर वे कार्य कर रही हैं। जहां कहीं पति भी नौकरी कर रहे हैं, सामान्यतः उन्हें उसी स्थान पर तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कार्रवाई की गई है। महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए स्वैच्छिक दूरसंचार महिला संगठनों द्वारा शिशु सदनों/स्कूलों/सिलाई केन्द्रों को चलाया/अनुरक्षण किया जा रहा है। छात्राओं को बुक अवार्ड प्रदान करने के लिए अंकों में 15 प्रतिशत की छूट दी जाती है। भारत संचार निगम लि0 में सर्किल/गौण स्विचन क्षेत्र के स्तरों सहित निगमित कार्यालय स्तर पर शिकायत समिति है।



महानगर टेलीफोन निगम लि0 (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लि0 में लगभग 9009 महिला कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्य कर रही हैं। कुल जनशक्ति में 21% से भी अधिक महिला कर्मचारी हैं।

इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण को और सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। उनमें से कुछ उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

- रात्रि पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारी के मामले में विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके लिए विश्राम कक्ष उपलब्ध कराये जाते हैं और ड्यूटी अवधि पूरी होने के पश्चात उन्हें घर तक छोड़ने की सुविधा दी जाती है।
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने तथा इससे संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए इकाई स्तर और निगमित कार्यालय में यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- सेवा संबंधी शर्तें समान हैं तथा कोई लिंगभेद नहीं है।
- महिला कर्मचारियों के शिशुओं के लिए शिशु सदन की सुविधा भी प्रदान की गई है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्रसूति छुट्टी नियम का प्रावधान है।
- दूरसंचार महिला केन्द्रीय संगठन, नई दिल्ली और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड महिला कल्याण संघ, मुम्बई हेतु विशेष अनुदान की मंजूरी दी जा रही है, जिसके द्वारा कार्यरत और सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के सगे-संबंधियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

आईटीआई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड, सामाजिक सचेतना वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो अपने प्रारंभ से ही कर्मचारियों के कल्याण की संकल्पना के प्रति प्रतिबद्ध है। महिला कर्मचारियों के कल्याण को यथोचित महत्व दिया जाता है। 30 सितंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार आईटीआई में 781 महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारियों को प्रदान की जा रही प्रमुख सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

- उनके लिए कैंटीन में अलग से भोजन कक्ष की व्यवस्था की गई है तथा इसकी इकाइयों में आराम कक्ष, शिशु सदन की व्यवस्था की गई है।
- कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा/प्रतिपूर्ति लाभ प्रदान करने हेतु कई बृहत् स्वास्थ्य योजनाएं हैं। कंपनी द्वारा चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए विशेषकर महिला एवं बाल कल्याण के लिए बंगलौर, नैनी, मनकापुर और रायबरेली संयंत्रों में अस्पताल स्थापित किए गए हैं।
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश यूनिटों में गैर-अधिकारियों और अधिकारियों पर लागू स्थायी आदेशों में यौन उत्पीड़न संबंधी खंड को शामिल करके इन्हें वर्ष 2004-05 के दौरान संशोधित किया गया है और इसी प्रकार से अधिकारियों पर लागू सीडीए नियमों को भी संशोधित किया गया है।
- कंपनी में किसी भी महिला कर्मचारी द्वारा की गई यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत की जांच हेतु प्रत्येक इकाई में शिकायत समिति का गठन किया गया।
- यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाता है कि महिला कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाए।
- कंपनी के लिए यह गर्व का विषय है कि विगत में इसकी कई महिला कर्मचारियों को "श्रम देवी" पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।



टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)

टीसीआईएल अपने महिला कर्मचारियों के लिए निम्नवत कार्यस्थल प्रदान कर रहा है और महिलाओं के लिए सुरक्षोपायों को भी सख्ती से लागू किया गया है और यह पुरुष कर्मचारियों के बराबर अपने सभी महिला कर्मचारियों को बराबर अवसर प्रदान करता है। यहां तक कि कुछ महिलाएं हमारे संगठन में उच्चतर प्रबंधकीय/प्राधिकार संबंधी पदों पर आसीन हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए, टीसीआईएल में विभिन्न लाभकारी स्कीमें शामिल की गई हैं जैसे कि सभी महिला कर्मचारियों के लिए अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिनों का कर दिया है।

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र(सी-डॉट)

महिला संबंधी मुद्दों के प्रति गंभीरता

सी-डॉट प्रबंधन लिंग भेद संबंधी मामलों के प्रति हमेशा ही गंभीर रहा है तथा एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति को सृजित करने में सतत् रूप से कार्य करता रहा है जिसमें लिंग समानता की झलक दिखती हो। सी-डॉट के कर्मचारियों में इस समय लगभग 33% महिलाएं हैं।

मौजूदा नीतियां

सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का प्रसूति अवकाश लेने की अनुमति है जिसे बाद में 270 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है(180 दिनों के प्रसूति अवकाश सहित)। गर्भस्त्राव/गर्भपात के लिए पूरी सेवा अवधि में कुल 45 दिन की छुट्टी देय है।

सी-डॉट अपनी सभी महिला कर्मचारियों को उनकी अपनी पात्रता के अनुसार विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराते हुए आवासीय और परिवहन सुविधा देता है। इससे इस कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित हो जाती है।

लगभग 61% महिला कर्मचारियों लिए आवासीय टेलीफोन सर्वो की प्रतिपूर्ति अनुमत्य है। 43% महिला कर्मचारियों के लिए बहु-प्रकार्य भत्ता अनुमत्य है।

सी-डॉट में महिला कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। पिछले वित्त वर्ष में, उच्च ग्रेडों में पदोन्नत किए गए कुल कर्मचारियों में से 37% महिलाएं थीं। प्रबंधन संवर्गों (टीम लीडर, ग्रुप लीडर, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ में महिलाएं लगभग 24% हैं।

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन शोषण से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए सी-डॉट बोर्ड द्वारा एक समिति गठित की गई है ताकि इन मामलों का निष्पक्ष और न्यायोचित ढंग से अवलोकन किया जा सके और इन पर उपयुक्त कार्रवाई सुझाई जा सके।





III. 8 निःशक्त व्यक्ति

दूरसंचार विभाग शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को नियुक्ति में आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता को महत्व देता है तथा इस संबंध में विभिन्न सरकारी निर्देशों का विधिवत रूप से पालन करता है।

दूरसंचार विभाग की भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा ने हाल ही में राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान (एनआईवीएच) की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के खण्ड 2 (यू) में यथापरिभाषित अल्प दृष्टिक्षम (लो विजन) व्यक्तियों को संवर्ग में लिया जा सकता है।

07 सितम्बर, 2011 को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ने ग्रामीण भारत में निःशक्त व्यक्तियों के लिए आईसीटी समर्थ सेवाओं तक अभिगम के लिए अपनी पायलट परियोजना स्कीम के संबंध में स्टेकहोल्डरों की एक बैठक आयोजित की थी। इस स्कीम के अंतर्गत यह प्रस्ताव किया गया है कि पायलट परियोजनाओं की तीन श्रेणियों के लिए अर्थात् ग्रामीण शिक्षा में सहायक प्रौद्योगिकियों से युक्त समर्पित आईसीटी केन्द्र, निःशक्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और गांवों में सुगम सार्वजनिक अभिगम केन्द्र तथा बन्दलड कन्टेक्ट सहित/रहित विशेष हैंडसेट उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएं।

अभिगम्य दूरसंचार की इस स्कीम के माध्यम से, जो कि इस समय तैयार की जा रही है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक, राजनैतिक हितों को शामिल करने की दिशा में योगदान करने की आशा की जा सकती है। यह भी उम्मीद की जाती है कि अभिगम्य आईसीटी का प्रयोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए सकारात्मक प्रभाव और उपयोगिता के सफल प्रदर्शन से, यह स्कीम सहायक प्रौद्योगिकी के विकास में प्रेरक सिद्ध होगी और ग्रामीण निःशक्त व्यक्तियों के लिए अभिगम्य प्रारूपों और क्षेत्रीय भाषाओं में उपयुक्त संतुष्टि प्रदान करेगी। ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस स्कीम के सफल होने से स्टेकहोल्डर, बड़े पैमाने पर ऐसी पहल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र- (सी-डॉट)

दूरसंचार विभाग निःशक्त व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

दिल्ली स्थित सी-डॉट कैम्पस का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि जिससे निःशक्त व्यक्तियों के लिए बाधा रहित स्वतंत्र वातावरण सुनिश्चित हो सके। इसके मुख्य प्रवेश/निकास द्वार तक सीढ़ियों/और रैम्प के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यहां तक कि, विभिन्न कार्य-क्षेत्रों को जोड़ते हुए रास्तों में स्वचालित सीढ़ियां भी लगाई गई हैं ताकि निःशक्त व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक स्कंध से दूसरे स्कंध में घूम-फिर सकें।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

भारत संचार निगम लि0 में लगभग 534 निःशक्त कर्मचारी कार्यरत हैं। बीएसएनएल द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

दृष्टिहीन व्यक्ति अपने टेलीफोन पर निम्नलिखित छूट पाने के हकदार है :-

- किराये में छूट - सामान्य किराए का 50%।
- अग्रिम किराया - सामान्य अग्रिम किराये का 50% तथा सामान्य उपभोक्ता पर यथा लागू द्विमासिक किराया।
- पंजीकरण - नॉन-ओ वाई टी विशेष श्रेणी के अंतर्गत स्वीकार्य।



उपर्युक्त छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ जिला स्तरीय सरकारी अस्पताल या उससे उच्च स्तर के अस्पताल सीएमओ/एमएस/नेत्र-सर्जन द्वारा जारी किया गया दृष्टिहीन प्रमाण-पत्र' होना चाहिए। जिन दृष्टिहीन व्यक्तियों के पास पहले से ही टेलीफोन की सुविधा है वे अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके किराये में छूट प्राप्त कर सकते हैं तथा छूट श्रेणी परिवर्तन की तारीख से प्रभावी होगी।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नवीन कार्य योजनाएं बनाकर तथा कार्य योजनाओं का निष्पादन करके शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति के उन्नयन के प्रति हमेशा प्रयासरत रहा है। महानगर टेलीफोन निगम लि0 में 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार 202 निःशक्त कर्मचारी हैं।

अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए एमटीएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- विभिन्न श्रेणियों में अधिकारियों की भर्ती के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को जीविका प्रदान करने के लिए अग्रता आधार पर पीसीओ आबंटित किए जाते हैं तथा उन्हें अन्य लोगों के लिए 20% कमीशन की तुलना में 22% कमीशन भी दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, पीसीओ के आबंटन में विलम्ब से बचने के लिए, उन्हें सीडीएमए/जीएसएम प्रौद्योगिकी पर आधारित मोबाइल बूथ प्रदान किए जा रहे हैं।

आईटीआई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड सामाजिक रूप से जागरूक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, अपने प्रारंभ से ही कर्मचारियों के कल्याण की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध है। निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण को यथोचित महत्त्व दिया जाता है। 30 सितंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार 124 विकलांग कर्मचारी हैं।

निःशक्त व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

नगर क्षेत्र में निर्मित आवासों में निवास कर रहे शारीरिक रूप से निःशक्त कर्मचारियों को मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जाता है परंतु अधिकतम राशि प्रतिमाह 75 रूपए होनी चाहिए। जो कर्मचारी कंपनी के नगर क्षेत्र में नहीं रहते किंतु अपने निवास स्थान से कारखाने तक आने जाने के लिए कम्पनी की परिवहन सुविधा का उपयोग कर रहे हैं उन्हें प्रति माह मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जा रहा है। परंतु अधिकतम राशि प्रतिमाह 100 रूपए होनी चाहिए।

शारीरिक दृष्टि से निःशक्त कर्मचारियों को पारी की शुरुआत और बंद होने के समय में आने की उपस्थिति और जाने की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए क्रमशः 10 मिनट की छूट दी जाती है। शारीरिक दृष्टि से विकलांग कर्मचारियों को "बिना बारी" के क्वार्टर आबंटित किए जाते हैं। आईटीआई ने सरकारी निदेशों के अनुसार भर्ती में शारीरिक दृष्टि से निःशक्त व्यक्तियों के लिए 3% का आरक्षण (1% अस्थि विकलांगों के लिए, 1% दृष्टि विकलांगों के लिए और 1% बधिर विकलांगों के लिए) रखा हुआ है और जहां कहीं लागू हो वहां पदोन्नति में भी आरक्षण रखा जाता है।



शारीरिक दृष्टि से विकलांगों के मामले में कंपनी समूह ग और घ के पदों की भर्ती के मामले में 10 वर्ष की और समूह क और ख के पदों के मामले में 5 वर्ष की छूट प्रदान कर रही है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के हों तो समूह क और ख के पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष अतिरिक्त छूट दी जाती है।

शारीरिक दृष्टि से निःशक्त कर्मचारियों को व्यावसायिक कर से पूर्णतः छूट प्राप्त है बशर्ते कि वे सरकारी चिकित्सक से प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करें।

शारीरिक रूप से निःशक्त कर्मचारियों को कंपनी में किसी भी पद पर आवेदन करने के लिए किसी प्रकार के आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती।

टेलीकम्यूनिकेशनस कन्सलटेंटस इंडिया लि0 (टीसीआईएल)

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में टीसीआईएल को भर्ती में 3 प्रतिशत की सीमा तक शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण निश्चित करने के लिए सांविधानिक उपबंधों का अनुपालन करना होता है। शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता तीन श्रेणियों में विभाजित है दृष्टि रूप से निःशक्त व्यक्ति, आर्थोडिकली निःशक्त व्यक्ति और श्रवण रूप से निःशक्त व्यक्ति-प्रत्येक श्रेणी के लिए 1 प्रतिशत। टीसीआईएल अपने निःशक्त कर्मचारियों के लिए अनुकूल कार्यस्थान का प्रावधान करता है और सुरक्षा संबंधी मानदंडों को भी सख्ती से लागू करता है और यह संगठन, अपने सभी निःशक्त कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान ही समान अवसर प्रदान करता है। शारीरिक रूप से निःशक्त श्रेणियों के व्यक्तियों की तेजी से भर्ती की जा रही है ताकि अपर्याप्त आवेदकों के कारण और/अथवा निर्धारित किए गए अपेक्षित शिथिल मानदंडों के अनुरूप आवेदक न आने के कारण हुई कमी को पूरा किया जा सके।





III. 9 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

हमारा स्वप्न

दूरसंचार के क्षेत्र में नेतृत्व, उत्कृष्टता, वहनीयता और विविधता के द्वारा एक ऐसी निर्बाध नेटवर्क सोसाइटी का विकास करना जो अच्छा प्रशासन देने में सहायक हो।

हमारा मिशन

हम अपने इस स्वप्न को विश्वस्तरीय दूरसंचार अवसंरचना और सेवाओं को जुटाने की सुविधा देकर देश को "कभी भी - कहीं भी" संचार नेटवर्क से जोड़कर साकार करेंगे, ताकि हमारे देश में सामाजिक -आर्थिक विकास की गति तीव्र हो।

हमारे कार्यक्रम/लक्ष्य/उद्देश्य

नीतियों और कार्यक्रमों को, देश में एक विश्वस्तरीय दूरसंचार अवसंरचना सृजित करने के आधारभूत लक्ष्य को ध्यान रखकर निर्धारित किया गया है, ताकि सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्र की अपेक्षाओं और आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को कम से कम लागत में पूरा किया जा सके। हमारा लक्ष्य उपभोक्ताओं के लिए दूरसंचार सेवाओं को किफायती बनाना तथा हर किसी को किसी भी स्थान पर बुनियादी दूरसंचार सेवाएं आसानी से और वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराना है। हमारे प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- सभी नागरिकों को वहनीय और प्रभावी संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- सभी ग्रामीण एवं दूरस्थ सुविधा रहित क्षेत्रों में सर्व सुलभ संचार सेवा उपलब्ध कराना।
- दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और ब्रॉडकास्ट मीडिया के बीच परस्पर तालमेल स्थापित करने के लिए एक आधुनिक और कुशल दूरसंचार अवसंरचना सृजित करना।
- दूरसंचार क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करना, जिसमें सभी सेवा प्रचालकों को समान अवसर और सेवा की समान परिस्थितियां उपलब्ध हों।
- देश में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को सुदृढ़ करना।
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता लाना।
- देश के रक्षा और सुरक्षा संबंधी हितों की रक्षा करना।
- भारतीय दूरसंचार कंपनियों को वास्तविक अर्थों में वैश्विक सेवा-प्रचालकों की भूमिका निभाने में समर्थ बनाना।

हमारे ग्राहक

- दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंस प्राप्त प्रचालक/प्रदाता।
- लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक/संगठन।
- वायरलैस टेलीग्राफ उपकरणों को रखने के लाइसेंस प्राप्त करने और उसके नवीकरण के इच्छुक नागरिक स्पेक्ट्रम/फ्रीक्वेंसियों/वायरलैस टेलीग्राफ लाइसेंस के आवंटन और संबंधित सुविधाओं को प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक/संगठन।



- दूरसंचार सेवाओं के प्रयोजन से टावर लगाने की अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक/संगठन।
- दूरसंचार सेवाओं के संबंध में अपने सेवा प्रदाताओं से सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत शिकायतों का समाधान न प्राप्त कर सकने वाले नागरिक।

हमारी सेवाएं

दूरसंचार क्षेत्र के उदारीकरण एवं पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, दूरसंचार विभाग सीधे दूरसंचार सेवाएं प्रदान नहीं करता। तथापि, दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन हेतु इस विभाग द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत भारतीय पंजीकृत कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। दूरसंचार सेवाओं का प्रचालन निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बीएसएनएल तथा एमटीएनएल द्वारा भी किया जा रहा है। बीएसएनएल और एमटीएनएल स्वतंत्र सांविधिक निकाय हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विधिवत् रूप से निगमित किया गया है। ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सभी प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता पर नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। ट्राई और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों बीएसएनएल और एमटीएनएल के अपने नागरिक चार्टर हैं।

विश्वभर में दूरसंचार सेवाओं को किसी भी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मान्यता दी गई है और इस प्रकार दूरसंचार अवसंरचना को किसी देश में सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निर्णायक कारक माना जाता है। तदनुसार दूरसंचार विभाग निम्नलिखित कार्य करता है :

देश में दूरसंचार सेवाओं के तेजी से विकास के लिए विकासात्मक नीतियां तैयार करना।

विभाग एकीकृत अभिगम सेवा, इन्टरनेट, वीएसएटी सेवा, एनएलडी, आईएलडी, पीएमआरटीएस, वायस मेल/ऑडियोटेक्स/यूएमएस, जीएमपीएलएस, आईपीएलसी पुनर्विक्री जैसी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस की मंजूरी के लिए भी जिम्मेदार है।

अवसंरचना प्रदाता (ओएसपी) और टेलीमार्केटर्स का पंजीकरण तथा अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) एवं टेलीमार्केटर्स का पंजीकरण।

अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ घनिष्ठ तालमेल से रेडियो संचार के क्षेत्र में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबंधन।

देश में सभी प्रयोक्ताओं के बेतार पारेषण की निगरानी करके बेतार विनियामक उपायों का प्रवर्तन।

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ(आईटीयू), इसके रेडियो रेगुलेशन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो कम्यूनिकेशन सेक्टर (आईटीयू-आर), दूरसंचार मानक क्षेत्र (आईटीयू-टी), विकास क्षेत्र (आईटीयू-डी), इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन सेटेलाइट आर्गनाइजेशन (इन्टेलसैट), इंटरनेशनल मोबाइल सेटेलाइट आर्गनाइजेशन (इन्मारसैट), एशिया पैसिफिक टेलीकम्यूनिकेशन (एपीटी) जैसे दूरसंचार का कार्य करने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामलों सहित दूरसंचार से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

दूरसंचार के मानकीकरण, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना।

दूरसंचार क्षेत्र में निजी पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन देना।



दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और दूरसंचार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जन-शक्ति तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए संस्थाना, वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को सहायता; और
- (ख) शैक्षिक संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों सहित अलग-अलग छात्रों को अन्य रूप में वित्तीय सहायता की मंजूरी।

निम्न सभी में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित विधि प्रशासन, नामतः

- (क) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13);
- (ख) भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17);
- (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1997 का 24)।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को वहनीय और उचित मूल्यों पर तार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का संचालन।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाएं।

ग्राहकों से हमारी प्रत्याशा

दूरसंचार विभाग भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंसप्रदाता की भूमिका के अनुरूप भारत के नागरिकों के रूप में दूरसंचार सेवाओं के प्रयोक्ताओं के अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जागरूक है। तदनुसार, लाइसेंसों के निबंधन और शर्तों में दूरसंचार सेवाओं के ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ अधोलिखित सुरक्षा उपाय शामिल हैं जिन्हें लाइसेंसधारियों द्वारा अपनाए जाने की आशा की जाती है :-

- लाइसेंसधारी सेवा की वह गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा जैसाकि टीआरएआई या लाइसेंस प्रदाता द्वारा विनिर्धारित है।
 - अभिगम सेवा प्रदाताओं, जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं, को निदेश दिया जाता है कि वे पुलिस, अग्नि-शमन, एम्बुलेंस, रेलवे/रोड/हवाई-दुर्घटना जांच आदि जैसी जन-उपयोगी सेवाएं एवं आपात सेवाएं प्रदान करें।
 - लाइसेंसधारक की यह जिम्मेवारी होगी कि वह सेवा के उपयोग के लिए अपने उपभोक्ताओं को बिल जारी करेगा अथवा बिल जारी करवाएगा।
 - भुक्तभोगी पक्ष और लाइसेंसधारक के बीच सेवा प्रदान करने से संबंधित कोई विवाद, केवल उन दोनों के बीच का मामला होगा, जिसे लाइसेंसधारक सभी को विधिवत सेवा प्रदान करने के पूर्व सूचित करेगा और किसी भी सूरत में मामले के संबंध में लाइसेंसदाता की कोई वचनबद्धता अथवा जिम्मेवारी नहीं होगी। लाइसेंसधारक अपने उपभोक्ताओं और लाइसेंसधारक के बीच विवादों के निपटारे से उत्पन्न सभी दावों, लागत, प्रभारों अथवा क्षतियों से लाइसेंसदाता को सुरक्षित रखेगा।
1. दूरसंचार सेवाओं का लाइसेंस प्रदाता होने के कारण दूरसंचार विभाग भी नागरिकों/ग्राहकों से मोबाइल फोनों के उपयोग के लिए कतिपय शिष्टाचारों का पालन करने की आशा करता है, जो निम्नानुसार हैं :-
 - मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं को सरकार/स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों आदि में प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों/विनियमों/आदेशों/अनुदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।



- सार्वजनिक स्थलों में मोबाइल फोन को अस्पताल, हवाई जहाजों, रेलगाड़ियों, बसों, पूजा स्थलों, श्मशान भूमि/कब्रिस्तान, सभागार, सिनेमा हाल आदि में प्राधिकारियों द्वारा साइन बोर्डों पर दर्शाए गए अनुदेशों के अनुसार स्विच ऑफ मोड में अथवा वाइब्रेशन में अथवा साइलेंट मोड में रखना चाहिए।
 - वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
 - सार्वजनिक स्थलों पर मोबाइल प्रयोक्ता को अपने साथ बैठे अथवा खड़े लोगों का ध्यान रखना चाहिए। वे लोगों से दूर हट जाएं ताकि वे उनकी व्यक्तिगत/व्यावसायिक बातचीत सुनने को बाध्य न हों।
 - मोबाइल फोन का उपयोग लोगों की जानकारी और सहमति के बिना उनके फोटो खींचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपयोग निजी माने गए सार्वजनिक स्थलों जैसे स्विमिंग पूल, जिम आदि में फोटो खींचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कैमरा फोन के प्रयोक्ता के आसपास के लोगों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए।
 - रिंगटोनों को निम्न स्तर पर सेट किया जाना चाहिए और इससे आसपास के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
 - मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं को टेलीविज़न प्रचालकों से टेलीविज़नों के स्क्रीन पर उनके निजी एसएमएस प्रसारित करने का अनुरोध नहीं करना चाहिए।
 - नागरिकों से आशा की जाती है कि वे अवांछनीय, अवैध कार्यकलापों के लिए टेलीफोनो/मोबाइल का इस्तेमाल न करें।
2. नागरिकों से आशा की जाती है कि वे दूरसंचार सेवाओं से संबंधित अपनी शिकायतों के निवारण हेतु पहले अपने सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से निवारण करने के लिए कहें और उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे शिकायत की पृष्ठभूमि और निवारण हेतु जिन कर्मचारियों/चैनलों से संपर्क किया था उसका उल्लेख करते हुए शिकायत का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें।

शिकायत निवारण तंत्र

सभी शिकायतकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शिकायतों का निपटान पहले अपने संबंधित सेवा प्रदाता से "तीन स्तरीय संस्थानीकृत शिकायत निवारण तंत्र" की मार्फत करवाएं, (जिसका ब्यौरा सेवा प्रदाता और उपभोक्ता समूह अनुभाग के अन्तर्गत www.traai.gov.in पर उपलब्ध है) जो टीआरएआई द्वारा जारी दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निपटान विनियमन, 2007 (2007 का 3) के अंतर्गत उनके द्वारा स्थापित किया गया है। ये तीन स्तर इस प्रकार हैं :-

- संबंधित सेवा प्रदाता का कॉल सेंटर (समय सीमा: 3 दिन)
- संबंधित सेवा प्रदाता का नोडल अधिकारी और (समय सीमा: 10 दिन)
- सेवा प्रदाता की कंपनी में अपीलीय प्राधिकारी (समय सीमा: 3 माह)

शिकायत के निपटान की जिम्मेदारी संबंधित संगठनों/अधीनस्थ इकाइयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मंत्रालय के प्रशासनिक अनुभागों की है। तथापि, दूरसंचार विभाग शिकायतकर्ता के समुचित न्यायालय में जाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उससे प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है।



शिकायतकर्ता उपरोक्त प्रगामी समय-सीमा के बीतने के बाद दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के जन शिकायत प्रकोष्ठ को संबंधित सेवा प्रदाता स्तर पर अपनी शिकायतों के समाधान न होने के साक्ष्य-कागजात के साथ निम्नलिखित माध्यम से संपर्क कर सकते हैं :

डाक द्वारा : जन शिकायत प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग, कमरा नं0 518, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

वैयक्तिक रूप से: सूचना एवं सुविधा केन्द्र, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

वेब पोर्टल : www.pgportal.gov.in द्वारा :

- शिकायत के तीव्र निपटान, तीव्र पहुंच और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने, वेब प्रौद्योगिकी (सीपीजीआरएएमएस) पर आधारित, एक एकीकृत आवेदन प्रणाली का क्रियान्वयन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार विभाग और नागरिकों के मध्य तुरंत एवं सरल संचार के लिए कहीं से भी और किसी भी समय (24x7) शिकायतें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करना है।
- ब्राउसर इंटरफेस का प्रयोग करके इंटरनेट की मार्फत (दूरसंचार विभाग को) पीड़ित नागरिकों से शिकायतों की ऑनलाइन प्रस्तुति करने पर इस प्रणाली से एक अलग पंजीकरण नम्बर उपलब्ध कराया जाता है।
- शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बारे में निदान प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी करने के लिए इस प्रणाली में नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

सूचना और सुविधा

दूरसंचार विभाग में संचार भवन, नई दिल्ली-110001 के मुख्य द्वार पर अवस्थित स्वागत कक्ष के साथ सूचना एवं सुविधा केन्द्र बनाया गया है।

आरटीआई मामलों के बारे में सूचना

इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम/स्वायत्त निकाय/ सोसायटी अर्थात् बीएसएनएल, एमटीएनएल, आईटीआई, टीआरएआई एवं टीडीएसएटी हैं जो आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज) के अनुसार अलग "सार्वजनिक प्राधिकरण" हैं। उनकी अपनी वेबसाइट हैं और इनमें से प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में अलग से सीपीआईओ/एपीआईओ हैं। इन प्राधिकरणों से संबंधित किसी भी सूचना के लिए इन संगठनों के संबंधित सीपीआईओ/एपीआईओ को ही आवेदन प्रस्तुत किए जाने हैं जैसा उनकी वेबसाइट में उल्लेख किया गया है। संबंधित संगठनों से आशा की जाती है कि वे सीपीआईओ के पदधारण की स्थिति और कार्यों के आबंटन के संबंध में अपनी वेबसाइट अद्यतन रखें।



यदि कोई भारतीय नागरिक इस दूरसंचार विभाग के बारे में कोई सूचना मांगना चाहता है तो उसे दूरसंचार विभाग के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को आवेदन करना होगा। सीपीआईओ को आवंटित कार्य सहित उनका ब्यौरा और उनके अपीलीय प्राधिकारी, शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया आदि का ब्यौरा दूरसंचार विभाग की वेबसाइट में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उप-शीर्ष में है। उपरोक्त के अलावा, दूरसंचार विभाग का आरटीआई सेल नामोद्दिष्ट सीपीआईओ के नाम के अलावा भेजे गए आवेदनों के समन्वय के मामलों को संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण/सूचना अभिरक्षक को भेजने की कार्यवाही भी करता है।

विभागाध्यक्ष

सचिव (दूरसंचार)
दूरसंचार विभाग
210, संचार भवन, नई दिल्ली-110001
टेलीफोन नं० 011-23719898, फ़ैक्स सं० 23711514
ई मेल id secy-dot@nic.in

संपर्क सूत्र

उप महानिदेशक (जन शिकायत),
दूरसंचार विभाग,
1210, संचार भवन,
टेलीफोन नं० 011-2337231 फ़ैक्स नं० 23372605
ई मेल id ddgpg-dot@nic.in

हमारी वेबसाइट - www.dot.gov.in





IV. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) का सर्वदा यह प्रयास रहा है कि नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में बेहतर गुणवत्ता और वहनीय मूल्यों के साथ दूरसंचार के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्सहित किया जाए। दिनांक 9 जनवरी, 2004 की सरकारी अधिसूचना के तहत प्रसारण और केबल सेवाओं को ट्राई संशोधन अधिनियम, 2000, द्वारा यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 2(ट) के अनुसार "दूरसंचार सेवा" की परिभाषा के भीतर लाया गया है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखा जाए और साथ ही साथ दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास की परिस्थितियों को इस तरीके से और एक ऐसी गति से पोषित किया जाए कि इससे भारत उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभा सके।

अप्रैल-दिसंबर, 2011 के दौरान की उपलब्धियां

चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2011) के प्रथम नौ महीने की अवधि के दौरान प्राधिकरण ने दूरसंचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को अपनी निम्नलिखित सिफारिशें दी हैं :-

"दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण नीति" के संबंध में दिनांक 12 अप्रैल, 2011 की सिफारिशें:

भारत में दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण से संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत करने के लिए ट्राई ने मई, 2010 में परामर्श पत्र जारी किया। इसके बारे में प्राप्त सिफारिशों और आगे के अध्ययन के आधार पर, "भारत में दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को बढ़ावा देना" विषय पर स्टेकधारकों के अभिमत को प्राप्त करने के लिए दिनांक 28 दिसंबर, 2010 को परामर्श-पत्र जारी किया गया। ओएचडी और टिप्पणियों को विश्लेषण करने के बाद, ट्राई ने दिनांक 12 अप्रैल, 2011 को "दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण नीति" के बारे में अपनी सिफारिशें जारी की। इन सिफारिशों में प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

घरेलू विनिर्मित उत्पादों के माध्यम से वर्ष 2015 तक 45% और वर्ष 2020 तक 80% घरेलू मांग को पूरा करना।

वर्ष 2015 तक 25% और वर्ष 2020 तक 50% भारतीय उत्पादों को बाजार अभिगम्यता प्रदान करना।

घरेलू विनिर्मित उत्पादों में मूल्य संवर्द्धन को बढ़ाकर वर्ष 2015 तक 35% और वर्ष 2020 तक 65% करना।

ग्रीन टेलीकम्यूनिकेशन्स के संबंध में दिनांक 12 अप्रैल, 2011 की सिफारिशें

ट्राई ने स्टेकधारकों का अभिमत प्राप्त करने के लिए "ग्रीन टेलीकॉम" विषय पर दिनांक 18 जून, 2010 को पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया। स्टेकधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर ट्राई ने "ग्रीन कम्प्यूनिकेशन्स" विषय पर दिनांक 03.02.2011 को परामर्श-पत्र जारी किया।



ट्राई ने परामर्श के दौरान प्राप्त टिप्पणियों तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर " ग्रीन टेलीकम्यूनिकेशंस संबंधी दृष्टिकोण" के संबंध में दिनांक 12 अप्रैल, 2011 को अपनी सिफारिशें जारी कीं। इसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- सेक्टर को ग्रीन बनाने संबंधी उपाय राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का हिस्सा होना चाहिए।
- अगले पांच वर्षों के दौरान सभी ग्रामीण टॉवरों में से 50% टावर तथा सभी शहरी टावरों से 33% टॉवर हाइब्रिड पावर (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत-ग्रिड पावर) युक्त होने चाहिए।
- इस विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त सभी उपकरणों, उत्पादों और सेवाओं की ऊर्जा क्षमता और निष्पादन का आकलन किया जाना चाहिए तथा वर्ष 2015 तक " ग्रीन पासपोर्ट" प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- सभी मोबाइल फोन वर्ष 2015 तक ब्रोमिनेट, क्लोरीन युक्त योगिक और एंटीमिनि ट्रायॉक्साइड रहित होने चाहिए।
- सभी मोबाइल विनिर्माताओं/वितरकों को ई-कचरा- मोबाइल फोन, बैटरी, चार्जर, इत्यादि के संग्रहण हेतु पूरे देश में उपयुक्त स्थानों पर " संग्रहक पात्र" लगाने चाहिए।

दूरसंचार अवसंरचना नीति के बारे में दिनांक 12 अप्रैल, 2011 की सिफारिशें

ट्राई ने "दूरसंचार अवसंरचना नीति से संबंध मुद्दे" पर दिनांक 14 जनवरी, 2011 को परामर्श-पत्र जारी किया। स्टेकधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, ट्राई ने दिनांक 12 अप्रैल, 2011 को दूरसंचार अवसंरचना नीति के बारे में सिफारिश जारी की।

अगली पीढ़ी नेटवर्क पर सेमिनार

अगली पीढ़ी नेटवर्क में बढ़ती रूचि को देखते हुए, ट्राई ने दिनांक 25 अगस्त से 26 अगस्त, 2011 तक नई दिल्ली में "अगली पीढ़ी नेटवर्क-कार्यान्वयन एवं विवक्षा" पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया था। इस सेमिनार का लक्ष्य एनजीएन के स्थापत्यकला, मानकों और तकनीकी पहलुओं की खोज के लिए अवसर प्रदान करना तथा यह जांचने क अवसर प्रदान करना कि कैसे अंतरण सेवा की गुणवत्ता के पारंपरिक ढांचे, सुरक्षा और अंतसंयोजन को बदलेगा। इस सेमिनार में, भारत तथा विदेश के विशेषज्ञों ने दो दिन के विचार-विमर्श के दौरान भाग लेने वाले सहभागियों के साथ अपने अनुभव बांटे।

उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम

ट्राई बैठकों और उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालाओं के माध्यम से उपभोक्ता संगठनों/उपभोक्ता समर्थन समूहों/गैर-सरकारी संगठनों के साथ परस्पर संवाद करता है। ट्राई तथा सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलुओं के बारे में उपभोक्ता समर्थन समूहों को शिक्षित करना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के मद्देनजर ट्राई ने वर्ष 2011-12 के दौरान प्रत्येक जोन अर्थात् दक्षिणी पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और उत्तरी प्रत्येक में एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता समर्थन समूह की पहली छमाही बैठक का आयोजन 27 मई, 2011 को शिमला में किया गया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने ट्राई के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थन समूहों (सीएजी) द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान 231 जिला/ब्लाक स्तरीय उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में भी मंजूरी प्रदान की है जिसमें से सीएजी देश के विभिन्न भागों में अभी तक 100 कार्यशालाओं का आयोजन कर चुका है। उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्राई द्वारा "अवांछित वाणिज्यिक संचार को नियंत्रित" करने पर एक लघु फिल्म विकसित की



गई है तथा ट्राई के साथ पंजीकृत सीएजी को उनके द्वारा आयोजित की जा रही उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालाओं में प्रयोग हेतु इन लघु फिल्मों की सीडी/डीवीडी वितरित की गई हैं।

"दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता तरजीह विनियम" में संसोधन

ट्राई ने अवांछित वाणिज्यिक संचार के जोखिमों को रोकने के लिए 1 दिसंबर, 2010 को एक महत्वपूर्ण विनियम अर्थात् दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता तरजीह विनियम अधिसूचित किया था। तदन्तर, विनियमों के विभिन्न उपबंधों को प्रभाव में लाने तथा 27 सितंबर, 2011 से विनियम को लागू करने के मद्देनजर इन विनियम में छह संसोधन जारी किए गए थे।

विनियम में अवांछित वाणिज्यिक कॉलों और एसएमएस से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के संबंध में कतिपय उपाय किए हैं। फिलहाल दूरसंचार सेवा प्रदाता प्रति दिन 2000 एसएमएस तक का एसएमएस पैकेज की पेशकश करते हैं जिसका साधारण नंबरों से वाणिज्यिक संचार भेजने के लिए अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी संभाव्यता में कभी करने के उद्देश्यार्थ, ट्राई ने उपभोक्ता के हित में तदनुसार 8वें संसोधन के द्वारा सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रति सिम प्रति दिन 100 एसएमएस की सीमा को बढ़ाकर 200 एसएमएस निर्धारित कर दिया है। इससे ऐसी चिन्ताएं उत्पन्न हुई हैं कि इस व्यवस्था से कारोबारी मैसेजों के आवागमन पर प्रभाव पड़ेगा जैसे कि बैंक से उसके ग्राहकों को अथवा एयरलाइन से इसके यात्रियों को और इसी तरह स्कूलों से इसके विद्यार्थियों/अभिभावकों को भेजे जाने वाले मैसेज प्रभावित होंगे। यह चिन्ता अनुचित है। विनियम के अंतर्गत, ऐसे मैसेजों को कारोबारी मैसेजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा 100 एसएमएस की सीमा कारोबारी संदेशों पर लागू नहीं होती। यह भी नोट किया जाता है कि कारोबारी संदेशों के संबंध में सांय 9 बजे से प्रातः 9 बजे की समय संबंधी पाबंदी लागू नहीं है इन्हें किसी भी समय भेजा जा सकता है।

उपभोक्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, ट्राई ने कतिपाय श्रेणियों को सीमा से छूट देते हुए 27 सितंबर, 2011 को निदेश जारी किया। इलैक्ट्रॉनिक रिचार्ज संदेशों को उसके ई-टिकटिंग एजेंसियों कतिपाय सामाजिक नेटवर्किंग स्थलों और कतिपाय निर्देशिका सेवा के लिए ये दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के एजेंट है।

प्रोत्साहन एसएमएस को भेजने में आगे रोकथाम करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण के इन विनियमों के 7वें संसोधन में अंतिम अभिगम प्रदाता के नेटवर्क को मूल अभिगम प्रदाता के नेटवर्क से पंजीकृत टेलीमार्केटर द्वारा भेजे गए प्रत्येक प्रोत्साहन एसएमएस हेतु अंतिम अभिगम प्रदाता को मूल अभिगम प्रदाता द्वारा देय रु0 0.05 (मात्र पांच पैसा) का "प्रोत्साहन एसएमएस प्रभार" निर्धारित किया है। इस संसोधन में कारोबारी संदेश के संचार को भी विनिर्दिष्ट किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय घटनाएं

ट्राई ने "उभरते हुए दूरसंचार क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचा" पर एशिया पेशिकिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी) के सहयोग से नई दिल्ली में 6-8 सितंबर, 2011 को अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। एपीटी महा सचिव और सभी बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सीईओ ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इसमें 41 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और 26 देशों के प्रवक्ताओं ने भाग लिया। इसमें भाग लेने वालों की कुल संख्या (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) लगभग 150 थी।



7 अप्रैल 2011 को भारत दौरे के दौरान जापान के राजदूत श्री अकिताका सैकी के साथ डॉ. जे.एस. सरमा, अध्यक्ष टीआरएआई

जनवरी - मार्च 2012 के दौरान अनुमानित उपलब्धियां

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने जनवरी, 2012 के पहले सप्ताह में निम्नलिखित दे विनियमों को अधिसूचित किया

क) दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम 2012

सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के प्रभाव को व्यापक बनाने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 5 जनवरी, 2012 को दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012 जारी किया। इन विनियमों को पूर्व के "दूरसंचार उपभोक्ता सुरक्षा और शिकायत निवारण विनियम, 2007 से बदला गया है।

ख) दूरसंचार उपभोक्ता सुरक्षा विनियम, 2012



दूरसंचार उपभोक्ताओं, विशेषकर प्री-पेड उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के उद्देश्यार्थ ट्राई ने 6 जनवरी, 2012 को दूरसंचार उपभोक्ता सुरक्षा विनियम, 2012 जारी किया।

2. वर्ष 2012 की पहली तिमाही के दौरान संपादित किए जाने वाले अनुमानित कार्यकलाप निम्नलिखित हैं -
- लेखा पृथक विनियम 2004 की समीक्षा : संसोधित लेखा पृथक विनियम (एएसआर) अधिसूचित किए जाने की संभावना है।
 - मोबाइल मूल्य वर्द्धित सेवाओं (एमवीएस) से संबंधित सिफारिश के फरवरी, 2012के अंत तक होने की संभावना।
 - एकीकृत लाइसेंस के लिए दिशा-निर्देश
 - "आईएमटी एडवांस्ड मोबाइल बेता ब्राडबैंड सेवा" पर सिफारिश
 - स्पेक्ट्रम की रिफार्मिंग की सिफारिश।
 - आवासीय और उद्यम अंत-दूरसंचार आवश्यकताओं/कार्डलैस दूरसंचार प्रणाली (सीटीएस) के लिए "स्पेक्ट्रम संसाधनों के आवटन से संबंधित सिफारिश।
 - दूरसंचार विनियामक आयोग, श्रीलंका (टीआरसीएसएल) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के बीच वचनबंध-ज्ञापन
 - पूसान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, कोरिया और आईटीयू एशिया-पिसिफिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सहभागिता में "अभिसारित आईपी नेटवर्क प्रौद्योगिकिया" पर 15-17 फरवरी, 2012 तक आयोजित की जाने वाली प्रयोगशाला।
 - उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में, मार्च, 2012 से पहले प्रत्येक जोन के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला का अतिरिक्त चरण आयोजित किया जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा सेवा प्रदाताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की वार्षिक बैठक के साथ सीएजी की दूसरी छमाही बैठक का आयोजन अहमदाबाद में जनवरी/फरवरी, 2012 माह में आयोजित किया जाना है।





V. दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी)

प्रस्तावना

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम 1997 (यथा संशोधित) में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने, विवादों पर अधिनिर्णय देने, अपीलों का निपटान करने और दूरसंचार क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने और इनसे जुड़े अथवा आनुषंगिक मामलों पर विचार करने के लिए ट्राई और टीडीएसएटी की स्थापना की व्यवस्था की गई है। दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) का सृजन लाइसेंस प्रदाता और लाइसेंसधारक, सेवा प्रदाताओं के बीच और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के समूह के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटान और उस पर अधिनिर्णय देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ट्राई अधिनियम 1997 के तहत वर्ष 2000 में किया गया। जनवरी 2004 में टीडीएसएटी के कार्य क्षेत्र में विस्तार करते हुए इसमें दूरसंचार क्षेत्र के अतिरिक्त प्रसारण और केबल सेवाएं भी शामिल की गईं। टीडीएसएटी, ट्राई के विनियमों, निर्णयों, आदेशों और निर्देशों पर अपीलीय अधिकारों का प्रयोग करता है। टीडीएसएटी का अधिकार क्षेत्र विशिष्ट है और इसके आदेशों को केवल कानूनी बिंदुओं पर ही भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। टीडीएसएटी के अंतरिम आदेशों के विरुद्ध सांविधिक अपील नहीं की जा सकती है। टीडीएसएटी एक विशेषज्ञ निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जबकि दो सदस्य प्रशासन/दूरसंचार क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं।

टीडीएसएटी सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों से बंधा हुआ नहीं है। इसने अपनी स्वयं की प्रक्रिया (टीडीएसएटी प्रक्रिया 2005) निर्धारित की है जो कि सरल तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। टीडीएसएटी में याचिका, अपील तथा विविध आवेदन करने के लिए कोर्ट शुल्क क्रमशः 5000/- ₹0, 10,000/- ₹0 तथा 1000/- ₹0 है। पूरे विश्व में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित विवादों को विनियामक या सामान्य न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। तथापि, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित विवादों के तत्काल समाधान और अधिनिर्णय हेतु भारत में टीडीएसएटी के रूप में एक विशेष संस्था मौजूद है। अतः भारत में विवाद निपटान दूरसंचार विनियामक के कार्य-क्षेत्र से बाहर है। मई, 2000 में अधिकरण की संस्थापना से प्रति वर्ष अधिकरण में मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। टीडीएसएटी के समक्ष वर्ष 2001 में दर्ज मामलों की कुल संख्या 105 थी जो 2009 में बढ़कर 491 हो गई। दिनांक 1.1.2010 से 31-12-2010 तक टीडीएसएटी में कुल 850 मामले दर्ज कराए गए हैं। चालू वर्ष में अर्थात् 01.01.2011 से 31.12.2011 तक कुल 905 मामले दर्ज किए गए हैं। दर्ज किए गए मामले साथ-साथ निपटा दिए गए हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि विवादों का निपटान शीघ्रतापूर्वक हो। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि दिनांक 31-12-2010 तक 4259 मामलों का निपटान कर दिया गया जबकि उस अवधि के दौरान 4832 मामले दर्ज कराए गए थे। टीडीएसएटी ने अपने प्रारंभ से, दूरसंचार के साथ-साथ प्रसारण और केबल क्षेत्र से संबंधित मामलों में भी विशिष्ट निर्णय दिए हैं।

दूरसंचार, प्रसारण और केबल क्षेत्रों में विवाद समाधान तंत्र के संबंध में उपभोक्ताओं सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों में जागरूकता लाने और इन क्षेत्रों में शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के तरीकों का पता लगाने के लिए दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण देश के विभिन्न भागों में संगोठियां आयोजित कर रहा है। अधिकरण ने इस वित्तीय



वर्ष के दौरान गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद में सेमिनार आयोजित किए हैं तथा इसका देश के विभिन्न भागों में भी और अनेक सेमिनार आयोजित करने का विचार है। टीडीएसएटी द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों के दौरान उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायधीशों सहित विशिष्ट वक्ताओं द्वारा टीडीएसएटी की डिलीवरी सिस्टम की प्रशंसा की गई। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के सेक्टर सदस्य के रूप में, टीडीएसएटी ने आईटीयू तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है।

टीडीएसएटी की अपनी वेबसाइट है और अधिकरण के सभी महत्वपूर्ण निर्णय तथा अन्य कार्यकलाप वेबसाइट www.tdsat.nic.in पर उपलब्ध है। टीडीएसएटी ई-मेल tdsat1@yahoo.co.in के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर सलाह देते हुए स्टोक होल्डरों, वकीलों, उपभोक्ताओं आदि के साथ विचारों का आदान-प्रदान भी करता है। टीडीएसएटी अधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध दैनिक मामलों से संबंधित सूचना मुकदमों के पक्षकारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस अधिकरण ने एसएमएस चेतावनी प्रणाली भी तैयार की है।





VI. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणी

दिनांक 06-09-2011 को संसद के सभा पटल पर रखी गई वर्ष 2011-12 की प्रतिवेदन संख्या 16 (मार्च, 2010 तक प्रतिवेदन)

दूरसंचार विभाग

प्रौद्योगिकी के गैर-वाणिज्यिकरण के कारण 16.10 करोड़ ₹ का व्यर्थ व्यय

वर्ष 2004 में डैस वैबलैथ डिवीजन मल्टीपलेक्सिंग प्रौद्योगिकी की ओर विश्वव्यापी बाजार प्रवृत्तियों के बदलाव सी-डॉट ने कॉर्स डिवीजन मल्टीपलेक्सिंग प्रौद्योगिकी के विकास हेतु एक परियोजना का निष्पादन जारी रखा। परिणामस्वरूप, वर्ष 2006 में एक अप्रचलित प्राद्योगिकी विकसित हुई थी जिसको कोई लेने वाला नहीं था तथा जिसने 16.10 करोड़ ₹ के संपूर्ण व्यय को व्यर्थ प्रस्तुत किया।

संघ सरकार (वाणिज्यिक) (अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन) वर्ष 2011-12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3

भारत संचार निगम लिमिटेड

भारत संचार निगम लिमिटेड में बेसिक दूरभाष सेवाएं

भारत में भारत संचार निगम लिमिटेड (भा.सं.नि.लि.) एक सरकारी स्वामित्व की मुख्य दूरभाष सेवा संभरक है। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि भारत संचार निगम लिमिटेड अपनी बेसिक दूरभाष सेवाएं (लैंडलाइन संयोज) को बचाये रखने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से ज्ञात हुआ है कि भारत संचार निगम लिमिटेड सज्जित क्षमता के उपयोग के लिए उचित आयोजना में कमी के कारण वर्ष 2005-06 में 82 प्रतिशत से वर्ष 2009-10 में 61 प्रतिशत की उच्च प्रतिस्पर्धा की चुनौती के लिए अग्रणीय तथा गतिशील टैरिफ प्लान नहीं अपनाये। विशेष रूप से निजी सेवा प्रदाताओं की स्पर्धा का सामना करने में बाजार के प्रयासों की धीमी गति, सेवाओं की गुणवत्ता में कमियां भा.सं.नि.लि. के ग्राहक आधार तथा राजस्व में कमी के लिए मुख्य कारण थे। ब्राडबैंड संयोजनों के माध्यम से अभिदाताओं के आधार को बढ़ाने के अवसरों को भी नहीं भुना पाये। अभिदाताओं के करार के परिणामस्वरूप एक्सचेंजों की अतिरिक्त क्षमता का संचालन तथा अनुवर्ती अशोषित पुंजी निवेश हुआ। लेखापरीक्षा ने भारत संचार निगम लिमिटेड को अग्रणीय विपणन के माध्यम से अपने लैंडलाइन अभिदाताओं की संख्या में वृद्धि के लिए समयबद्ध कार्यक्रम लागू करने तथा अपने टैरिफ प्लान को समय-समय पर परिवर्तित करने की सिफारिश की।

(पैराग्राफ 5.1)

भारत संचार निगम लिमिटेड में ग्रामीण ब्राडबैंड की आयोजना एवं कार्यान्वयन

दूरसंचार विभाग (दू.वि.) ने ब्राडबैंड सेवाओं में वृद्धि को बढ़ाने के लिए ब्राडबैंड पॉलिसी 2004 लागू की। दू.वि. ने ग्रामीण दूरभाष का प्रवर्तन तथा दूरदराज क्षेत्रों में दूरभाषों की सूलभता एवं वर्ष 2010 तक इंटरनेट व ब्राडबैंड अभिदाता क्रमशः 40 करोड़ और 20 करोड़ की वृद्धि का लक्ष्य रखा। लेखापरीक्षा पुनरीक्षण में पाया गया कि परियोजना आयोजन, प्रति-



ठापित क्षमता के उपयोग में प्रणालीबद्ध कमियों तथा 26 दूरसंचार परिमंडलों में से 5 दूरसंचार परिमंडलों में ग्रामीण ब्राडबैंड के संबंध में यूएसओ सब्सिडी दावों के परिणामस्वरूप 12.17 करोड़ ₹ के राजस्व की हानि तथा 63.04 करोड़ ₹ की यूएसओ सब्सिडी की हानि हुई। लेखापरीक्षा ने ग्राम सम्भाव्य के अनुरूप ब्राडबैंड पोर्ट क्षमता आवश्यकता पर योजना बनाना तथा राजस्व अर्पित करने तथा यू एस ओ सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण एक्सचेंजों का इष्टतम उपयोग करने हेतु प्रभावपूर्ण विपणन निति बचाने की सिफारिश की। मामला अक्टूबर, 2010 में मंत्रालय को भेजा गया था।

(पैराग्राफ 5.2)

भारत संचार निगम लिमिटेड में पट्टे पर दिए परिपथ

भारत संचार निगम लिमिटेड अपने ग्राहकों को ऑप्टिक फाइबर, रेडियो, कॉपर तारों तथा उपग्रह माध्यम पर या माध्यमों के समिश्रण के प में संचार हेतु पट्टे पर लाइन/परिपथ प्रदान करता है। भारत संचार निगम लिमिटेड के विभिन्न परिमंडलों में पट्टे पर दिये गये परिपथों के प्रावधानों और पट्टे पर दिये गये परिपथों/लाइनों के बिलिंग करने की सक्षमता तथा भारत संचार निगम लिमिटेड के निगम कार्यालय द्वारा पट्टे पर दिये गये परिपथों के प्रावधानों और बिलिंग संबंधी दिशानिर्देशों का सभी परिमंडलों के सैकिंडरी स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) के द्वारा समरूपता से पालन करने की जाँच के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से ज्ञात हुआ है कि सै स्वी क्षेत्र भारत संचार निगम लिमिटेड के निगम कार्यालय के वर्तमान आदेशों का अनुपालन न होने तथा पट्टे की लाइन सेवाओं के निष्पादन गैर बिलिंग विंग के मध्य सामंजस्य की कमी के परिणामस्वरूप 37.59 करोड़ ₹ के प्रबल राजस्व की हानि हुई। इन तथ्यों के दृष्टिगत लेखापरीक्षा ने भारत संचार निगम लिमिटेड के निगम कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन और संचालन एवं टी आर ए विंग में सामंजस्य को मजबूत करने की सिफारिश की।

(पैराग्राफ 5.3)

फिक्सड वायरलेस फोन आधारित मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल सिस्टम की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति

सात टेलीकॉम सर्किलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से जीएसएम एफडब्ल्यूपीज की योजना, अधिप्राप्ति एवं उपयोग और विपणन नीतियों में अपर्याप्तताओं का पता चला। इसके परिणामस्वरूप 30.47 करोड़ ₹ मूल्य के जीएसएम एफडब्ल्यूपीज की अधिक खरीद हुई।

(पैराग्राफ 5.4)

एक्सेस घाटा प्रभार तथा उस पर ब्याज की गैर वसूली

भारत संचार निगम लिमिटेड के उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल दूरसंचार परिमंडल दो निजी सेवा प्रदाताओं अर्थात् रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीओएम), टाटा टेलीसर्विसिज लिमिटेड (टीटीएल) और टाटा टेलीसर्विसिज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (टीटीएमएल) से 63.49 करोड़ ₹ के एक्सेस घाटा प्रभार (एडीसी) तथा ब्याज उगाहने में असफल रहे।

(पैराग्राफ 5.5)

ऑप्टिकल फाइबर मार्गों के चालू न होने के कारण निधि का अवरोधन

उचित आयोजना व समन्वय की कमी से दो दूरसंचार परिमंडलों तथा भारत संचार निगम लिमिटेड के दो दूरसंचार परिमंडलों में 46 ऑप्टिकल फाइबर मार्ग चालू नहीं किये जा सके इसके कारण 14.51 करोड़ ₹ की निधि का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 5.6)



बाहरी एजेंसियों द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल और भूमिगत केबल को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति प्रभारों की उगाही न होना

दस सैकेंडरी स्विचिंग क्षेत्रों (बिहार टेलीकॉम सर्किल के अंतर्गत चार और उड़ीसा टेलीकॉम सर्किल के अंतर्गत छः) में बाहरी एजेंसियों द्वारा केबलों के क्षतिग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति प्रभारों की उगाही करने में विफल होने के परिणामस्वरूप 5.93 करोड़ ₹ की उगाही नहीं हुई।

(पैराग्राफ 5.7)

की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी (एटीएन) की स्थिति

क्रम सं०	वर्ष	रिपोर्ट सं०	रिपोर्टों के पैराओं/पीएसी की सं० जिनके एटीएन लेखा परीक्षा की विधीक्षा के बाद पीएसी को प्रस्तुत किए गए हैं (अप्रैल-31 दिसम्बर, 2011 तक)	दिनांक 31/12/2011 की स्थिति के अनुसार पैराओं/पीएसी रिपोर्टों का ब्यौरा जिन पर एटीएन लंबित है।		
				उन एटीएन की सं० जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहली बार ही भेजा गया था	भेजे गए एटीएन की सं० जो टिप्पणियों सहित वापस आए और लेखा परीक्षा, मंत्रालय द्वारा उनकी पुनः प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रही है	उन एटीएन की सं० जिनको अंतिम लेखा परीक्षा के बाद मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	1996-97	वर्ष 1998 की 6	शून्य	शून्य	1	1
2	1998-99	वर्ष 2000 की 6	1	शून्य	1	3
3	1999-00	वर्ष 2001 की 6	1	शून्य	शून्य	1
4	2000-01	वर्ष 2002 की 6	शून्य	शून्य	शून्य	2
5	2002-03	वर्ष 2004 की 2	शून्य	शून्य	3	शून्य
6	2003-04	वर्ष 2005 की 2	शून्य	शून्य	1	शून्य
7	2004-05	वर्ष 2006 की 9 (एनटीआर)	शून्य	शून्य	1	शून्य
8	2005-06	वर्ष 2007 की 2 (सी-डॉट)	6	शून्य	11	शून्य
9	2006-07	वर्ष 2008 की सीए 1	शून्य	शून्य	1	शून्य
10	2008-09	वर्ष 2008 की 1	1	शून्य	शून्य	शून्य
11	2009-10	वर्ष 2010-11 की 19	शून्य	शून्य	3	शून्य
कुल			9	शून्य	22	7

- दिनांक 31/12/2011 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार विभाग (सी-डॉट को छोड़कर) के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा के कुल लंबित पैरा = 22-11=11
- दिनांक 31/12/2011 की स्थिति के अनुसार पीएसी रिपोर्ट के कुल लंबित पैरा = शून्य





VII. टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र

प्रस्तावना

भारत का प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, सी-डॉट एक पथ प्रदर्शक और राट्र निर्माता रहा है। विभिन्न प्रकार के लागत-प्रभावी, स्वदेशी रूप से विकसित और अत्याधुनिक, समग्र दूरसंचार समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध, 26 वर्ष पूर्व अपनी स्थापना के समय से यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर चुका है। देश में ग्रामीण दूरसंचार परिदृश्य में सी-डॉट के योगदान से सभी परिचित हैं। अस्सी के दशक में सी-डॉट ने भारतीय दशाओं के आदर्श रूप से अनुकूल ग्रामीण दूरसंचार उत्पादों को विकसित किया। वातानुकूलन के बिना कार्य करने में सक्षम सी-डॉट के ग्रामीण ऑटोमेटिक एक्सचेंजों (आरएएक्स) ने अपनी कठोरता और विश्वसनीयता के लिए ऐतिहासिक दर्जा हासिल किया। अर्द्ध-शहरी उपयोग के लिए एसबीएम आरएएक्स और शहरी उपयोग के लिए एमएएक्स-एल (और बाद में एमएएक्स-एक्सएल) जैसे और स्विचन उत्पाद बनाए गए। ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए एक रेडियो उत्पादन 6 आरयू 10 का भी विकास किया गया। ये सभी उत्पाद समकालीन डिजिटल प्रौद्योगिकी पर आधारित थे।

डायल-टोन प्रदान करने के एकल लक्ष्य से शुरूआत कर, सी-डॉट गत 26 वर्षों के दौरान बढ़कर अनेक क्षेत्रों-उपग्रह संचार, आईएन, एटीएम, डीडब्ल्यूडीएम, एनएमएस, वायरलैस ब्रॉडबैंड, जीपीओएन, एनजीएन और मोबाइल सेल्यूलर प्रणालियों-में संचार प्रौद्योगिकी में शोध एवं विकास के राष्ट्रीय केन्द्र के स्तर तक पहुंच गया है। भारतीय नौसेना पोतों में पोत पर संचार के उपयोग के लिए एटीएम प्रौद्योगिकी का अधिदेश किया गया है। आशा है कि जीपीओएन ग्रामीण भारत तक ब्रॉडबैंड पाइपों का विस्तार करने में अग्रणी भूमिका अदा करेगा। सक्रिय जीएसएम अवसंरचना के साझा उपयोग पर आधारित एसजी-आरएएन उत्पाद से ग्रामीण बाजार को वहनीय मोबाइल टेलीफोनी उपलब्ध होगी। एमएएक्स-एनसी सी-डॉट के एमएएक्स/आरएएक्स ग्राहकों को वीओआईपी और ब्रॉडबैंड अभिगम के साथ पीओटीएस (प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस) के लिए सेवा संबंधी नई सुविधाएं लाकर देश की फिक्स्ड लाइन अवसंरचना में नई जान डालेगा। सी-डॉट दूरसंचार सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करने के क्षेत्र में भी सक्रिय रहा है। सी-डॉट के समग्र एनएमएस(नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली) समाधान से बहुविध विक्रेताओं के घटकों वाले नेटवर्कों का प्रबंधन करना संभव हुआ है। सी-डॉट का डाटा क्लियरिंग हाउस (सीएलएच) समाधान बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच रोमिंग रिकार्डों का मिलान करने के लिए वाणिज्यिक रूप से संस्थापित किया गया है और यह बाजार के प्रतिस्पर्द्धात्मक दबावों के विरुद्ध अपने को कायम रख रहा है।

सी-डॉट को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं जैसे कि दूरसंचार सुरक्षा के लिए केन्द्रीय मॉनीटरिंग प्रणाली और सामरिक अनुप्रयोगों के लिए सुरक्षित नेटवर्क का कार्य भी सौंपा गया है।

सी-डॉट के दिल्ली और बंगलुरु परिसरों में अत्याधुनिक शोध और विकास सुविधाओं की तुलना विश्व की श्रेष्ठ सुविधाओं से की जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रथम तीन तिमाहियों की उपलब्धियां

संचार और सुरक्षा, शोध और अनुश्रवण

एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम दूरसंचार सेवा प्रदाता (एमटीएनएल) के लिए अपेक्षित हार्डवेयर प्लेटफार्म और डाटा संचार संपर्क संस्थापित किए गए हैं और वे प्रचालन में हैं। परीक्षण के लिए साफ्टवेयर प्लेटफार्म जारी किया गया है। पीएसटीएन, जीएसएम/ जीपीआरएस/3जी तथा सीडीएमए प्रौद्योगिकियों के लिए वॉयस अंतरावरोधन समाधान तैयार है। पीएसटीएन और जीएसएम के लिए परीक्षण कार्य पूरा हो गया है। 2 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए दिल्ली में प्रायोगिक सीएमएस के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन जुलाई, 2011 के दूसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ है। प्रायोगिक



सीएमसी तैयार है। दिल्ली में 2 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (एमटीएनएल और आईएलडी-टाटा टेलीकॉम) के लिए तैयारी पूरी हो गई है और प्रायोगिक परीक्षण संचालित करने के लिए प्रणाली नामित विधि प्रवर्तन एजेंसियों (आईबी और डीआरआई) को प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा, बीएसएनएल के हरियाणा सर्किल में अंबाला में आईएसएफ का सर्वर संस्थापित करने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक सर्किलों के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की मांग को पूरा करने के लिए प्रायोगिक सीएमसी उन्नयन के लिए भी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, 4 निजी टीएसपी साइटों -आइडिया, टाटा टेलीसर्विसेज, वोडाफोन, एयरटेल-पर आईएसएफ संस्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है। सीएमएस के प्रायोगिक रॉल-आउट के लिए कैप्टिव संस्थापना पर विकसित, परीक्षित और संस्थापित द्वितीय एलआईएस विक्रेता (मैसर्स वैरिंट), आरएमसी (क्षेत्रीय अनुश्रवण केन्द्र) साल्यूशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था परीक्षण शुरू हुआ।

पूर्वोत्तर के लिए प्रौद्योगिकी

मौजूदा साल्यूशन में आईएमएस-अनुपालक कार्यों को शुरू करने का कार्य पूरा हो गया है। आईएमएस-एसएसएफ प्रकार्यात्मकता के कार्यान्वयन के लिए परीक्षण का कार्य प्रगति पर है। आईएमएस गेटवे नियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए विकास कार्य भी चल रहा है।

प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट के लिए अगरतला, त्रिपुरा में बीबीडब्ल्यूटी प्रणाली संस्थापित की गई है और एसडब्ल्यूएन (स्टेट-वाइड एरिया नेटवर्क) के कार्यान्वयन के लिए इसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

ग्रामीण प्रौद्योगिकियां

एसजी-आरएन का क्षेत्र परीक्षण चल रहा है। समानान्तर रूप से, क्षेत्र योग्य उन्नत प्रोटोटाइप के प्रणाली एकीकरण और परीक्षण का कार्य चल रहा है।

अजमेर जिला, राजस्थान में चुनिंदा ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड वायरलेस प्रणाली संस्थापित की गई है और प्रचालन में है जहां यह ग्राहक के परिसर तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है।

डाटा-ग्रामीण अनुप्रयोग एक्सचेंज (डी-आरएक्स) प्रोटोटाइप साफ्टवेयर का कार्य पूरा हो गया है।

ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी

मल्टीपोर्ट ऑप्टिकल इंटरप्राइज साल्यूशन (एमओईएस), जो एक जीपीओएन प्रौद्योगिकी है, तैयार है और इसका उपयोग फील्ड में वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। समानान्तर रूप से सीपीई के परिवर्त्यों और मल्टी-पोर्ट टर्मिनल (एमटी) के लिए वैधीकरण कार्यकलाप पूरा कर लिया गया है जिन्हें प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए फील्ड में संस्थापित किया जा रहा है। 6 विनिर्माताओं के साथ प्रौद्योगिकी-अंतरण (टीओटी) करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

टेराबिट रूटर हार्डवेयर का प्रयोगशाला प्रोटोटाइप बनाया गया है। आईपीवी 4 के लिए प्रोटोकॉल पोर्टिंग का कार्य पूरा हो गया है, और एमपीएलएस और वीपीएन के लिए पोर्टिंग का कार्य चल रहा है।

कार्यनीतिक उद्यम समाधान

मानक एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित विशिष्ट संचार नेटवर्क (एसडीसीएन) की डिजाइन और विकास का कार्य पूरा कर लिया गया है। सॉफ्टस्विच, डीआर (आपदा पुनर्व्यवस्था) साइट, डीएसएलएएम (डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर), एडीएसएल लाइनों के प्रचालन शुरू होने के साथ एसडीसीएन नेटवर्क स्थापित किया गया है। सुरक्षित वीओआईपी सीपीई की मूल प्रकार्यात्मकता के लिए सुरक्षित वीओआईपी सीपीई का भी विकास किया गया है और प्रदर्शित किया गया है। फील्ड में नेटवर्क घटकों की संस्थापना की जा रही है। सीएसएमपी ढांचे के प्रयोगशाला प्रोटोटाइप का कार्य पूरा हो गया है। सीएसएमपी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर एनएमएस अनुप्रयोग विकास का कार्य चल रहा है।



डाटा क्लियरिंग हाउस अनुप्रयोग वाणिज्यिक प्रचालन में है जिसके ग्राहक बीएसएनएल और एमटीएनएल हैं।

दूरसंचार नेटवर्क और समर्थकारी प्रौद्योगिकियों पर मूल शोध/अध्ययन/प्रायोगिक परियोजनाएं

भावी प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों नामतः एलटीई-ए, डब्ल्यूआईपीएस, यूनिफाइड एनएमएस, 10जी जीपीओएन आदि के लिए अध्ययन परियोजनाएं शुरू की गई हैं और चल रही हैं।

विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए अभिवृद्धि/नई विशेषता उन्नयन/ अनुकूलन/तकनीकी सहायता

यह संस्थापित प्रणालियों के लिए फील्ड सम्बंधी विभिन्न मुद्दों, घटक संबंधी पुरानेपन, स्तरोन्नयन आदि पर ध्यान देने के लिए सतत प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम है। इसमें हुई प्रगति निम्नानुसार है:-

- एफटीटीएच सेवाओं पर वॉयस व्यवस्था के लिए सी-डॉट समाधान 132 शहरों में प्रचालन में है। इसका अन्य शहरों तक विस्तार किया जा रहा है।
- एमएएक्स-एनजी के वैधीकरण और परीक्षण का कार्य पूरा हो गया है। ये प्रणालियां फील्ड में बीएसएनएल नेटवर्क के 3 साइटों पर प्रचालनरत हैं और ये फील्ड के लायक साबित हुई हैं। एमएएक्स से एमएएक्स-एनजी प्रणालियों में व्यापक माइग्रेशन की योजना बनाई जा रही है।
- नियमित आन-साइट/और ऑफ-साइट प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान की जा रही है। सहायता सेवाओं के लिए राजस्व संग्रह योजनानुसार है।
- सी-डॉट ने बीओएम स्पेक्स से मिलकर बना साल्यूशन दस्तावेज तैयार किया और उसे आईएसपी (इंटरनेट सेवा प्रदाताओं) को प्रस्तुत किया ताकि वे अपने पीओपी/गेटवे साइटों की मॉनीटरिंग के लिए आवश्यक हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर को अधिप्राप्त करने में उन्हें समर्थ बनाया जा सके। 9 नए स्थानों पर आईएसपी मॉनीटरिंग प्रणाली संस्थापित की गई है।

व्यवसाय संवर्द्धन और आईपीआर

- एक पेटेन्ट को मंजूरी दी गई है। 3 प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेन्ट दायर किए गए हैं।
- जीपीओएन प्रौद्योगिकी सम्बन्धी विनिर्माताओं के साथ टीओटी करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- विभिन्न प्रौद्योगिकी परियोजनाओं नामतः एलटीई-ए, ब्रॉडबैंड वायरलेस, एनएमएस तथा पीसीबी के विनिर्माण के सम्बन्ध में संविदात्मक सम्बन्धों के लिए चार एनडीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- कुल 20 प्रौद्योगिकी संवर्द्धन सम्बन्धी शुरूआत की गई हैं जिनमें प्रदर्शनियां, डेमो, विजिट्स, पायलट्स तथा प्रस्तुतीकरण आदि शामिल हैं।

प्रदर्शनियां एवं सम्मेलन

सी-डॉट ने अपनी ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी-जीपीओएन (गीगाबीट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क) के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया और छह विनिर्माताओं को उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया।

सी-डॉट ने दिसम्बर माह, 2011 में इंडिया टेलीकॉम 2011 प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया।



42वीं आईटीई-मध्यावधि संगोष्ठी

कार्यपालक निदेशक, सी-टॉट ने 15 अप्रैल से होटल फार्चुन पार्क जेपी सेलेसियल, बंगलुरु में आईटीई मध्यावधि संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने "दूरसंचार प्रतिमान-भारतीय परिदृश्य" विषय पर मुख्य सम्बोधन भाषण भी दिया।

कार्यक्रम के प्लैटिनम प्रायोजक के रूप में सी-डॉट ने अपने द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकियों और समाधानों का प्रदर्शन करने हेतु एक स्टॉल लगाया। इस प्रदर्शनी के दौरान डीआरएएक्स, जीपीओएन, आईपी-एनएमएस तथा एसजी-आरएन का प्रदर्शन किया गया। इस स्टॉल को उद्योग तथा शिक्षा जगत के कई गणमान्य आगन्तुकों ने देखा जिन्होंने सी-डॉट द्वारा किए जा रहे स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास की प्रशंसा की।

छठा एफटीटीएच काउन्सिल एशिया प्रशान्त सम्मेलन और प्रदर्शनी 2011

सी-डॉट ने होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में 25-26 मई, 2011 को आयोजित छठे एफटीटीएच एशिया प्रशान्त सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में सहभागिता की। काउन्सिल के एक सदस्य के रूप में सी-डॉट ने इस कार्यक्रम का एक रजत प्रायोजक के रूप में भी समर्थन किया। निदेशक, सी-डॉट ने "भारतीय जनसांख्यिकी, ग्रामीण/शहरी विभाजन और एफटीटीएक्स के प्रभाव" के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण पेश किया। प्रदर्शनी में सी-डॉट का एक स्टॉल भी था जिसमें जीपीओएन तथा डीआरएएक्स मुख्य आर्काण थे।

रक्षा तथा एयरोस्पेस स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रोनिक्स शिखर सम्मेलन 2011 (एसईएस 2011)

सी-डॉट ने एक अग्रणी प्रायोजक के रूप में एयरोस्पेस स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रोनिक्स शिखर सम्मेलन 2011 (एसईएस 2011) में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन इएलसीआईएनए द्वारा एचएएल कन्वेंशन सेन्टर, बंगलुरु में 29 जून, 2011 को किया गया।

जनवरी-मार्च, 2012 के दौरान अनुमानित प्रमुख प्रौद्योगिकीय उपलब्धियाँ

संचार एवं सुरक्षा, अनुसंधान और निगरानी:

- नेहरू प्लेस, दिल्ली में आरएमसी की तैनाती।
- निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ जीपीआरएएस के लिए सीएमएस एकीकरण तथा 3जी वीडियो अन्तरावरोधन।
- सी-डॉट सीएमएस प्रणाली को लाईव-मॉनीटरिंग के सम्बन्ध में अग्रणी विधि प्रवर्तन एजेन्सियों अर्थात् डीआरआई (राजस्व आसूचना निदेशालय), आईबी (आसूचना ब्यूरो), टीईआरएम (दूरसंचार उपस्कर संसाधन मॉनीटरिंग), दिल्ली को प्रशिक्षण।
- हरियाणा, चेन्नै में 3 सर्किलों तथा दिल्ली में 4-टीएसपी की संस्थापना के लिए प्रमुख उपस्कर प्रापण सम्बन्धी कार्यकलाप पूरा कर लिया जाएगा।

पूर्वोत्तर के लिए प्रौद्योगिकी

- आईएमएस फीचर-सेट के अनुकूल अगली पीढ़ी का वीओआईपी समाधान पूरा कर दिए जाने की आशा है।
- विकसित की गई कुछ नई प्रौद्योगिकियों का प्रायोगिक प्रयोग पूर्वोत्तर के राज्यों में करने की योजना बनाई गई है।



ग्रामीण प्रौद्योगिकियां

- एरनाकुलम में 1800 मेगाहर्टज तथा 900 मेगाहर्टज प्रणालियों वाले एसजी-आरएएन फील्ड ट्रायल को पूरा किया गया ।
- इसके अलावा घर-घर तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में ब्रॉडबैंड बेतार प्रणाली की प्रायोगिक तौर पर शुरुआत करने की परिकल्पना की गई है ।
- डीआरएएक्स (डाटा रूरल एप्लीकेशन एक्सचेंज), जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ई-स्वास्थ्य, ई-कृषि, ई-शासन, इत्यादि जैसी चुनिन्दा सेवाओं के लिए फ्रन्ट-एंड आसूचना प्रदान की जाती है, को क्षेत्र विशिष्ट ग्रामीण अर्थव्यवस्था नामतः कृषि, सिल्क बाजार, स्वास्थ्य, ई-शिक्षा आदि में प्रायोगिक तौर पर आजमाए जाने की आशा है ताकि इन क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की शुरुआत के लिए इसके अनुप्रयोग का दर्शाया जा सके ।

ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी

- जीपीओएन प्रौद्योगिकी के लाइसेंसधारकों से प्रौद्योगिकी के उत्पादनीकरण में तेजी लाए जाने की आशा है ।
- लैब प्रोटो-टाइप टेराबिट-रूटर-आईपीवी 4/आईपीवी-6 के अनुपालन की योजना तैयार है ।

कार्यनीतिक उद्यम समाधान

- स्वीकृति परीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही एसडीसीएन नेटवर्क विस्तार की योजना बनाई गई है ।
- आईपी-एनएमएस अनुप्रयोग को पोर्टिंग के साथ ही सीएसएमपी (कस्टमाइज्ड सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफार्म) की रूपरेखा को प्रायोगिक तौर पर शुरू करने की योजना बनाई गई है ।

व्यवसाय संवर्द्धन कार्यकलाप

- जनवरी माह, 2012 में सी-डॉट विनिर्माताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाना है ।





सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

	पृष्ठ
VIII.1 भारत संचार निगम लिमिटेड	93-105
VIII.2 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	107-119
VIII.3 आईटीआई लिमिटेड	121-126
VIII.4 टेलीकम्युनिकेशंस कन्सलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड	127-130



VIII. 1 भारत संचार निगम लिमिटेड

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का तत्कालीन दूरसंचार प्रचालन विभाग और दूरसंचार सेवाएं विभाग का निगमीकरण करके 1 अक्टूबर, 2000 को गठन किया गया। इस कंपनी ने दिल्ली एवं मुंबई को छोड़कर, देशभर में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु दूरसंचार विभाग के तत्कालीन कार्यों का अधिग्रहण किया है। दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल के दक्ष कर्मचारियों की संख्या लगभग 2.71 लाख है। भारत संचार निगम लिमिटेड भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है।

भारत संचार निगम लिमिटेड एक प्रौद्योगिकी उन्मुख कंपनी है और यह सभी प्रकार की टेलीफोन सेवाएं यथा लैंडलाइन टेलीफोन सेवा, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, पट्टाशुदा सर्किट एवं लंबी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान करती है।

यह कंपनी 100% डिजिटल नई प्रौद्योगिकी स्विचिंग नेटवर्क के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी रही है। बीएसएनएल का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क सभी जिला मुख्यालयों, उप मंडलीय मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और लगभग सभी खंड मुख्यालयों को कवर करता है।

वर्ष 2011-12 की विशेषताएं

- बीएसएनएल के 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार 1197.66 लाख उपभोक्ता हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान, (31.12.2011 तक) इसने 27.07 लाख उपभोक्ता और बनाए हैं।
- दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल के 444.80 लाख लाइन क्षमता से सुसज्जित 37,963 वायर लाइन टेलीफोन एक्सचेंज थे और इसका उपभोक्ता आधार 252.25 लाख था। दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार, 431.24 लाख लाइन क्षमता से सुसज्जित वायरलाइन टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 37,653 है और कनेक्शनों की संख्या 230.04 लाख है।
- दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल के 862.69 लाख जीएसएम मोबाइल कनेक्शन थे। वर्ष 2011-12 के दौरान, (31.12.2011 तक) इसने 61.59 लाख जीएसएम मोबाइल कनेक्शन और बढ़ाए हैं जिससे दिनांक 31.12.2011 को इसके जीएसएम मोबाइल ग्राहकों की संख्या 924.28 लाख हो गई है।
- दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार, डब्ल्यूएलएल कनेक्शनों की संख्या 55.65 लाख थी। दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार, कनेक्शनों की संख्या कम होकर 43.34 लाख रह गई।
- बीएसएनएल उच्च गति ब्रॉडबैंड (डीएसएल) सेवाएं प्रदान करता है और 31.03.2011 को ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या 74.91 लाख थी। वर्ष 2011-12 के दौरान, (31.12.2011 तक) इसमें 10.81 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन और जोड़े गए हैं जिससे 31.12.2011 को ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 85.72 लाख हो गई है।
- बीएसएनएल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) है और यह इंटरनेट सेवाओं की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराता है जिसके लिए इसने राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन (एनआईबी) की स्थापना की है। बीएसएनएल ने दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार, 36.78 लाख लाख इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किए हैं। दिनांक 31.12.2011 को इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या कम होकर 35.76 लाख रह गई।



- दिनांक 31.03.2011 को ग्रामीण टेलीफोनों की कुल संख्या 414.14 लाख (यानि कुल टेलीफोनों का लगभग 35.38%) थी। वर्ष 2011-12 के दौरान (31.12.2011 तक) इसने 1.86 लाख ग्रामीण टेलीफोन और जोड़े हैं। दिनांक 31.12.2011 तक बीएसएनएल के ग्रामीण टेलीफोनों की संख्या 416.32 लाख (यानि कुल टेलीफोनों का लगभग 34.73%) थी।
- 2001 की जनगणना के अनुसार, बीएसएनएल ने 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार, 5.94 लाख गाँवों में से 5.75 लाख गाँवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराए थे। वर्ष 2011-12 के दौरान 31.12.2011 तक, इसने 797 और गाँवों को कवर किया है।

वित्तीय निष्पादन

1 अक्टूबर, 2000 से तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग/दूरसंचार प्रचालन विभाग की परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ बीएसएनएल को अंतरित कर दी गई हैं। पूंजीगत अवसंरचना, जिसमें 5000 करोड़ रुपए की इक्विटी, 7500 करोड़ रुपए की अधिमानी इक्विटी, 7500 करोड़ रुपए सरकारी ऋण, 3056 करोड़ रुपए एमटीएनएल से ऋण और आरक्षित निधि के रूप में 40310 करोड़ रुपए शामिल हैं, के स्थान पर दिनांक 1 अक्टूबर, 2000 को बीएसएनएल द्वारा अधिग्रहित परिसंपत्तियों (अचल परिसंपत्तियाँ, सीडब्ल्यूआईपी, कर्जदारों और वस्तु सूची आदि) का मूल्य 63,366 करोड़ रुपए आकलित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, बीएसएनएल ने 29,688 करोड़ रुपए का कुल राजस्व अर्जित किया है। कड़ी प्रतिस्पर्धा और एआरपीयू में भारी गिरावट के कारण कंपनी को करोड़ों रुपए की हानि हुई। वर्ष 2010-11 के अंत में कंपनी की विशुद्ध लागत 80,069 करोड़ रुपए थी।

वर्ष 2011-12 के दौरान उपलब्धियाँ:

क्रम संख्या	मानदंड	इकाई	वर्ष 2011-12 के दौरान लक्ष्य	उपलब्धियाँ (31.12.2011 तक)
1	मोबाइल कनेक्शन	लाख संख्या	200.00	61.59
2	ब्रॉडबैंड कनेक्शन	लाख संख्या	75.00	10.91
3	वायरलाइन+डब्ल्यूएलएल कनेक्शन	लाख संख्या	0.00	-34.52

नोट: दिनांक 01.04.2011 से सभी 2जी उपभोक्ताओं को 3जी सुविधा प्रदान की गई है।

इंटेलेजेंट नेटवर्क:

- इंटेलेजेंट नेटवर्क प्लेटफार्म (4 आर सामान्य प्रयोजन और 1 मास कालिंग) की 5 नई प्रौद्योगिकी के चालू हो जाने से समूचे देश में इंटेलेजेंट नेटवर्क की सेवाएं उपलब्ध हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न आईएन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जैसे आईटीसी व कॉल नाऊ (प्रीपेड कालिंग कार्ड्स), एसीसी (एकाउंट कार्ड कालिंग), एफपीएच (फ्री फोन), यूएन (यूनिवर्सल एक्सेस नम्बर), पीआरसी (प्रीमियम रेट कालिंग), वायस वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क), यूपीएन (यूनिवर्सल पर्सनल नम्बर) एवं टेलीवोटिंग तथा फिक्सड-लाइन प्री पेड (एफएलपीपी) सेवा।
- टेली वोटिंग सेवा हैदराबाद स्थित बीएसएनएल के मास कालिंग आई एन प्लेटफार्म द्वारा “इंडियन आइडल”, “कौन बनेगा करोड़पति” (केबीसी), “सा रे गा मा” इत्यादि जैसे कार्यक्रमों को प्रदान की जाती है।
- पीसीओ के लिए फिक्सड लाइन प्री-पेड (एफएलपीपी) टेलीफोनी सेवा उपलब्ध है।



- पोस्ट पेड सेवा के लिए एफएलपीपी प्री-पेड टेलीफोनी सेवा उपलब्ध है।
- बीएसएनएल लैंडलाइन, बीएसएनएल सैल वन एवं एमटीएनएल लैंडलाइन सहित संयुक्त वायस वीपीएन सेवा उपलब्ध है।
- भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अधिकांशतः सभी प्राइवेट प्रचालकों के नेटवर्क के माध्यम से बीएसएनएल की टोल और यूएन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अंतः प्रचालनात्मकता करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाओं के प्री-पेड कार्डों की ऑन लाइन बिक्री उपलब्ध है।

कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी:

सीडीआर परियोजना की स्थिति

लैंडलाइन/ब्रॉडबैंड के संबंध में वाणिज्य, टीआरए (दूरसंचार राजस्व लेखा), एफआरएस (दोष सुधार सेवा) और डीक्यू (निर्देशिका संबंधी पूछताछ) की सभी मौजूदा प्रणालियों को सीडीआर आधारित कन्वर्जेंट बिलिंग और उपभोक्ता सेवा प्रणाली से बदला जा रहा है।

सीडीआर परियोजना में बीएसएनएल के लिए केन्द्रीकृत बिलिंग और लेखा प्रणाली, सीआरएम, उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं-सहायता हेतु वेब आधारित क्षमताएं, राजस्व आश्वासन और धोखाधड़ी नियंत्रण प्रणाली (एफएमएस), विभिन्न प्रौद्योगिकी स्विचों में प्रावधान, इन्वेन्टरी, निर्देशिका पूछताछ, उद्यम रिपोर्टिंग इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। डाटा केन्द्रों के साथ सहसत्रावसान जोनल हाई एंड आईवीआरएस प्रणाली भी कॉल सेंटरों जैसे विभिन्न उपभोक्ता संबंधित अनुप्रयोगों/सेवाओं के लिए सीडीआर परियोजना का भाग है।

दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार, कुल 334 एसएसए में से 277 एसएसए सीडीआर प्रणाली में अंतरित किए गए। शेष एसएसए के लिए सीडीए रोल आउट जारी है।

आईडीसी की स्थापना

बीएसएनएल ने डाटा केन्द्र सेवा प्रदाताओं (डीसीएसपी) के साथ साझा राजस्व आधार पर भागीदारी से इंटरनेट डाटा केन्द्रों (आईडीसी) की स्थापना करने और उसका प्रचालन करने के लिए एक समझौता किया है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पर सभी सीएपीआईएक्स और वातानुकूलन सहित डाटा केन्द्र पर्यावरण संबंधी कार्य बीएसएनएल द्वारा प्रदान किए गए कवर्ड स्थान पर बोलीदाता द्वारा किए जाने हैं। बीएसएनएल डाटा केन्द्र सेवा प्रदाता को केवल ईए सेट और बिजली प्रदान करेगा।

ग्राहकों के लिए आईटी सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्व साझा आधार पर इंटरनेट डाटा केन्द्र (आईडीसी) की स्थापना का कार्य बीएसएनएल को सौंपा गया है। विभिन्न शहरों में ऐसे 10 डाटा केन्द्रों की स्थापना किए जाने की योजना है।

पीएसटीएन (लैंडलाइन एवं ब्रॉडबैंड) हेतु काल सेंटर

पीएसटीएन (लैंडलाइन एवं ब्रॉडबैंड) हेतु काल सेंटरों का मानकीकरण करने और उन्हें कारगर बनाने के लिए बीएसएनएल सीओ ने ब्रॉडबैंड एवं संबंधित वीएस सहित वायरलाइन हेतु काल सेंटर की स्थापना हेतु निविदा जारी की है। सीईटी ने तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों का मूल्यांकन किया है और अनुमोदन हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।



क्षेत्रीय बिल प्रिंटिंग

क्षेत्रीय बिल प्रिंटिंग हेतु निविदा को अंतिम रूप दिया गया है और एपीओ/पीओ जारी किए जा चुके हैं। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै एवं पूना स्थित सभी चारों क्षेत्रों में प्रिंट सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।

वर्ष 2011-12 हेतु विशेष उपलब्धियाँ

- (i) शेष 25 एसएसए में सीडीआर प्लेटफार्म के अंतरण से संबंधित कार्य को पूरा किया जाएगा।
- (ii) विभिन्न सर्किलों/मैट्रो जिलों में 6 स्थानों पर साझा राजस्व आधार पर इंटरनेट डाटा केन्द्र (आईडीसी) की स्थापना का कार्य पूरा किया जाएगा।
- (iii) विभिन्न सर्किलों में ब्रॉडबैंड एवं संबंधित वीएसएस सहित वायरलाइन सेवा हेतु संपर्क केन्द्र सेवा को प्रचालनरत किया जाएगा।
- (iv) नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै और पूना सभी चारों क्षेत्रों में केन्द्रीकृत बिल प्रिंटिंग सुविधाओं का प्रचालन किया जाएगा।

ग्रामीण टेलीफोनी

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

- (i) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 31.12.2011 तक देश के 5,93,601 आवासित गाँवों में से 5,76,463 गाँवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान कर दी गई है।
- (ii) बीएसएनएल ने वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 100 से अधिक की जनसंख्या वाले 62302 (संशोधित) विवादरहित, शांत, अभिगम्य और आबाद गाँवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग की यूएसओएफ शाखा के साथ एक करार किया है। यूएसओ निविदा के अनुसार बीएसएनएल को सौंपे गए 62,302 गाँवों में 31.12.2011 तक 62,046 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान (दिसंबर, 2011 तक) कुल 2 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं। शेष ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के फरवरी, 2012 तक प्रदान किए जाने की संभावना है।
- (iii) भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा से वंचित अभिनव अभिज्ञात 62443 आबाद गाँवों में ग्रामीण सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग के यूएसओएफ के साथ एक करार किया है। इन 62443 गाँवों में से बीएसएनएल ने सितंबर, 2011 तक 48,748 गाँवों को वीपीटी सुविधा प्रदान कर दी है। वर्ष 2011-12 के दौरान (दिसंबर, 2011 तक) कुल 824 वीपीटी प्रदान किए गए हैं। मई, 2012 तक शेष वीपीटी के प्रदान किए जाने की आशा है।

एमएआरआर वीपीटी को बदला जाना

बीएसएनएल ने 185,121 वीपीटी (जिन्हें पहले आवंटित 1,86,872 से संशोधित किया गया था), जो पहले मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे थे, को बदलने के लिए दूरसंचार विभाग के यूएसओएफ के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांक 31.12.2011 तक कुल 184,775 एमएआरआर वीपीटी को प्रतिस्थापित किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान (31.12.2011 तक) कुल 105 एमएआरआर को प्रतिस्थापित किया गया है। शेष एमएआरआर के फरवरी, 2012 तक प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना है।



दूरसंचार उद्योग

कोलकाता, गोपालपुर, खड़गपुर, जबलपुर, भिलाई, रिच्छई और मुंबई स्थित बीएसएनएल दूरसंचार उद्योग कंपनी की घरेलू विनिर्माण इकाइयाँ हैं। टीएफ मुंबई आईएसओ 14000: 2004 एवं 18001:2007 ओएचएसएस प्रमाणित है और अन्य सभी उद्योग आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित हैं। फिलहाल, ये फैक्ट्रियाँ सिम कार्ड, पीएलबी एफडीपीई दूरसंचार डक्ट, अस्थायी सुरक्षा उपकरण, एलजेयू कम स्पिलटर, ओएफसी सहायक सामग्री, एफडीएमएस, एसएस ड्रॉप वायर, जॉयनिंग किट्स, डीडीएफ, टावर एवं अन्य पारंपरिक मदों जैसे लघु पिलर, सीडी केबिनेट, सीटी बॉक्स, डीपी बॉक्स, एलजेयू आदि के उत्पादन का कार्य कर रही हैं। सदा परिवर्तनशील दूरसंचार परिदृश्य में, दूरसंचार उद्योग का नए प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में प्रवेश करने और विनिर्माण एवं सेवा प्रदान करने वाले संगठन के रूप में बीएसएनएल को समर्थन देने का प्रयास है।

टावरों एवं अन्य पारंपरिक उत्पादों की गिरती मांग, कम होती श्रम शक्ति और अंतरप्रचालक प्रतिस्पर्धा वातावरण द्वारा उत्पन्न सभी कठिनाइयों के मध्य, इन कंपनियों ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले नौ माह के दौरान 115 करोड़ सिम कार्ड सहित 115.74 करोड़ रूपए कीमत की दूरसंचार मदों की आपूर्ति की है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं प्रशिक्षण

वर्ष 2011-12 के दौरान (दिसंबर, 2011 तक) उपलब्धियाँ

अप्रैल, 2011-दिसंबर, 2011 की अवधि के दौरान बीएसएनएल के कुल 23 अधिकारियों को विदेशों में विभिन्न कार्यक्रमों में भेजा गया जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

बीएसएनएल में कार्यरत अधिकारियों की दक्षता एवं योग्यता को बढ़ाने के लिए दो अधिकारियों को विभिन्न प्रौद्योगिकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया।

9 अधिकारियों को दूरसंचार के क्षेत्र में हो रही अद्यतन प्रगति के बारे में प्रथमदृष्टया जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रदर्शनियों/बैठकों/सम्मेलनों में भाग लेने/कारोबार संबंधी दौरों पर भेजा गया।

सीटीओ पीडीटी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 9 अधिकारियों को प्रशिक्षक के रूप में भेजा गया।

3 अधिकारियों को 12 सितंबर से 20 अक्टूबर, 2011 के दौरान “स्पेक्ट्रम प्रबंधन एवं मूल्य निर्धारण कार्य प्रणाली” के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आईटीयू एसपी उत्कृष्टता केन्द्र के लिए नामांकित किया गया।

प्रशिक्षण

बीएसएनएल के शीर्ष स्तर के निम्नवत तीन प्रशिक्षण केन्द्रों सहित देश भर में 38 दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र हैं:-

- उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र (एएलटीटीसी), गाजियाबाद
- भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान (बीआरबीआरएआईटीटी), जबलपुर
- राष्ट्रीय दूरसंचार वित्त एवं प्रबंधन एकादमी (एनएटीएफएम), हैदराबाद और



साथ ही, दूरसंचार, आईटी एवं प्रबंधन के क्षेत्र में देश भर के अपने कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देश भर में स्थित 15 आरटीटीसी एवं 20 सीटीटीसी/डीटीटीसी हैं।

मौजूदा वर्ष के दौरान (अप्रैल, 2011 से दिसंबर, 2011 तक) 50,046 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बीएसएनएल द्वारा अपने कर्मचारियों में ज्ञान एवं सूचना के प्रभावी प्रसार के लिए ई-शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय, वर्चुअल शिक्षण कक्ष, केन्द्रीकृत डाटा प्रबंधन आदि जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकीय पहल की गई हैं।



प्रो० वी०एन० राजशेखरन पिल्लई, उप कुलपति, ईग्नू भारत में शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 27 जुलाई 2011 को श्री आर०के० उपाध्याय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल के साथ समक्षौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए।



चयनित क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विकास

विशेष घटक योजनाएं: बीएसएनएल की वार्षिक योजना (1) पूर्वोत्तर क्षेत्र और (2) जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय उप योजना में विशेष घटक योजनाओं के तहत दूरसंचार सुविधाओं की तीव्र वृद्धि पर विशेष बल देती है।

पूर्वोत्तर राज्यों की नेटवर्क स्थिति: पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार, दूरसंचार सुविधाओं की स्थिति को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

क्र० सं०	राज्य का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज	कुल क्षमता (लाइनों में)	कुल सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या)	प्रतीक्षा सूची (वायरलाइन)	वीपटी (2001 की जनगणना के अनुसार)
1	असम	597	613248	229173	12	24, 326
2	पूर्वोत्तर-1					
(2ए)	मेघालय	111	77,044	40756	24	4,943
(2बी)	मिजोरम	105	72,400	47,037	97	704
(2सी)	त्रिपुरा	135	105328	54549	285	858
	जोड़	351	254772	142342	406	6,505
3	पूर्वोत्तर-2					
(3ए)	अरुणाचल प्रदेश	107	87,768	37077	0	2,595
(3बी)	मणिपुर	52	55,196	27863	0	2,170
(3सी)	नागालैंड	62	61,036	45775	0	1,262
	जोड़	221	2,04,000	110715	0	6,027
4	सिक्किम	47	44,592	13445	0	427
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,216	11,16,612	495,675	418	37,285

विकास स्थिति : वर्ष 2011-12 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

मद	2011-12	
	लक्ष्य (समझौता ज्ञापन के अनुसार)	उपलब्धियां (31 दिसंबर, 2011 तक)
निवल स्विचन क्षमता (लाइनें) (तारशुदा ३ डब्ल्यूएलएल ३ सीएमटीएस) सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या)	1,77,752	1,95,908
(i) फिक्सड	41,581	- 39237
(ii) मोबाइल	4,58,435	2,35,145
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (सं०) (2001 की जनगणना के अनुसार)	2,331	353
ब्रॉडबैंड क्षमता (पोर्ट)	11,020	2,252
ब्रॉडबैंड कनेक्शन (संख्या)	58,412	16,676



टेली-घनत्व - 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शनों की स्थिति और राज्य/सर्किल-वार टेली-घनत्व का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है -

राज्य का नाम	बीएसएनएल के टेलीफोन कनेक्शन	बीएसएनएल के फोनों का टेली-घनत्व	सभी प्रचालकों द्वारा टेली-घनत्व	बीएसएनएल का बाजार शेयर का प्रतिशत
असम	1,827,575	5.92	45.85	12.91
मेघालय	239,610	9.36	64.02	21.20
मिजोरम	200,918	20.30		
त्रिपुरा	436,285	12.17		
पूर्वोत्तर-2	876,813	12.28		
अरुणाचल प्रदेश	342,113	27.62		
मणिपुर	220,082	8.98		
नागालैंड	337,643	14.99		
पूर्वोत्तर-2	899,838	15.15		
सिक्किम	127,047	20.65	--	--
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र	3,697,669	8.40	--	--

जनजातीय उपयोजना

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक योजना का एक हिस्सा है। जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के संतुलित और त्वरित विकास के लिए इन्हें विशेष महत्व का क्षेत्र माना गया है। जनजातीय उपयोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं (i) जनजातीय क्षेत्रों में मांग पर दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराना (ii) जनजातीय क्षेत्रों के सभी एक्सचेंजों में एनएसडी सुविधा उपलब्ध करना और (iii) सभी जनजातीय ग्रामों में सार्वजनिक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध करना। जनजातीय क्षेत्र अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर-I, पूर्वोत्तर-II उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और पश्चिम बंगाल राज्यों में पड़ते हैं।

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के तहत वर्ष 2011-12 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

क्र०सं०	मर्दे	2011-12	
		लक्ष्य	वर्ष 2011-12 के दौरान उपलब्धि (31 दिसंबर, 2011 तक)
1.	टेलीफोन एक्सचेंज (सं०)	-	3
2.	स्विचन क्षमता (लाख लाइनें)	-	3.08
3.	सीधी एक्सचेंज लाइनें (लाख लाइनें)	11.89	2.22
4.	ओएफसी (रूट कि०मी०)	4836	646

नोट : तिमाही आधार पर संग्रहण



बीएसएनएल द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय/प्रदान की गई सुविधाएं

बीएसएनएल अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चला रहा है। इसने वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए 10 करोड़ ₹0 आबंटित किए हैं। इस संबंध में लगभग 2.00 करोड़ ₹0 का अनुदान पहले ही जारी किया जा चुका है।

बीएसएनएल कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति/बुक अवार्ड/प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।

उन बीएसएनएल कर्मचारियों जिनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है के परिवार को 15000/- ₹0 की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना।

गंभीर बीमारी अथवा बड़े सर्जिकल आपरेशन के मामले में 25,000/- ₹0 की वित्तीय सहायता प्रदान करना।

प्राकृतिक आपदा/सांप्रदायिक दंगे/उग्रवादी हमलों के पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता प्रति कर्मचारी 5,000/- ₹0 है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्राइंग प्रतियोगिता और नारे लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करना।

पर्यटन यात्राएं करने के लिए 75% पर्यटन राज-सहायता प्रदान करना।

अवकाश गृह

अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग करने के लिए देशभर में इसके 38 अवकाश गृह हैं।

कर्मचारियों की संख्या

31.12.2011 की स्थिति के अनुसार

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	भूतपूर्व सैनिक	महिला कर्मचारी
क	7284	1208	462	7	520
ख	46544	7312	2081	134	7621
ग	177894	32067	9112	599	23144
घ	37748	8717	2107	19	7216
औद्योगिकी मजदूर	2227	426	215	1	114
कुल	271697	49730	13977	760	38615



भारत के माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री सैम पित्रोदा के साथ श्री आर के उपाध्याय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल तथा श्री सुनील काकोड, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसआईएस नई दिल्ली में 18 जुलाई, 2011 को ब्रॉडबैंड पर वीओआईपी सेवा को प्रारंभ करते हुए



श्री रमन श्रीवास्तव, महानिदेशक, बीएसएफ के साथ श्री आर. के. भाटिया, महानिदेशक, आईटीबीपी 19 मई, 2011 को अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के लिए विशेष प्रशुल्क योजनाओं की शुरुआत पर श्री आर. के. उपाध्याय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल के साथ हाथ मिलाते हुए ।



तालिका - 1

टेलीफोन एक्सचेंजों और सीधी एक्सचेंज लाइनों की स्थिति

क्र.सं.	सर्किल/राज्य	टेलीफोन एक्सचेंज (वायरलाइन)		सीधी एक्सचेंज लाइनें (वायरलाइन + डब्ल्यूएलएल + सीएमटीएस)	
		मार्च, 11	दिसंबर, 11	मार्च, 11	दिसंबर, 11
1	अंडमान और निकोबार	46	46	212,968	228,565
2	आंध्र प्रदेश	4,266	4,266	9,309,596	10,801,918
3	असम	603	597	1,739,591	1,827,575
4	बिहार	1,214	1,197	5,299,549	4,736,104
5	छत्तीसगढ़	580	566	1,493,248	1,532,780
6	गुजरात	2,999	2,983	5,692,444	5,720,266
7	हरियाणा	1,335	1,301	3,666,605	3,483,599
8	हिमाचल प्रदेश	1,177	1,170	2,002,037	2,029,164
9	जम्मू कश्मीर	369	372	1,049,531	1,198,404
10	झारखंड	488	488	1,863,975	1,880,396
11	कर्नाटक	2,792	2,799	7,745,753	8,549,592
12	केरल	1,245	1,243	9,147,526	9,890,740
13	मध्य प्रदेश	2,414	2,387	4,565,716	4,098,492
14	महाराष्ट्र	4,917	4,855	9,078,525	8,176,757
15	पूर्वोत्तर-I	348	351	778,330	897,815
16	पूर्वोत्तर-II	221	221	930,414	908,656
17	उड़ीसा	1,174	1,158	4,392,203	4,690,444
18	पंजाब	1,514	1,511	5,808,842	5,863,704
19	राजस्थान	2,307	2,276	6,873,836	6,776,915
20	तमिलनाडु	2,015	2,014	8,675,348	9,553,911
21	उत्तरांचल	481	481	1,527,428	1,618,124
22	उत्तर प्रदेश - (पूर्व)	2,185	2,173	11,439,585	11,523,810
23	उत्तर प्रदेश- (पश्चिम)	1,045	1,040	3,693,724	3,834,635
24	पश्चिम बंगाल	1,380	1,380	3,858,457	3,982,790
25	कोलकाता	524	453	3,686,891	3,361,550
26	चेन्नै	324	325	2,526,909	2,598,873
बीएसएनएल - जोड़		37,963	37,653	117,059,031	119,765,579



तालिका - 2

ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों की स्थिति

क्र० सं०	सर्किल	2011-12 (31 मार्च, 2011)			2011-12 (31 दिसंबर, 2011)		
		ग्रामीण फोन	कुल फोन	ग्रामीण टेलीफोन प्रतिशतता	ग्रामीण फोन	कुल फोन	ग्रामीण टेलीफोन प्रतिशतता
1	अंडमान और निकोबार	95,710	212,968	44.94%	100,747	228,565	44.08%
2	आंध्र प्रदेश	4,729,541	9,309,596	50.80%	5,375,666	10,801,918	49.77%
3	असम	594,291	1,739,591	34.16%	619,730	1,827,575	33.91%
4	बिहार	1,984,841	5,299,549	37.45%	1,741,550	4,736,104	36.77%
5	छत्तीसगढ़	519,217	1,493,248	34.77%	531,193	1,532,780	34.66%
6	गुजरात	1,928,246	5,692,444	33.87%	1,917,736	5,720,266	33.53%
7	हरियाणा	2,201,548	3,666,605	60.04%	2,019,512	3,483,599	57.97%
8	हिमाचल प्रदेश	1,298,299	2,002,037	64.85%	1,309,034	2,029,164	64.51%
9	जम्मू कश्मीर	157,921	1,049,531	15.05%	164,297	1,198,404	13.71%
10	झारखंड	558,264	1,863,975	29.95%	566,019	1,880,396	30.10%
11	कर्नाटक	1,501,143	7,745,753	19.38%	1,748,165	8,549,592	20.45%
12	केरल	4,895,396	9,147,526	53.52%	5,070,779	9,890,740	51.27%
13	मध्य प्रदेश	1,683,146	4,565,716	36.86%	1,366,385	4,098,492	33.34%
14	महाराष्ट्र	3,230,143	9,078,525	35.58%	2,838,616	8,176,757	34.72%
15	पूर्वोत्तर-I	274,005	778,330	35.20%	311,743	897,815	34.72%
16	पूर्वोत्तर-II	358,486	930,414	38.53%	365,028	908,656	40.17%
17	उड़ीसा	1,911,912	4,392,203	43.53%	1,941,984	4,690,444	41.40%
18	पंजाब	2,252,357	5,808,842	38.77%	2,260,948	5,863,704	38.56%
19	राजस्थान	2,372,932	6,873,836	34.52%	2,275,385	6,776,915	33.58%
20	तमिलनाडु	1,688,943	8,675,348	19.47%	1,759,439	9,553,911	18.42%
21	उत्तरांचल	669,731	1,527,428	43.85%	704,795	1,618,124	43.56%
22	उत्तर प्रदेश - (पूर्व)	3,522,688	11,439,585	30.79%	3,562,358	11,523,810	30.91%
23	उत्तर प्रदेश- (पश्चिम)	863,542	3,693,724	23.38%	901,266	3,834,635	23.50%
24	पश्चिम बंगाल	2,008,275	3,858,457	52.05%	2,041,407	3,982,790	51.26%
25	कोलकाता	0	3,686,891	0.00%	0	3,361,550	0.00%
26	चेन्नै	113,334	2,526,909	4.49%	106,550	2,598,873	4.10%
बीएसएनएल - जोड़		41,413,911	117,059,031	35.38%	41,600,332	119,765,579	34.73%



तालिका - 3

दूरसंचार सुविधाओं से सीधे जुड़े हुए गांवों की संख्या

क्र० सं०	सर्किल/राज्य	गांवों की संख्या (अक्टूबर, 2009 से संसोधित)	31 मार्च, 2011 तक		31 दिसंबर, 2011 तक	
			वीपीटी युक्त गांव	वीपीटी युक्त गांवों की प्रतिशतता	वीपीटी युक्त गांव	वीपीटी युक्त गांवों की प्रतिशतता
1	अंडमान और निकोबार	501	343	68.46%	350	69.86%
2	आंध्र प्रदेश	26613	23961	90.03%	24001	90.19%
3	असम	25124	24221	96.41%	24326	96.82%
4	बिहार	39032	38926	99.73%	38932	99.74%
5	छत्तीसगढ़	19744	18169	92.02%	18170	92.03%
6	गुजरात	18159	16932	93.24%	16932	93.24%
7	हरियाणा	6764	6678	98.73%	6678	98.73%
8	हिमाचल प्रदेश	17495	17387	99.38%	17406	99.49%
9	जम्मू कश्मीर	6417	6343	98.85%	6353	99.00%
10	झारखंड	29354	28804	98.13%	28807	98.14%
11	कर्नाटक	27481	27448	99.88%	27449	99.88%
12	केरल	1372	1372	100.00%	1372	100.00%
13	मध्य प्रदेश	52117	51986	99.75%	51986	99.75%
14	महाराष्ट्र	41442	39741	95.90%	39743	95.90%
15	पूर्वोत्तर-I	7347	6271	85.35%	6505	88.54%
16	पूर्वोत्तर-II	7456	5987	80.30%	6001	80.49%
17	उड़ीसा	47529	44750	94.15%	44858	94.38%
18	पंजाब	12301	12065	98.08%	12065	98.08%
19	राजस्थान	39753	38838	97.70%	38838	97.70%
20	तमिलनाडु	13837	13837	100.00%	13837	100.00%
21	उत्तरांचल	15761	15364	97.48%	15365	97.49%
22	उत्तर प्रदेश - (पूर्व)	76993	74121	96.27%	74121	96.27%
23	उत्तर प्रदेश- (पश्चिम)	20949	23629	112.79%	23629	112.79%
24	पश्चिम बंगाल	37365	36268	97.06%	36517	97.73%
25	कोलकाता	1040	567	54.52%	567	54.52%
26	चेन्नै	1655	1655	100.00%	1655	100.00%
बीएसएनएल - जोड़		593601	575663	96.98%	576463	97.11%



VIII. 2 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

भूमिका

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 28 फरवरी, 1986 को पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया। एमटीएनएल ने 1 अप्रैल, 1986 को दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण, प्रबंधन, प्रचालन का उत्तरदायित्व लिया। एमटीएनएल स्थिर लाइन दूरसंचार सेवा दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में और जीएसएम मोबाइल सेवा (दिल्ली सहित इसके आस-पास के चार नगरों नोएडा, गुडगांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में) का प्रमुख प्रदाता है तथा मुंबई सहित मुंबई नगर निगम, नवी मुंबई निगम और थाणे नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्र इस कंपनी के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 800 करोड़ रूपए है। इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 630 करोड़ रूपए है जो प्रत्येक 10/- रूपए के 63 करोड़ रूपए शेयरों में विभक्त है। इस समय 56.25% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास है तथा शेष 43.75% शेयर विदेशी संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, म्यूचुअल फंडों तथा व्यक्तिगत निवेशकों सहित अन्यो के पास है।

एमटीएनएल को 1997 में नवरत्न का दर्जा दिया गया है और इसे 2001 में न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल पृथक गैर अनन्य लाइसेंस करार के तहत दिल्ली और मुंबई में डायल अप इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। एमटीएनएल ने वर्ष 2005 में अत्याधुनिक एडीएसएल 2+ प्रौद्योगिकी पर आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत की है। एमटीएनएल इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर तिहरी प्ले सेवाएं अर्थात ध्वनि (वीओआईपी सहित), उच्च गति इंटरनेट तथा आईपीटीवी सेवाएं प्रदान कर रहा है। जून 2008 में एमटीएनएल को अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाएं प्रदान करने के लिए आईएलडी लाइसेंस प्रदान किया गया। अगस्त 2008 में एमटीएनएल को 3जी और बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम प्रदान किया गया।

वास्तविक कार्य निष्पादन

टेली सेवाएं

एमटीएनएल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल एक्सचेंजों से जुड़े उपभोक्ताओं को कंप्यूटरीकृत प्रातः अलार्म, वॉयस मेल, स्वचालित परिवर्तित नम्बर घोषणा कंप्यूटरीकृत दोष बुकिंग/भुगतान प्रणाली आदि जैसी विभिन्न प्रकार की फोन प्लस सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

एमटीएनएल अपने उपभोक्ताओं को कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, वेक अप कॉल्स, ऐबसेन्ट सब्सक्राइबर सेवा, कॉलर आइडेंटिफिकेशन, फ्रेंड एंड फैमिली, नाइट टॉक, कॉल कान्फ्रेंस और वायस मेल आदि जैसी अनेक मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।



एमटीएनएल ने उपभोक्ताओं के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। एमटीएनएल ने उन्नत बिल संग्रहण और भुगतान प्रक्रिया (इंटरनेट पर और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिल भुगतान सहित) की शुरुआत की है, टेली मार्ट खोले हैं जिनमें अधिकांश उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध हैं, इंटरनेट और सीडी-रोम पर टेलीफोन निदेशिका की शुरुआत की है तथा उपभोक्ता सेवा प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया है। एमटीएनएल की उपभोक्ता सेवा प्रबंधन प्रणाली उपभोक्ताओं को "ऑन लाइन" सेवाओं की श्रृंखला उपलब्ध कराने में हमारे कर्मचारियों को सक्षम बनाती है जिनमें नई टेलीफोन लाइनों हेतु पंजीकरण, पते में परिवर्तन और बिल जारी करना शामिल है तथा इससे हमें एकल सम्पर्क स्थल से शिकायतों के मॉनीटरिंग में सहायता मिली है। एमटीएनएल ने सेवाओं का अत्यधिक उपयोग करने वाले "वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तियों" की पहचान की है और इन उपभोक्ताओं के साथ हमारे संबंधों को मजबूत बनाने के यथासंभव प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के साथ दो-तरफा प्रभावी संचार बनाने के लिए टेलीफोन अदालतें और खुले अधिवेशन सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

इस प्रकार वर्ष 2011-12 (दिसंबर, 2011 तक) के दौरान कुल 91.52 लाख कनेक्शन लेकर एमटीएनएल द्वारा निवल स्विचन क्षमता और 2.83 लाख निवल नए कनेक्शन (स्थिर लाइन, डब्ल्यूएलएल, जीएसएम और ब्राडबैंड सहित) जोड़े गए। वर्ष 2010-11 और 2012 (दिसंबर, तक) के दौरान दिल्ली और मुंबई की उपलब्धियों का ब्यौरा अनुबंध-1 और II में दिया गया है।

दोष दर

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान दोष दर निम्नवत है :-

दोषों की संख्या/100 टेलीफोन/माह

इकाइयां	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (दिसंबर, 2011 तक)
दिल्ली	7.20	6.71	7.71	11.01	6.58
मुम्बई	11.38	9.10	7.25	6.17	8.04

विभिन्न सेवाएं और परियोजनाएं

जीएसएम सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं

2 जी सेवाएं : एमटीएनएल की सेल्यूलर सेवा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक में जीएसएम क्षमता को 2 मिलियन और (750 हजार लाइन 3जी सहित) बढ़ाए जाने की योजना बनाई गई। एमटीएनएल, दिल्ली और मुंबई में क्षमता विस्तार का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। आज की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल की कुल जीएसएम नेटवर्क क्षमता मुम्बई में 3025 हजार और दिल्ली में 3025 हजार है।

3 जी सेवाएं : एमटीएनएल को 3जी स्पेक्ट्रम वर्ष 2008 में प्रदान किया गया और इसने दिल्ली तथा मुम्बई एलएसए के लिए 3जी स्पेक्ट्रम हेतु संयुक्त रूप से 6564 करोड़रु0 का भुगतान किया है। एमटीएनएल को दिल्ली और मुम्बई में 3जी सेवाएं शुरू करने के लिए 08.08.2008 को 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में फ्रीक्वेंसियों का आवंटन किया गया है। एमटीएनएल को दिल्ली तथा मुंबई प्रत्येक में तैनाती हेतु 5 मेगाहर्ट्ज के 1 कैरियर का आवंटन किया गया है। "जादू" ब्रांड वाली 3जी सेवाएं एमटीएनएल दिल्ली तथा मुंबई के समस्त क्षेत्र में उपलब्ध हैं।



एमटीएनएल की दिल्ली और मुम्बई के 3जी नेटवर्क के संबंध में नेटवर्क की वर्तमान स्थिति और भावी विकास योजना निम्नानुसार है :-

योजना	3जी नोड बी मुम्बई में स्थल	3जी नोड बी दिल्ली में स्थल	प्रत्येक क्षेत्र में 3जी क्षमता
नेटवर्क की वर्तमान स्थिति (3जी)			
31.10.2011 की स्थिति के अनुसार (3जी)	673 - मैक्रो 41 - माइक्रो	720- मैक्रो 55 - माइक्रो	दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक में 750 हजार
3जी नेटवर्क की विस्तार योजना			
चरण II में 3जी नोड बी का कार्य संपन्न	720-मैक्रो 100-माइक्रो	720-मैक्रो 100-माइक्रो	दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक में 750 हजार

3जी सेवा का उपभोक्ता आधार बढ़ाने के लिए एमटीएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए:

- एमटीएनएल बेहतर कवरेज के लिए अपने आरएफ नेटवर्क के विस्तार और उच्चतर डाटा दरों में सहायता देने के लिए अपने मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन के लिए एक निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया में है।
- एमटीएनएल उपभोक्ताओं को वीडियो टेलीफोनी, हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड, मोबाइल टीवी, वीडियो स्ट्रीमिंग आदि जैसी अनेक सेवाओं की पेशकश कर रहा है।
- अपनी 3जी सेवाओं की मांग को बढ़ाने के लिए एमटीएनएल विभिन्न विक्रेताओं के डाटा कार्डों और हैंडसेटों के साथ अपनी सेवाओं की बंडलिंग भी कर रहा है। एमटीएनएल ने अपने उपभोक्ताओं को 3जी डाटा कार्ड प्रदान करने के लिए दो कार्यनीतियां अपनायी हैं:
 - क) एमटीएनएल की 3जी सेवा के साथ 3जी डाटा कार्डों की बंडलिंग। इस मामले में एमटीएनएल सप्लायरों को एमटीएनएल की 3जी सेवाओं के साथ बंडल युक्त उनके 3जी डाटा कार्डों को बेचने की अनुमति देता है। एमटीएनएल की 3जी सेवाओं के साथ ऐसे डाटा कार्डों की अनुमति देने के पहले एमटीएनएल डाटा कार्डों का इनके निपादन के लिए एमटीएनएल के 3जी नेटवर्क में समग्र रूप से परीक्षण करता है।
 - ख) एमटीएनएल अपने ग्राहकों को 3जी डाटा कार्डों की स्वयं आपूर्ति करता है।
- हाल में एमटीएनएल ने 30,000 3जी/एचएसडीपीए डाटा कार्डों (दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक के लिए 15,000) के प्रापण के लिए मैसर्स टेराकॉम को क्रय आदेश जारी किया है। विक्रेता एमटीएनएल की पेशकश को स्वीकार कर चुका है और क्रय आदेश के लिए पीबीजी प्रस्तुत कर चुका है। आपूर्ति फरवरी, 2012 में शुरू होने की संभावना है।
- अपने सम्मानित ग्राहकों को विश्व स्तरीय सेवा/अनुभव प्रदान करने के लिए एमटीएनएल ने दिल्ली और मुम्बई में संस्थापित किए जा रहे 3जी नेटवर्कों की तकनीकी जांच करने के लिए मैसर्स क्वालकॉम को नियुक्त किया है। जांच में एमटीएनएल दिल्ली और मुम्बई के 3जी/डब्ल्यूसीडीएमए नेटवर्कों का नेटवर्क के आयाम मूल्यांकन और निष्पादन शामिल थे। परीक्षक से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह अतिरिक्त आवश्यकताओं यदि कोई हो को स्पट रूप से सामने लाए ताकि वैश्विक गुणवत्ता का नेटवर्क सुनिश्चित हो सके। मैसर्स क्वालकॉम कार्य पूरा कर चुका है और रिपोर्ट दे चुका है। इस रिपोर्ट के आधार पर 3जी नेटवर्क को विश्व स्तरीय बनाने के लिए एमटीएनएल नेटवर्क को नवीनतम प्रौद्योगिकी विशेषता की दृष्टि से उन्नत करने की योजना बना रहा है।
- दिल्ली और मुम्बई में उपयुक्त एफएमसी (फिक्स्ड मोबाइल कन्वर्जेंस) प्रौद्योगिकियां संस्थापित कर जीएसएम परियात संचालित करने हेतु अपने विशाल फिक्स्ड लाइन और ब्रॉडबैंड नेटवर्कों का उपयोग करने के लिए एमटीएनएल ने एमटीएनएल मुम्बई में फेस्टो सेल समाधान का परीक्षण शुरू किया है।



एमटीएनएल में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन : एमटीएनएल ने 20 जनवरी, 2011 को दिल्ली और मुम्बई के अपने नेटवर्क में मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी शुरू किया।

कोनेक्सस मोबाइल गठबंधन में भागीदारी: महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जीएसएम प्रचालकों के प्रतिष्ठित कोनेक्सस मोबाइल गठबंधन में शामिल हो गए हैं। फिलहाल, कुल 11 प्रचालक 10 देशों के गठबंधन का हिस्सा हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड ने जून, 2009 में दिल्ली में कोनेक्सस कार्यदल की बैठकों का संयुक्त रूप से आयोजन किया। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड गठबंधन गतिविधियों में सक्रियता से भाग ले रहा है। सिम प्रतिस्थापन कार्यक्रम ब्लैकबेरी प्रतिस्थापन कार्यक्रम, डाटा रोमिंग, फ्लेट रेट डाटा रोमिंग, कोनेक्सस वाइड एमएसएस आदि जैसी विभिन्न ग्राहकोन्मुखी स्कीमें गठबंधन द्वारा हाल ही में किए गए नवीन पहल कार्य हैं। इस गठबंधन ने अपनी पिछली तिमाही बैठक जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित की।

ब्रॉडबैंड नेटवर्क

एमटीएनएल द्वारा एडीएसएल 2 & 3 आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर ट्रिपल प्ले सेवाएं अर्थात् वायस (वीओआईपी सहित) उच्च गति इंटरनेट और आइपीटीवी की पेशकश की जा रही है। उपभोक्ताओं के बीच यह सेवा काफी लोकप्रिय है। इस समय एमटीएनएल के पास लगभग 16.28 लाख पोर्टों की संस्थापित ब्राडबैंड क्षमता है और 31.12.2011 को इसका उपभोक्ता आधार 10.16 लाख पहुंच गया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान लगभग 200 हजार ब्राडबैंड अभिगम उपस्कर स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है। मुम्बई के लिए मौजूदा नेटवर्क में अतिरिक्त 170 हजार पोर्ट की वृद्धि का कार्य चल रहा है।

एफटीटीएच (फाइबर टू दि होम)

एमटीएनएल हमारे अभिगम नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर जोड़ रहे हैं और जी पॉन आधारित एफटीटीएच चालू करने की योजना बना रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को उनके घरों तक फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इससे उनकी डाटा और विडियो दोनों अनुप्रयोगों की बढ़ती बैंडविड्थ संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

इसके अलावा एमटीएनएल ने एफटीटीएच पर प्रायोगिक परियोजना संचालित करने के लिए सी-डॉट को भी अनुमति दी है। इस उद्देश्य के लिए सी-डॉट ने सीजीओ परिसर में अपना जीपॉन सिस्टम संस्थापित किया है और उपस्कर का परीक्षण किया जा रहा है।

आईपी एमपीएलएस नेटवर्क

एमटीएनएल द्वारा दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल-2010 के दौरान खेल स्थलों पर हाई डिफिनिशन टीवी, गेम्स डाटा तथा सुरक्षा तथा विश्व स्तरीय संचार अवसंरचना प्रदान करने के निमित्त अत्याधुनिक आईपी/एमपीएलएस नेटवर्कों की स्थापना की गई थी।

आईपी-एमपीएलएस आधारित अभिसरित नेटवर्क की पुनःतैनाती का कार्य दिल्ली में पूरा हो गया है और शीघ्र ही इसे मुम्बई में पूरा किए जाने की आशा है। इससे इन शहरों में अधिक क्षमता वाले आईपी बैण्डविड्थ का सृजन होगा।

कन्वर्जेंट बिलिंग और सीआरएम परियोजना

कन्वर्जेंट बिलिंग और सीआरएम परियोजना का क्रयादेश टर्नकी आधार पर कन्वर्जेंट बिलिंग और सीआरएम प्रणाली की आपूर्ति करने, स्थापना करने, और उन्हें चालू करने के लिए मै0 बीईएल को दिया गया था। एक बार उक्त परियोजना चालू हो जाने पर यह एमटीएनएल के संपूर्ण कारोबार अर्थात् जीएसएम, सीडीएमए और लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, लीड



सर्किटों और भावी सेवाओं के सभी प्रकार की बिलिंग और सीआरएम अनुप्रयोग के लिए एकल अभिसरित मंच के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा तीन वर्षों की वारंटी के पश्चात् तीन वर्षों का वार्षिक अनुरक्षण ठेका (एएमसी) और छह वर्षों के लिए सुविधा प्रबंधन (बिल मुद्रित हो रहा है) भी संविदा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होगा।

परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:-

- (क) सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संस्थापित कर दिए गए हैं।
- (ख) डाटा सेंटर पर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की संस्थापना का कार्य पूरा हो गया है।
- (ग) निम्नलिखित अनुप्रयोग माईग्रेट/चालू कर दिए गए हैं।
 - (i) बिल मुद्रण सुविधा: दिल्ली और मुम्बई दोनों में।
 - (ii) आईयूसी बिलिंग: दिल्ली और मुम्बई दोनों में।
 - (iii) एफआरएस/सीएसएमएस प्रणाली: दिल्ली में।
 - (iv) सीडीएमए एलओबी: दिल्ली में।
 - (v) जीएसएम एलओबी: दिल्ली और मुम्बई दोनों में।
 - (vi) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी: दिल्ली और मुम्बई दोनों में।

उपभोक्ता परिसर उपस्कर:

एमटीएनएल ब्रॉडबैंड ग्राहकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्तमान अर्द्ध राजकोषीय वर्ष (2011-12) के दौरान विभिन्न प्रकार के 2,11,360 एडीएसएल 2 + सीपीई का प्रापण किया गया है।

विधिसम्मत अंतरावरोधन प्रणाली (एलआईएस)

आईएसपी के लिए एलआईएस हेतु हार्डवेयर प्रापण करने के लिए क्रयादेश दिया जा चुका है और इसे सी-डॉट की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा।

केन्द्रीकृत वाई-फाई अधिप्रमाणन:

साल्यूशन के लिए मैसर्स वयाम टेक्नोलोजिस लिमिटेड को क्रयादेश दिया गया है और शीघ्र ही आपूर्ति मिलने की आशा है।

प्रमाणन प्राधिकरण समाधान:

सीए साल्यूशन के प्रापण के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है।

एमटीएनएल की परिसंपत्तियों का उपयोग

एमटीएनएल राजस्व में वृद्धि करने के लिए सुविचारित प्रयास कर रहा है। एमटीएनएल ने अपनी परिसंपत्तियों जैसे कि स्टाफ क्वार्टर, कार्यालय स्थान का अन्य सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त संगठनों/निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साझा उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में एमटीएनएल लगभग 25,000 वर्गफुट का स्थान और 40 स्टाफ क्वार्टर पहले ही किराए पर दे चुका है।



आगामी परियोजनाएं

आईएमएस आधारित एनजीएन नेटवर्क

मौजूदा विक्रेताओं से सहायता नहीं मिलने के कारण मौजूदा टीडीएम एक्सचेंज के प्रचालन की दृष्टि से अनुपयुक्त हो जाने तथा पुराने पड़ जाने की स्थिति से निजात पाने तथा अपने ग्राहकों को अगली पीढ़ी की मल्टीमीडिया सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, एमटीएनएल एनजीएन नेटवर्क के क्रियान्वयन पर विचार कर रहा है, जो मुख्यतः आईएमएस प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा।

आईपी मल्टीमीडिया उप प्रणाली (आईएमएस) एक बहु सेवा, बहु प्रोटोकॉल, बहुअभिगम आईपी-आधारित नेटवर्क है। इससे टीडीएम स्विचों को एक चरणबद्ध रूप से बदलने में सहायता प्राप्त होगी। एमटीएनएल ने एनजीएन की एक निविदा जारी की है जो आईएमएस प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। आईएमएस प्रौद्योगिकी को एमटीएनएल में और भारत में पहली बार शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

3जी विस्तार

एमटीएनएल अपने 3जी नेटवर्क के एचएसपीए + में उन्नयन की योजना बना रहा है। वर्तमान में हमारा 3जी नेटवर्क एचएसडीपीए (उच्च गति डाउनलोक अभिगम) नेटवर्क है जिसमें डाउनलोड गति 3.6 एमबीपीएस और अपलोड गति 384 केबीपीएस तक है। उन्नयन के बाद नेटवर्क द्वारा 21.1 एमबीपीएस तक डाउनलोड गति और 5.76 एमबीपीएस तक अपलोड गति का समर्थन किया जाएगा। निविदा एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल अपने सम्मानित ग्राहकों को बेहतर सेवा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए अपने रेडियो नेटवर्क और बीएसएस (2जी और 3जी) के विस्तार की योजना भी बना रहा है।

उच्च डेटा दरों को समर्थन प्रदान करने के लिए मोबाइल बैकहॉल नेटवर्क को भी अपग्रेड किया जा रहा है। एमटीएनएल ने प्रतिलिक 100 एमबीपीएस थ्रूपुट द्वारा हाइब्रिड प्रकार्यता (टीडीएम+आईपी) को समर्थन प्रदान करके तथा भविष्य में शुरू किए जाने वाले नए स्थलों के लिए नए हाइब्रिड माइक्रोवेव लिंकों (100 एमबीपीएस और 200 एमबीपीएस लिंक जो एक्स पीआईसी प्रकार्यता के साथ या उसके बिना 400 एमबीपीएस तक अपग्रेड किए जा सकते हैं) का क्रय करके दिल्ली और मुंबई में अपने मौजूदा टीडीएम माइक्रोवेव लिंको/उपस्करों को अपग्रेड करने/बदलने की योजना बनाई है।

आईपीवी4 के स्थान पर आईपीवी6 को अपनाना :

दूरसंचार विभाग ने सभी सेवा प्रदाताओं को अधिक से अधिक 2011 तक आईपीवी4 के स्थान पर आईपीवी6 समर्थित नेटवर्क को अपनाने का निर्देश दिया है। आईपीवी6 को अपनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि एमटीएनएल के पास विभिन्न प्रकार की व्यवसाय श्रेणी अर्थात् ब्रॉडबैंड, वायरलेस, लीज्ड सर्किट आदि के लिए पहले से स्थापित अनेक नेटवर्क और उपस्कर हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए, एमटीएनएल इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गंभीर प्रयास कर रहा है। एमटीएनएल ने इस दिशा में अधिक सक्रिय उपाय किए हैं और दोहरे स्टैक एमपीएलएस नेटवर्क से अपने कोर नेटवर्क (केवल आईपीवी4) को बदलने की प्रक्रिया चल रही है तथा साथ ही अन्य उपस्करों के साथ अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क की जांच भी की है। खुदरा/उद्यम आईपीवी 6 सेवाओं के लिए बिंदु-दर-बिंदु परीक्षण की प्रक्रिया उन्नत चरण में है।

सूक्ष्मतरंग अभिगम हेतु विश्वव्यापी अंतःप्रचालनीयता (वाई-मैक्स) :

वाईमैक्स (सूक्ष्मतरंग अभिगम हेतु विश्वव्यापी अंतःप्रचालनीयता) एक दूरसंचार प्रोटोकॉल है जो पूर्णतः स्थिर मोबाइल इंटरनेट अभिगम प्रदान करता है। वाईमैक्स आईईई 802.16 ई मानक 10 मेगाहर्ट्ज चैनल पर प्रति सेक्टर 32.13



एमबीपीएस का पीक थ्रूपुट उपलब्ध कराता है। एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई में इस सेवा का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है। एमटीएनएल की राजस्व हिस्सेदारी मॉडल पर फ्रैन्चाइजियों के माध्यम से अपने बीडब्ल्यूए सेवाओं के रोल आउट और विज्ञापन की योजना है।

फेम्टोसेल की स्थापना :

स्पेक्ट्रम का दक्ष उपयोग करने और इसके भार को निश्चित मात्रा तक कम करने (क्योंकि यह दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधन है) के लिए एमटीएनएल फेम्टोसेल समाधान स्थापित करने की है जो एक लघु सेल्युलर बेस स्टेशन होता है, जो विशेष रूप से आवासीय और लघु व्यावसायिक माहौल में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। फेम्टोसेल ब्रॉडबैंड (जैसे डीएसएल अथवा केबल) की मार्फत सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के साथ जोड़ा जाता है ताकि ब्रॉडबैंड नेटवर्क द्वारा 3जी वायरलेस नेटवर्क परियात का संवहन हो सके।

फेम्टोसेल समाधान का मै0 अल्काटेल ल्युसेंट द्वारा मुंबई नेटवर्क में फील्ड परीक्षण द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर दिल्ली और मुंबई नेटवर्क में फेम्टोसेल समाधान के अधिप्रापण/प्रयोग की प्रक्रिया शुरू की गई है।

संयुक्त उद्यम

एमटीएनएल - एसटीपीआईआईटी सेवाएं (एमएसआईटीएस) :

एमटीएनएल - एसटीपीआईआईटी सर्विसेज लिमिटेड सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के बीच 50: 50 का संयुक्त उद्यम है। 2006 में बनाए गए संयुक्त उद्यम में एसटीपीआई का इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में गहरा अनुभव और एमटीएनएल का भारतीय समुदाय को प्रमुख वेबपोर्टल सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से भारत की अग्रणी दूरसंचार प्रचालन कंपनी के रूप में सुदीर्घ रिकार्ड का संयोजन विद्यमान है। इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य आर्थिक कार्यकलापों के अभिज्ञात क्षेत्रों को अनन्य डाटा केन्द्र सेवाएं, संदेश सेवाएं, व्यवसाय अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करना तथा इस प्रकार पूरे विश्व के नेटवर्क युक्त समुदाय में इनडोमेन को लोकप्रिय बनाना है।

वर्तमान स्थिति : डेटा केंद्रों की निर्बाध प्रचालन और विस्तार आवश्यकताओं के दृष्टिगत एमएसआईटीएस ने एलटी विस्तार पैनल, यूपीएस पैनल, पीएससी पैनल सर्वर डीबी जैसी उपयुक्त अवसंरचना, अवयवों को सृजित किया है जिन्हें लाइन डेटा केंद्र में संस्थापित और समेकित किया गया है। इसके अतिरिक्त एमएसआईटीएस ने अन्य संस्थिति अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डेटा केंद्र में केजिंग की प्रक्रिया भी शुरू की है।

कंपनी ने दिल्ली और हैदराबाद में टियर-III स्तर के हरित डाटा केन्द्र की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है।

यूनाईटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल)

यूटीएल नेपाल वेन्चर्स (पी) लिमिटेड (एनवीपीएल) की साझेदारी में एमटीएनएल, टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड तथा टीसीआईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह कंपनी नेपाल में बेसिक, मोबाइल, एनएलडी, आईएलडी तथा डाटा सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी नेपाल में शुरू में डब्ल्यूएलएल आधारित बेसिक सेवाएं प्रदान करते हुए 10 अक्टूबर, 2001 से प्रचालन में है। भारत के लिए कॉल प्रशुल्क लगभग 75 नेपाली रुपए प्रति मिनट था। यूटीएल ने इसे कम करके 2.59 नेपाली रुपए प्रति मिनट के स्तर पर लाया है। कंपनी ने नेपाल में अपने ग्राहकों की डाटा तथा वीएएस की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए सीडीएमए आईएक्सई वीडिओ अवसंरचना की शुरुआत की है। कंपनी ने दोष दरों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के निमित्त अपने सीडीएमए ग्राहकों के लिए आरयूआईएम कार्डों की भी शुरुआत की है। यूटीएल- नेटवर्क 44 जिलों (नेपाल के 75 जिलों में से) में अपना विस्तार किया है और 2011-12 में अतिरिक्त 16 जिलों को कवर करने की योजना है। आज की स्थिति के अनुसार, कंपनी में एमटीएनएल, टीसीआईएल और टीसीएल की



क्रमशः 26.68%, 26.66% और 26.66% हिस्सेदारी है जबकि एनवीपीएल इक्विटी पूंजी 20% है। यूटीएल ने 611668 का उपभोक्ता आधार प्राप्त कर लिया है। 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसे 7.35 करोड़ ₹0 का निवल लाभ हुआ है।

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल) जो एमटीएनएल की एक पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है ओर जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, फरवरी 2000 में निगमित हुआ। अंतःसमुद्री केबल परियोजना निविदा को रद्द किए जाने के पश्चात एमटीएल के बोर्ड ने नए प्रकार के व्यवसाय में प्रवेश करने का और नए व्यवसायों अर्थात अवसंरचना हिस्सेदारी, वेबहोस्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि सहित डेटा केंद्र आउटसोर्सिंग अनुप्रयोग तथा सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक/निजी कंपनी आदि में विभिन्न निविदाओं के प्रत्युत्तर में या जीएफआर आधार पर सीधे टर्नकी समाधान उपलब्ध कराने के संबंध में संभावना तलाश करने की दिशा में कार्यवाही आरंभ करने का निर्णय लिया है।

व्यवसायिक क्रियाकलाप जैसेकि वाई-फाई पर्यावरण में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना, अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर क्षमता को लीज पर देना, अतिरिक्त सीडीएमए क्षमता का अन्य प्रचालकों के साथ हिस्सेदारी आदि प्रक्रियाधीन है। एमटीएल रुचि की अभिव्यक्ति और समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के जरिए संयुक्त उद्यम कंपनी/सहयोगात्मक उद्यम कंपनी गठित करने तथा दूरसंचार पार्टनर बनाने की संभावना की भी तलाश कर रहा है।

सहायक कंपनियाँ

महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल):

एमटीएमएल, एमटीएनएल की एक 100% सहायक कंपनी है जिसे मॉरीशस में नवम्बर, 2003 में एक निजी घरेलू कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसे आरंभ में 600 मिलियन एमयूआर की प्राधिकृत पूंजी तथा 300 मिलियन की प्रदत्त पूंजी के साथ पंजीकृत किया गया था। प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 2009 में 1500 मिलियन एमयूआर कर दिया गया। कंपनी को स्थिर बतार सेवाएं, मोबाइल सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाएं तथा इंटरनेट सेवाएं प्रचालित करने के लिए आईसीटीए (मॉरीशस स्थिति दूरसंचार विनायामक) से लाइसेंस प्राप्त हुए थे।

एमटीएनएल का उपभोक्ता आधार 104,032 (31.3.2010 की स्थिति के अनुसार) से बढ़कर 31.3.2011 को 108,886 (लगभग पूर्ण) हो गया है। एमटीएनएल ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय रुपये में 499 मिलियन का कारोबार किया है। पोर्ट लुईस तथा द्वीप में सीडीएमए प्रौद्योगिकी (सीडीएमए आईएक्स तथा इवीडीओ) के 110 हजार क्षमता वाले स्विच + 200 हजार क्षमता वाले जीएसएम स्विच संस्थापित किए गए हैं जिन्हें रेडियो नेटवर्क के भाग के रूप में संस्थापित 53 टावरों द्वारा कवर किया गया है। पूरे द्वीप में 10 ग्राहक सेवा केन्द्र तथा एक कॉल सेन्टर कार्यरत है ताकि ग्राहकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। कंपनी मॉरीशस के लोगों को सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर स्थिर, मोबाइल, अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी तथा इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा रही है। एमटीएनएल द्वारा एमटीएमएल में लगभग 20 मिलियन डालर का निवेश किया गया है। एमटीएनएल मारीशस जीएसएम नेटवर्क के लिए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एमटीएनएल ने 20 मिलियन भारतीय रुपये की लागत से अपनी तकनीकी संस्थापनाओं के लिए दो मंजिलों का अपना तकनीकी भवन विनिर्मित किया है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी 854.12 मिलियन भारतीय रुपये से बढ़कर 1052 मिलियन भारतीय रुपये हो गई है।

प्रतिस्पर्धा का सामना

एमटीएमएल ने उत्पाद नवीनता में अग्रणी भूमिका निभाकर उत्साहपूर्ण विपणन कार्यनीति का अनुपालन किया है तथा अपने उपभोक्ताओं को इन्हें वहनीय कीमत पर उपलब्ध करा रहा है। एमटीएनएल ब्रॉडबैंड में एडीएसएल 2 + तथा वीडिएसएल 2, एमपीइजी 4 प्रौद्योगिकी पर आईपीटीवी, वीओआईपी तथा 3जी मोबाइल सेवा जैसी कुछ आधुनिकतम



दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को पहली बार शुरू करने वाला रहा है। खुदरा तथा कारपोरेट क्लाइंटों को लक्ष्य करने के लिए पृथक विक्रय यूनितें स्थापित की गई हैं।

एमटीएनएल ने हाल ही में उपभोक्ता देखभाल, बिलिंग तथा जीएसएम और सीडीएमए ग्राहकों के प्रबंधन के लिए ई-सीआरएम मंच की स्थापना की है। इसे इसकी स्थिर लाइन, ब्रॉडबैंड तथा अन्य सेवाओं के लिए भी शीघ्र कार्यान्वित किया जाना है। एमटीएनएल वितरकों तथा खुदरा चैनलों के अलावा अपने ग्राहकों को वेब, टॉल फ्री हेल्प लाईन नम्बर तथा उपभोक्ता देखभाल केन्द्रों जैसे बहु चैनल अभिगम विकल्प की पेशकश करता है।

दिल्ली और मुम्बई मेट्रो शहरों में सीमित विकास के अवसर संबंधी अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए एमटीएनएल विदेशी बाजार विशेषकर अफ्रीकी क्षेत्र में अपने आर्गेनिक तथा इनआर्गेनिक विकास के अवसरों की सतत रूप से खोज करता रहा है।

अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने के लिए भविष्य में एमटीएनएल द्वारा अपने ग्राहकों के लिए वाई मैक्स, एनजीएन आधारित स्थिर सेवा, स्थिर मोबाइल कवरेज सेवा आदि का विस्तार किए जाने की योजना है।

वित्तीय कार्य निष्पादन

अन्य प्रचालकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद एमटीएनएल ने पिछले वर्ष के 3656.10 करोड़ ₹0 के कारोबार की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान 3673.95 करोड़ रुपए का वित्तीय कारोबार किया। उक्त अवधि के दौरान एमटीएनएल को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से 2801.91 करोड़ ₹0 की हानि हुई :

- 180.87 करोड़ ₹0 के सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान ।
- प्रति सेकेण्ड प्रशुल्क योजना सहित प्रशुल्क में सामान्य कटौती ।
- एमटीएनएल केवल दिल्ली और मुम्बई में सेवाएं प्रदान कर रहा है और अपने प्रतिस्पर्धियों जिनकी उपस्थिति अन्य सर्किलों में है, की तरह अखिल भारतीय प्रशुल्क योजनाओं की पेशकश करने में असमर्थ है।
- निजी प्रचालकों के साथ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि ।
- उपभोक्ताओं द्वारा लैण्डलाइन सेवा छोड़ा जाना ।

कंपनी द्वारा अपने प्रचालन में सुधार करने तथा आय में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

- ब्रॉडबैंड तथा उद्यम व्यवसाय पर जोर ।
- अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ संसाधनों की साझेदारी से राजस्व के नए स्रोत बनाना ।
- नए लैण्ड लाइन ग्राहकों को आकर्षित करने तथा मौजूदा लैण्डलाइन आधार को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्कीमों की शुरुआत ।
- जीएसएम तथा ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर अधिक जोर देना ।
- लचीली प्रशुल्क नीतियों की शुरुआत ।
- प्रशासनिक तथा प्रचालनात्मक लागत को घटाने के लिए व्यय को युक्तिसंगत बनाना।
- दोषों की देखरेख बारीकी से की जा रही है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार पर बल दिया गया है।
- उपभोक्ता देखभाल केन्द्र में पदों की संख्या में वृद्धि करके तथा संचार हाटों में एकल खिड़की उपलब्ध कराते हुए उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान पर जोर दिया गया है।

तथापि, वर्तमान वर्ष 2011-12 की द्वितीय तिमाही के परिणामों के अनुसार 1714 करोड़ रुपए की हानि हुई है।



प्रौद्योगिकी पर पूंजीगत व्यय

वर्ष 2010-11 के दौरान, एमटीएनएल ने पिछले वर्ष में 1194.70 करोड़ रूपए के पूंजीगत व्यय के मुकाबले 1257.07 करोड़ रूपए की राशि खर्च की है। यह पूर्णतः आंतरिक संसाधन सृजन के माध्यम से प्राप्त किया गया है। 31.12.2011 तक का पूंजीगत व्यय 108.79 करोड़ रु0 रहा है।

राजस्व आश्वासन

एमटीएनएल ने राजस्व की उगाही सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयासों के माध्यम से बकाया देय राशियों को कम किया है। एमटीएनएल के बकाया देय राशियों को कम करने के प्रयासों को नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है :

(करोड़ रु0 में)

बेसिक, जीएसएम और सीडीएमए के संबंध में एमटीएनएल की बकाया देय राशियाँ					
31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	30.09.2011	30.11.2011
1188.62	1173.73	1119.6	1103.49	1128.81	1129.17

नोट: (दिल्ली में जीएसएम और सीडीएमए के नवंबर, 2011 के बकायों को अनंतिम रूप से पिछले महीने के आधार पर शामिल किया गया है क्योंकि कन्वर्जेंट बिलिंग प्रणाली में अभी स्थायित्व नहीं आ पाया है और अपेक्षित रिपोर्ट को तैयार किया गया है।)

यह एमटीएनएल की स्थापना से ही संचित बकाया देय है और 30.09.2011 की स्थिति के अनुसार कुल बिलशुदा राशि का लगभग 1.26% (लगभग) बनता है।

राजस्व आश्वासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि नेटवर्क पर होने वाले बिल बनाने योग्य समस्त कार्यकलापों का ब्योरा सही ढंग से लिया जाए, दरें लगाई जाएं और उनके बिल बनाए जाएं। एमटीएनएल में भी एक राजस्व आश्वासन कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है जिसमें यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिकतम राजस्व बिलिंग और राजस्व वसूली की जाए ताकि अतिरिक्त बकाया देय राशि का पता लगाया जा सके। उपर्युक्त कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :-

- वाणिज्यिक आंकड़ों और बिलिंग के आंकड़ों का मिलान।
- सृजित सीडीआर और बिल किए गए सीडीआर का मिलान ।
- बिलों को समय पर जारी करना ताकि भुगतान शीघ्रतापूर्वक प्राप्त हो जाए।
- बिलों के भुगतान के लिए ऑन लाइन भुगतान सहित विभिन्न तरीकों की शुरुआत।
- इंटरकनेक्शन बिलिंग का निपटान
- पुरानी बकाया देय राशि आदि की वसूली हेतु प्राइवेट वसूली एजेंटों की नियुक्ति और एमनेस्टी स्कीम को पुनः प्रारंभ करना जिसके द्वारा पुराने बकायों की उगाही के लिए पुराने बकाया देयों के पूर्ण और अंतिम भुगतान पर कुछ प्रतिशत छूट दी जाती है।

पुराने बकाया और समस्त राजस्व उगाही को और घटाने के लिए प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर राजस्व बैठकें भी जल्दी-जल्दी आयोजित की जाती हैं।



इसके अतिरिक्त, ट्राई ने विभिन्न दूरसंचार प्रचालकों के लिए, ट्राई द्वारा ही बनाए गए लेखापरीक्षकों के पैनल द्वारा बिलिंग और मीटरिंग प्रणाली की लेखा परीक्षा करवाना भी अनिवार्य कर दिया है जिससे एमटीएनएल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राजस्व आश्वासन कार्यक्रम संपूर्ण हो जाता है।

एक कन्वर्जेंट बिलिंग प्रणाली अधिठापनाधीन है जिसमें राजस्व आश्वासन का महत्वपूर्ण घटक निहित है। इससे संभवतः एमटीएनएल के राजस्व आश्वासन संबंधी प्रयासों में और अधिक सुधार आएगा।

इसके अतिरिक्त, राजस्व आश्वासन संबंधी कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए एमटीएनएल ने लैंडलाइन इंटरकनेक्ट बिलिंग प्रक्रिया के लिए राजस्व आश्वासन की लेखा परीक्षा हेतु मुंबई में इंटरनेशनल स्टेचर की एक लेखा परीक्षा फर्म तैनात की है। बुनियादी काल प्रभारण विश्लेषण की इस विस्तृत समीक्षा में एंड टू एंड सीडीआर समाधान, त्रुटियों और त्रुटि के निपटान, सेवा प्रयोग रिकॉर्डिंग में सटीकता, बिलिंग/मध्यस्थता/स्विच डाटाबेस की परिशुद्धता, साझेदारों के साथ इंटरकनेक्ट करार किया जा रहा है ताकि राजस्व के और अधिक ह्रास को रोका जा सके।

दिल्ली जीएसएम में एक क्रेडिट नियंत्रक मोड्यूल प्रारंभ किया गया है जिसमें यदि किसी भी उपभोक्ता द्वारा प्रयोग निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो नंबर स्वतः ही कट जाएगा।

एमटीएनएल शेयरों का कारोबार

एमटीएनएल के शेयर देश में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नै स्टॉक एक्सचेंजों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। इन शेयरों का भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई तथा बीएसई) में नियमित रूप से कारोबार किया जा रहा है। कंपनी द्वारा जारी किए गए एडीआर न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) में सूचीबद्ध हैं और वहां नियमित रूप से कारोबार किया जाता है।

कर्मचारियों की संख्या

31.12.2011 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल में विभिन्न श्रेणियों के कुल 42,075 कर्मचारी थे। कुल कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 7571 है जो कुल कर्मचारियों का 18% है। अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या 1466 है जो कुल कर्मचारियों का 3.48 % है।

कर्मचारियों की संख्या संबंधी ब्यौरा

समूह	कुल कार्यरत कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	निःशक्त व्यक्ति
क	1106	158	54	48	0
ख	4912	598	88	609	16
ग	24848	4238	472	7108	153
घ	11209	2577	852	1244	33
जोड़	42075	7571	1466	9009	202



विकास लक्ष्य/उपलब्धियां - दिल्ली

क्रम सं०	मर्दे	उपलब्धियां 2010-11	उपलब्धियां 2011-12 (दिसंबर, 2011 तक)
क	स्विचन (हजार लाइनों में)		
i	निवल क्षमता लैंडलाइन	0	0
ii	निवल क्षमता जीएसएम	500000	0
iii	निवल क्षमता डब्ल्यूएलएल	0	0
ख	सीधी एक्सचेंज लाइनें (हजार लाइनों में)		
i	कुल	453716	307284
ii	निवल \$	247832	164621
ग	टीएएक्स/टैंडम (हजार लाइनों में)	0	0
घ	पारेषण		
क	एसडीएच प्रणाली		
(i)	एसटीएम-16	19	5
(ii)	एसटीएम-4	7	5
(iii)	एडीएम-1/एसटीएम-1	57	13
(iv)	टीएमएस-1	5	40
ड	आप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)	528.39	169.454
च	आप्टिकल फाइबर केबल (फाइबर कि.मी. में)	29867.3	7360.56
छ	आईएसडीएन	357	-138
ज	प्रतीक्षा सूची	0	0
झ	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	47547	37042
ञ	इंटरनेट कनेक्शन	57	45
ट	आईपीटीवी उपभोक्ता	1875	3020
ठ	वीओआईपी	-453	-249



अनुबंध-II

विकास लक्ष्य/उपलब्धियां-मुंबई

क्रम सं०	मर्दे	उपलब्धियां 2010-11	उपलब्धियां 2011-12 (दिसंबर, 2011 तक)
क	स्विचन (हजार लाइनों में)		
i	निवल क्षमता लैंडलाइन	-47636.00	0.00
ii	निवल क्षमता जीएसएम	500000.00	0.00
iii	निवल क्षमता डब्ल्यूएलएल	0.00	0.00
ख	सीधी एक्सचेंज लाइने (हजार लाइनों में)		
i	कुल	315454.00	202504
ii	निवल \$	104511.00	43975
ग	टीएएक्स/टैंडम (हजार लाइनों में)	1400	-32560
घ	पारेषण		
क	एसडीएच प्रणाली		
(i)	एसटीएम-16	10	11
(ii)	एसटीएम-4	26	9
(iii)	एडीएम-1/एसटीएम-1	129	94
ङ	आप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी. में)	377.1	331.05
च	आप्टिकल फाइबर केबल (फाइबर कि.मी. में)	25008.3	25602.62
छ	आईएसडीएन	32	-559
ज	प्रतीक्षा सूची	0	0
झ	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	78940	36868
ञ	इंटरनेट कनेक्शन	5190	784
ट	आईपीटीवी उपभोक्ता	-583	147
ठ	वीओआईपी	-645	-463



VIII 3. आईटीआई लिमिटेड

भूमिका

आईटीआई लिमिटेड 1948 से दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख उपक्रम है। छह स्थानों पर अत्याधुनिक विनिर्माणकारी सुविधाओं तथा देशव्यापी विपणन नेटवर्क/सेवा केन्द्रों के साथ यह कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी रेंज तथा सम्पूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है जिसमें स्विचन, पारेषण, अभिगम्यता और उपभोक्ता परिसर उपकरण का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है। आईटीआई विशेषकर भारतीय थल सेना सुरक्षित नेटवर्क के लिए समाधान उपलब्ध करा रहा है।

अपने व्यवसाय में सुधार लाने के लिए आईटीआई ने बीएसएनएल और एमटीएनएल से आगे भी अवसरों की तलाश का प्रयास किया है और इसके प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। हाल ही में आईटीआई और भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) परियोजना संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही यह प्रतिष्ठित परियोजना बीईएल और ईसीआईएल के साथ मिलकर आईटीआई पालक्काड द्वारा निष्पादित की जा रही है। इस परियोजना की अवधि लगभग 18 माह है। आईटीआई को 40 करोड़ आबादी का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है। इस परियोजना के कार्यक्षेत्र में घर-घर जाकर हैंड हेल्ड युक्ति के प्रयोग द्वारा दो भाषाओं में आंकड़ा संग्रहण, तहसील स्तर पर आंकड़ा संग्रहण केंद्रों का प्रबंधन, मसौदा सूची और अंतिम सूची की सॉफ्ट कॉपी तैयार करना, आंकड़ों को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सर्वर में अपलोड करना तथा घर-घर जाकर प्रविष्टि प्राप्त करने के लिए राज्य कर्मचारियों के परामर्श से फील्ड क्रियाकलापों को तय करना शामिल है। पालक्काड संयंत्र इस परियोजना को निष्पादित कर रहा है तथा देश भर में इस परियोजना को समग्रतः कार्यान्वित करने के लिए अन्य संयंत्रों और अधिकारियों द्वारा इसे सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आईटीआई पालक्काड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की कुछ परियोजनाओं पर कार्य करके इसरो के साथ अपने संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत है।

प्रौद्योगिकीय रुझानों के दृष्टिगत आईटीआई तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने गीगाबिट पैसिक ऑप्टिकल नेटवर्क (जी-पॉन) प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण (टीओटी) से संबंधित संविदात्मक संबंध का मूल्यांकन करने, उस पर विचार-विमर्श करने और तत्संबंधी बात-चीत करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस उत्पाद लाइन में सहयोग का प्रयोग आईटीआई में उत्पाद के स्वदेश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। आईटीआई और सी-डॉट ने राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए बहुत अधिक संख्या में लैंड लाइन एक्सचेंजों को विकसित किया है जो इन दोनों संगठनों की एक सफल भूमिका को परिचायक है। इसके अतिरिक्त, छोट स्तर पर ब्रॉडबैंड के लिए समाधान उपलब्ध कराने हेतु मूल्यांकन दोनों संगठनों द्वारा किया जाता है जो भारत में दूरसंचार सेवाओं में प्रेरित आगामी विकास हो सकता है।

आईटीआई ने अभिज्ञात शहरों के संबंध में आधारभूत ऊर्जा आवश्यकता और राजस्व आंकड़ों के संग्रहण तथा आंकड़ा केंद्र और ग्राहक सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना स्थापित करने हेतु तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) से आर्डर प्राप्त करके विद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसका उद्देश्य डेटा प्रणाली, ऊर्जा लेखांकन और जांच हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपभोक्ता सुविधा सेवाएं तथा साथ ही साझा आवश्यकताओं और सेवाओं को स्थापित करना था ताकि तमिलनाडु के 110 शहरों को कवर करते हुए संपूर्ण पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) को कवर किया जा सके।

आईटीआई गत 15 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय थल सेना के लिए एक समाधान प्रदाता का कार्य कर रहा है। सामरिक संचार इस कंपनी का एक सुदृढ़ कार्य है तथा इसका भारत के प्रतिरक्षा बलों के लिए एक सुरक्षित संचार नेटवर्क (सशस्त्र सेना संचार नेटवर्क) तैयार करने और संस्थापित करने का एक सिद्ध रिकार्ड रहा है। विभिन्न ग्राहकों को पूर्ण



व्यावसायिक समाधान उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट एनक्रिप्शन, एनएमएस, आईटी और अभिगम नेटवर्क उत्पादों के प्रति इसके द्वारा व्यापक अनुसंधान तथा विकास कार्य किया जा रहा है।

आईटीआई ने दूरसंचार से इतर व्यवसाय में भी क्रियाकलाप शुरू किया है। बेंगलुरु संयंत्र "सीरी गैस" नामक उच्च गुणवत्ता युक्त कार्बनिक गैस के उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में संभावना तलाश रहा है। इस गैस को मानक रसोई गैस चुल्हे पर जलाया जा सकता है तथा इसका प्रयोग खाना पकाने और अन्य तापीय अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। आईटीआई इस हरित उद्यम से जुड़कर काफी प्रसन्न है और इसे इसके सफल होने की आशा है। इसके उपभोक्ता स्तर पर परीक्षण हेतु एमएनआरई द्वारा प्रयोगिक आधार पर क्रय आदेश दिए गए हैं। आईटीआई ने भारत सरकार की अर्धचालक वस्त्र परियोजना में भी रुचि दर्शाई है क्योंकि कंपनी के पास इस प्रकार की परियोजनाओं को चलाने के लिए भूमि, अवसंरचना और जनशक्ति के संदर्भ में भी संसाधन उपलब्ध हैं।

विविधीकरण उपाय के रूप में आईटीआई एनपीआर परियोजना, सीरी गैस परियोजना के अतिरिक्त रक्षा, बैंकिंग, सौर, एलईडी प्रकाशन आदि क्षेत्रों में भी नए व्यवसाय अवसरों की तलाश के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है।



आईटीआई ने उच्च गुणवत्ता वाली ऑर्गेनिक गैस के उत्पादन और विपणन के लिए स्केलीन ग्रीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। श्री के. एल. धीगड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लि0 के साथ श्री ए.आर. शुक्ल, नई और नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रीय मंत्री के सलाहकार और स्केलीन ग्रीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी।

आईटीआई द्वारा हाल में दूरसंचार विभाग के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में मुख्य रूप से उल्लिखित बातों का उद्देश्य यह है कि आईटीआई फिर से लाभ अर्जित करने वाली कंपनी बने। कंपनी के लिए यह भी अपेक्षित है कि यह अपने द्वारा प्राप्त किए गए आदेशों के संबंध में कार्यन्वयन अनुसूचियों का भी अनुपालन करे और परिसमापन नुकसानी में कमी लाए।



सचिव, दूरसंचार विभाग, श्री आर. चंद्रशेखर और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लि० श्री के.एल. धींगड़ा (समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए) ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन और उन्हें अपनाने में सफलता आईटीआई के सभी यूनिटों में परिलक्षित होती है जो आईएसओ 9001: 2000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली तथा आईएसओ 14001: 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानक का पूर्णतः अनुपालन करते हैं तथा उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करते हैं।

पूंजीगत ढांचा :

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 700 करोड़ ₹ थी। इस तारीख को प्रदत्त शेयर पूंजी 588 करोड़ रुपए थी (10-10/- रुपए मूल्य के 288 करोड़ रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर तथा 100-100 रुपए मूल्य के 300 करोड़ रुपए के अधिमानी शेयर)। 31मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में केन्द्र सरकार का शेयर प्रतिशत 92.87% है।

2010-11 और 2011-12 के दौरान निष्पादन की विशेषताएं

कंपनी का वर्ष 2010-11 के दौरान बिक्री संबंधी टर्नओवर 2139 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2009-10 के दौरान के 4660 करोड़ रुपए की तुलना में 54% कम था। कंपनी को 2009-10 के दौरान 459 करोड़ ₹ की हानि हुई थी जो वर्ष 2010-11 के दौरान घटकर 358 करोड़ ₹ हो गई।



महत्वपूर्ण क्रियाकलाप/घटनाएं:

- राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (एनपीआर) परियोजना : आईटीआई बहु उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रदान करने के लिए भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा चयनित तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है। हाल ही में, आईटीआई को उपयुक्त परियोजना हेतु आरजीआई से लगभग 750 करोड़ रु0 का आर्डर प्राप्त हुआ है।
- कंपनी की तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) से 307 करोड़ रु0 मूल्य का पुनर्संचित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) के निष्पादन हेतु एक आर्डर प्राप्त हुआ है।
- आईटीआई को विभिन्न विनिर्माण संयंत्रों को दुर्घटना की न्यूनतम औसत बारंबारता दर तथा दीर्घतम दुर्घटना मुक्त अवधि के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 6 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तथा इसके मनकापुर संयंत्र को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- रायबरेली संयंत्र को अगस्त, 2010 में आईएसओ 14001 : 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) प्रमाण-पत्र प्राप्त होने से कंपनी के सभी छह विनिर्माण संयंत्रों को आईएसओ 14001: 2004 ईएमएम प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है।
- आईटीआई ने विश्व स्तर पर दूरसंचार क्षेत्र में बिजनेस इनिशिएटिव डाइरेक्टिव (बीआईडी) मैड्रिड, स्पेन द्वारा आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस में स्वर्ण श्रेणी में "अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता शिखर पुरस्कार" नामक प्रतिष्ठित वैश्विक गुणवत्ता पुरस्कार प्राप्त किया है। आईटीआई के इतिहास में यह एक ऐसा मौका है जबकि दूरसंचार क्षेत्र में हमारी गुणवत्ता को सर्वोत्तम करार दिया गया है।
- आईटीआई पालक्काड संयंत्र को सिम कार्डों एवं अल्काटेल के अनुमोदन से तथा आरएंडी बेंगलुरु के वीडिसी एवं वीआरसी से अनुमोदन के पश्चात जीएसएम - बीटीएस परियोजना के लिए केबल, कनेक्टर और पीसीबी जैसी मदों के अधिप्रमाण हेतु र्वा के दौरान जारी लोकलाइजेशन क्रियाकलापों के लिए बीएसएनएल-क्यूए द्वारा एआईएस (अनुमोदित निरीक्षण स्कीम) का दर्जा प्रदान किया गया है। सीएजी, वीडिसी, बीआरसी, मानक, संघटक परीक्षण तथा विश्वसनीयता प्रयोगशालाएं योग्यता अनुमोदन, इलेक्ट्रॉनिक संघटकों का मानकीकरण, वेंडर विकास तथा वेंडर रेटिंग के निपादन संबंधी कार्य किए जाते हैं तथा ये कार्य विश्वसनीयता तथा पर्यावरण प्रयोगशाला में परीक्षण क्रियाकलापों के कड़ाई से मूल्यांकन के पश्चात किए जाते हैं।
- हमारे कारपोरेट कार्यालय और साथ ही सभी अधीनस्थ इकाइयों/कार्यालयों में राजभाषा के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की भी कारपोरेट कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जा रही है।
- आईटीआई को साइबर मीडिया की एक प्रभावशाली भारतीय संचार पत्रिका वॉइस एंड डेटा से "टॉप टेलीकॉम टर्नकी कंपनी ऑफ द ईयर 2011" पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- आईटीआई ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 24-26 मार्च, 2011 के दौरान एक्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा आयोजित 19वें कन्वर्जेंस इंडिया 2011 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लिया। माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने 24 मार्च का इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का प्रतिपाद्य विषय "अगली पीढ़ी अनुप्रयोग एवं सेवाएं : करोड़ों लोगों का सशक्तिकरण" था।

भावी दृष्टिकोण

- अगली पीढ़ी के नेटवर्क : अगली पीढ़ी का नेटवर्क (एनजीएन) सेवाओं अर्थात् वॉइस, डेटा और वीडियो को पैकेटों में संपुटीकरण द्वारा प्रदान करने में सक्षम एक सॉफ्ट स्विच आधारित दूरसंचार नेटवर्क है। स्विच आर्किटेक्चर पर



आधारित आईपीटीएएक्स उपकरण-श्रेणी- IV ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज और श्रेणी V स्थानीय एक्सचेंज के विनिर्माण की योजना है।

- कैरियर ईथरनेट : कैरियर ईथरनेट इंटरनेट और व्यवसाय संचार के लिए उच्च बैंडविड्थ पैकेट अभिगम हेतु आगली पीढ़ी की परिवहन प्रौद्योगिकी है। आईटीआई बीएसएनएल/ एमटीएनएल तथा रक्षा विभाग से प्रत्याशित निविदा पर कार्यवाही करने के लिए इस उत्पाद के लिए एक प्रौद्योगिकी भागीदार के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय करने की प्रक्रिया पर कार्य कर रहा है।
- आईटीआई ने सी-डॉट द्वारा विकसित जीपीओएन उपस्करों के विनिर्माण हेतु सी-डॉट के साथ भी करार किया है।
- ग्रामीण बीटीएस स्थलों के लिए सौर ऊर्जा उपकरण : ग्रामीण बीटीएस स्थलों के लिए सौर ऊर्जा उपकरणों का विनिर्माण विचाराधीन है जिससे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ऊर्जा (विद्युत) की उपलब्धता एक प्रमुख बाधा है, मोबाइल संचार की बेहतर उपलब्धता में सहायता प्राप्त होगी। आईटीआई ने इस क्षेत्र में अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है और मांग को पूरा करने के लिए अपनी सुविधा को अपग्रेड कर रहा है।
- एचईडी प्रकाशन उत्पाद : आईटीआई मनकापुर संयंत्र एलईडी प्रकाशन उत्पादों के विनिर्माण का कार्य शुरू करने की योजना बना रहा है। एलईडी प्रकाशन उपकरणों में काफी कम विद्युत खपत तथा लंबी उपयोगी आयु को देखते हुए इस उत्पाद के लिए काफी अधिक बाजार संभावना है।
- संविदा आधार पर विनिर्माण क्रियाकलाप : आईटीआई ने संविदा आधार पर विनिर्माण क्रियाकलापों को आरंभ करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है तथा यह इस संबंध में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आईटीआई पालक्काड संयंत्र ने पहले ही वीएसएससी के साथ संबंध स्थापित किया है उनकी आवश्यकता के अनुरूप पीसीबी का विनिर्माण आरंभ किया जा सके। आईटीआई बेंगलुरु क्षमता उपयोग में वृद्धि के लिए संविदा विनिर्माण मॉडल पर बीएचईएल और एचएएल के लिए काम कर रहा है।
- बायोगैस परियोजना : आईटीआई बेंगलुरु संयंत्र इस परियोजना के लिए उपस्करों के विनिर्माण की योजना बना रहा है। यह परियोजना रसोई गैस से निकलने वाले जैव कचरे के अपशिष्ट से रसोई गैस या बिजली के रूप में स्रोत ऊर्जा का एक निम्न लागत समाधान है।

कार्मिक संबंधी स्थिति

कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2010-11 के अंत में 10616 थी जबकि पिछले वर्ष के अंत में उनकी संख्या 11737 थी। 1 सितंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कुल 10105 कर्मचारी हैं।

नागरिक चार्टर:

आईटीआई लिमिटेड दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

कंपनी की वेबसाइट : itilttd.India.com

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रयोग करके सभी नागरिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद से इस अधिनियम के अंतर्गत कॉर्पोरेट कार्यालय/यूनिटों से प्राप्त सभी अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए तंत्र विकसित किया गया है। यूनिटों और क्षेत्रीय कार्यालयों में पीआईओ/एपीआईओ और कॉर्पोरेट कार्यालय में सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के पद सृजित किए गए हैं।



वर्ष 2010-11 (अप्रैल 2010-मार्च, 2011) के दौरान वास्तविक उपलब्धियों का ब्योरा, वित्त वर्ष 2011-2012 के पहले नौ महीनों (अप्रैल से दिसंबर, 2011) के दौरान कार्यनिपादन तथा जनवरी-मार्च 2012 की प्रत्याशित उपलब्धि निम्नवत है :

(करोड़ रु० में)

प्रमुख उत्पाद	2010-11 में उपलब्धि	वित्त वर्ष 2011-12 के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर, 2011) के दौरान उपलब्धि	जनवरी-मार्च, 2012 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धि
निर्माण उत्पाद			
ओसीबी - 283 कोर, आई एंड सी सहित	3.36	0	0
ओसीबी-सीएसएन	0.45	0	0
एसएसटीपी/आईपी टीएक्स	1.77	10.96	0
सी-डॉट उत्पाद तथा अतिरिक्त उत्पाद	4.38	1.03	2.89
विभिन्न उत्पाद	32.84	2.45	12.57
एसटीएम/ ऑप्टिकल फाइबर उपस्कर	45.67	0.73	0
पीसीएम एमयूएक्स	14.34	3.64	0
डीडब्ल्यूडीएम	56.96	8.29	0
रेडियो मॉडेम	-	17.50	0
एमएलएलएन	2.41	0	0
ईपीबीटी/क्लिप फोन	8.11	0.01	0.10
एडीएसएल-सीपीई	37.47	3.98	23.96
जी-पीओएन	119.98	24.90	95.00
सिम कार्ड्स/यूसिम	6.09	0.28	0
एमएनआईडी/एनपीआर	11.46	194.47	408.58
एसएमपीएस	14.94	3.19	2.40
विविध उत्पाद	16.93	54.05	19.40
रक्षा/एस्कॉन	54.77	33.55	27.59
टर्नकी परियोजनाएं			
जीएसएम - इन्फ्रा	1521.54	47.47	82.02
डब्ल्यूएलएल - सीडीएमए इन्फ्रा	14.96	0	0
सेवा कारोबार -	170.50	100.61	319.31
जोड़(शुल्क सहित)	2138.93	506.21	993.82





VIII. 4 टेलीकम्यूनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड

टेलीकम्यूनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की स्थापना, नेतृत्व बनाए रखने और सतत आधार पर अद्यतन प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने हेतु समुचित विपणन कार्यनीतियाँ विकसित करके विदेशी एवं घरेलू बाजारों में अपने प्रचालनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ, दिनांक 10.03.1978 को की गई थी। इसका लक्ष्य ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया कंवर्जेंट सर्विस नेटवर्कों पर ध्यान केन्द्रित करके लीगेसी नेटवर्कों का उन्नयन करना और साइबर पार्क/साइबर शहरों में विविधता लाना, टीसीआईएल की निपुण तकनीकी जनशक्ति का उपयोग करते हुए दूरसंचार बिलिंग ग्राहक सुविधा मूल्यवर्धित सेवाओं; ई-गवर्नेंस नेटवर्कों और दूरसंचार क्षेत्रों में सिस्टम्स इंटीग्रेटर के रूप में आईटी के नए क्षेत्रों में प्रवेश करना, विदेशों में दूरसंचार एवं आईटी प्रशिक्षण अवसंरचना को विकसित करना और विभिन्न राज्यों में स्वान परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी करना है।

टीसीआईएल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में दूरसंचार, आईटी और तकनीकी परामर्शी सेवा क्षेत्र में, भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाला, 'क' अनुसूची का, एक लघु रत्न, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसके पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में हैं।

परिकल्पना/उद्देश्य

कंपनी की परिकल्पना “प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर अवसरों के माध्यम से विश्वभर में आईसीटी, विद्युत और अवसंरचना के क्षेत्रों में समाधान प्रदान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करना” है।

कंपनी का उद्देश्य ‘विश्वभर में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में टर्नकी आधार पर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए अग्रणी बने रहना और विशेषकर, उच्च तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करके विविधता लाना’ है।

औद्योगिक/कारोबार प्रचालन

टीसीआईएल भारत और विदेशों में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में टर्नकी परियोजनाएं चला रहा है। कंपनी की कोर क्षमता कोर एवं एक्सेस नेटवर्क परियोजनाओं, दूरसंचार सॉफ्टवेयर, स्विचिंग एवं प्रारोषण प्रणालियों, सेलुलर सेवाओं, ग्रामीण दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर आधारित बैकबोन पारोषण प्रणाली, आईटी एवं नेटवर्किंग समाधान, साइबर शहरों, दूरसंचार परिसरों आदि हेतु ई-गवर्नेंस, सिविल एवं वास्तुकला संबंधी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में है। कंपनी ने वास्तुकला परामर्शी और सिविल विनिर्माण क्षेत्र में भी प्रवेश किया है।

कंपनी अपने परियोजना कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं की मार्फत प्रचालन करती है। इसके भारती हैक्सकॉम लि., यूनाइटेड टेलकॉम लि., टीसीआईएल बुलसाउथ लि., और टीसीआईएल साउदी कंपनी लि., नामक संयुक्त उद्यम भी हैं। साथ ही, कंपनी की इंटेलेजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लि., टीसीआईएल ओमान एलएलसी एवं तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशंस लि. नामक 3 सहायक कंपनियाँ भी हैं।

कंपनी ने संयुक्त उद्यम माध्यम से भारत में/विदेशों में बुनियादी एवं अन्य लाइसेंसिकृत सेवाओं में भी प्रवेश किया है। टीसीआईएल की राजस्थान में संयुक्त उद्यम के माध्यम से जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा तथा एमटीएनएल, टाटा कम्यूनिकेशंस तथा एक नेपाली साझेदार के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से नेपाल में डब्ल्यूएलएल (वायरलैस इन लोकल लूप) प्रणाली आधारित बुनियादी सेवाएं प्रचालन में हैं।



वर्ष 2008-2009 से 2010-2011 की अवधि के दौरान कंपनी का कारोबार नीचे दिया गया है:-

करोड़ रूपए में

मुख्य सेवाएं/भाग	2010-11	2009-10	2008-09
दूरसंचार	482.68	443.67	447.75
सिविल	368.22	289.10	198.66
कुल	850.90	732.77	646.41

कार्यनीतिक मुद्दे

कंपनी ने डब्ल्यूएलएल फाइबर से लेकर होम साइबर पार्क, साइबर सिटी ई-मेडिसिन, ई-शिक्षा तथा सिविल निर्माण कारोबार जैसे उच्च तकनीकी क्षेत्रों में विस्तार किया है।

निष्पादन विशेषताएं

कंपनी कारोबार में वृद्धि और विदेशी परियोजनाओं से प्राप्त लाभ में वृद्धि के कारण भी अपनी लाभ की स्थिति को सुधारने में समर्थ रही।

कंपनी ने गत वर्ष के आँकड़ों की तुलना में वर्ष 2010-2011 के दौरान कर-पूर्व लाभ में 24.49% वृद्धि और कारोबार में 16.12% वृद्धि हासिल की है।

कंपनी ने दिसंबर, 2011 तक 400.35 करोड़ रूपए का बिक्री कारोबार और 158.76 करोड़ रूपए का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया।

पहले नौ माह (अप्रैल-दिसंबर, 2011) के दौरान उपलब्धियाँ, कार्यकलाप और निष्पादन

वर्ष 2011-12 के दौरान, दिसंबर 2011 तक कंपनी ने 605.00 करोड़ रूपए के आदेश प्राप्त किए हैं। वर्ष के दौरान बुक किए गए प्रमुख आदेश निम्नवत हैं:-

- मध्य प्रदेश में बीओटी आधार पर 66.57 करोड़ रूपए की लागत से लखनादोन घंसोर रोड का निर्माण।
- केएसए में 10 करोड़ रूपए की लागत वाली जीएसएम सिविल टावर परियोजना।
- सऊदी अरब में 9.6 करोड़ रूपए की लागत से एसटीसी से ओएसपी कार्य।
- मोबिली, केएसए से 72 करोड़ रूपए लागत वाला एफटीटीएच कार्य।
- सऊदी अरब राज्य में 2.00 करोड़ रूपए की लागत से थेल्स केबल बिछाना और एरिकसन जनशक्ति आपूर्ति।



- रायबरेली, उत्तर प्रदेश में 25.00 करोड़ रूपए की लागत से जेएनवी के स्टेडियम का निर्माण- नवोदय विद्यालय समिति।
- राज्य स्वास्थ्य सोसायटी की ओर से 5.00 करोड़ रूपए की लागत से बिहार के 11 जिलों में एस.सी.एन.यू. भवन का निर्माण।
- 8.5 करोड़ रूपए की लागत से डकिंग हेतु एनसेल नेपाल ऑप्टिकल फाइबर परियोजना।
- एनआईबी II परियोजना 3- इसके तहत 113.50 करोड़ रूपए की कुल लागत से बीएसएनएल के उपभोक्ताओं की संख्या को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने हेतु परियोजना।
- 3.30 करोड़ रूपए की लागत से गुड़गाँव, हरियाणा स्थित आरईसी विश्व मुख्यालय के निर्माण एवं विकास हेतु पीएमसी सेवाएं।
- 3.02 करोड़ अमरीकी डॉलर की लागत से सियराटेल के नेटवर्क तथा अवसंरचना का आधुनिकीकरण एवं विस्तार।
- 1.5 एसआर करोड़ की लागत से सऊदी अरब राज्य में सऊदी दूरसंचार कंपनी (एसटीसी) का सिविल टावर वर्क्स।



सचिव, दूरसंचार विभाग, श्री आर. चंद्रशेखर के साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल (टीसीआईएल-समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए)



जनवरी-मार्च 2012 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियाँ

- टेली-मेडिसिन एवं टेली-शिक्षा हेतु उच्च तकनीकी अखिल अफ्रीका ई-नेटवर्क परियोजना के क्रियान्वयन से कंपनी की धाक बढ़ी है और कंपनी ने अभी तक 47 देशों में सफलतापूर्वक नेटवर्क चालू किए हैं तथा एक और देश में इसे चालू कर सकेगी।
- 3जी नेटवर्क, उच्च बैंडविड्थ आवश्यकता को पूरा करने हेतु फाइबर टू दी होम (एफटीटीएच) नेटवर्क, वॉयस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी (वीओआईपी) सेवा, 'इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न' (आईपीटीवी), आईवीआरएस (इंटरएक्टिव वॉयस रिसर्च सिस्टम), सीएसएमएस (कस्टमर सपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम) जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों से कंपनी को नेटवर्क के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नए अवसर मिलने की संभावना है।
- रक्षा हेतु वीटीएल के साथ कंसोर्टियम में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की निविदा में कंपनी सबसे नीचे है। इस परियोजना का अनुमानित मूल्य 5700 करोड़ रूपए है। इससे संबंधित निविदा का मूल्यांकन किया जा रहा है।
- तिमाही के दौरान 110 करोड़ रूपए की लागत से सियरा लियोन में परियोजना के पूरी तरह से प्रारंभ होने की संभावना है। इससे संबंधित सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।

आरक्षण के बारे में सरकारी निर्देश

केन्द्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण टीसीआईएल को भर्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों हेतु क्रमशः 16.66 %, 7.5 %, 25.84 %, और 3 % आरक्षण संबंधी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण के प्रतिशत की तीन श्रेणियाँ हैं- दृश्य विकलांगता, अस्थियों की विकलांगता और श्रव्य विकलांगता, जोकि प्रत्येक श्रेणी के लिए एक-एक प्रतिशत है। टीसीआईएल अपने कर्मचारियों के लिए विकलांग सापेक्ष वातावरण उपलब्ध करा रहा है और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। टीसीआईएल, अन्य कर्मचारियों के समान ही, सभी विकलांग कर्मचारियों को समान अवसर उपलब्ध कराता है। अपर्याप्त आवेदकों और/अथवा निर्धारित छूटशुदा मानकों में खराब उतरने वाले आवेदकों के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों की बड़े पैमाने पर भर्ती की जा रही है।

मानव संसाधन प्रबंधन

उद्यम में दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार, 845 नियमित कर्मचारी कार्यरत थे। कंपनी में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणीवार रोजगार की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

श्रेणी	2010-11	2009-10	2008-09
कार्यपालक	373	370	376
गैर-कार्यपालक	472	480	475
कुल कर्मचारी	845	850	851





IX. सांख्यिकी परिशिष्ट

	पृष्ठ
सारणी 1 सापेक्ष निष्पादन	133
सारणी 2 प्रति सौ व्यक्ति टेलीफोन-शहरी/ग्रामीण (टेलीघनत्व)	134
सारणी 3 टेलीफोनों की संख्या (वायर लाइन और वायर लेस)	135
सारणी 4 उन गांवों की संख्या जिनमें दूरसंचार सेवाओं की सीधी सुविधा उपलब्ध है	136
सारणी 5 कर्मचारियों की संख्या- अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक (शारीरिक दृष्टि से शक्त और अशक्त) और महिलाएं	137
सारणी 6 विकलांग कर्मचारियों की संख्या	137

सारणी - 1

मार्च'10 - दिसम्बर'11 के दौरान सापेक्ष निष्पादन

क्र.सं.	विवरण	अंत में स्थिति		संपूर्ण निष्पादन	अंत में स्थिति		संपूर्ण निष्पादन	
		मार्च'10	मार्च'11		मार्च'11	दिसम्बर'11		
1	2	3	4	(453)	6	7	(789)	
1	फोन (लाख में)	कुल	6212.80	8463.28	2250.48	8463.28	9265.48	802.20
		वायर लाइन	369.57	347.30	-22.27	347.30	326.85	-20.45
		वायरलेस	5843.23	8115.98	2272.75	8115.98	8938.63	822.65
		सार्वजनिक	1058.71	1260.02	201.31	1260.02	1289.17	29.15
		निजी	5154.09	7203.26	2049.17	7203.26	7976.31	773.05
		ग्रामीण	2007.73	2822.89	815.16	2822.89	3153.90	331.01
		शहरी	4205.07	5640.39	1435.32	5640.39	6111.58	471.19
		कुल	52.74%	70.89%	-	70.89%	76.86%	-
		सार्वजनिक	8.99%	10.55%	-	10.55%	10.69%	-
		निजी	43.75%	60.34%	-	60.34%	66.17%	-
2	टेलीघनत्व	ग्रामीण	24.31%	33.83%	-	33.83%	37.52%	-
		शहरी	119.45%	156.94%	-	156.94%	167.46%	-
		सार्वजनिक	17.04%	14.89%	-	14.89%	13.91%	-
		निजी	82.96%	85.11%	-	85.11%	86.09%	-
		ग्रामीण	32.32%	33.35%	-	33.35%	34.04%	-
		शहरी	67.68%	66.65%	-	66.65%	65.96%	-
		कुल	1242.49	1376.75	134.26	1376.75	1382.05	5.30
		सार्वजनिक	565960	575663	9703	575663	576463	800
		निजी	18.58	15.71	-2.87	15.71	13.54	-2.17
		ग्रामीण	658548	698557	40009	698557	708052	9495
3	अंशो का प्रतिशत	कुल	99.32	110.48	11.16	110.48	110.48	0.00
		शहरी						
4	स्विचन क्षमता (लाख में)	कुल						
		शहरी						
5	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन वीपीटी)	कुल						
		शहरी						
6	पीसीओ (लाख में)	कुल						
		शहरी						
7	ओएफसी रुट कि.मी.	कुल						
		शहरी						
8	टेक्स लाइन (लाख में)	कुल						
		शहरी						





सारणी - 2

प्रति 100 व्यक्ति टेलीफोन-शहरी/ग्रामीण (टेलीघनत्व) 31 मार्च'11 एवं 31 दिसम्बर'11 की स्थितिनुसार

क.सं.	लाईसेन्स क्षेत्रवार	टेली घनत्व						टेलीफोन					
		समग्र		शहरी		ग्रामीण		समग्र		शहरी		ग्रामीण	
		मार्च'11	दिसम्बर'11	मार्च'11	दिसम्बर'11	मार्च'11	दिसम्बर'11	मार्च'11	दिसम्बर'11	मार्च'11	दिसम्बर'11	मार्च'11	दिसम्बर'11
1	आंध्र प्रदेश	74.35%	180.32%	189.71%	37.38%	63045005	67996738	42387670	44945467	23051271	20657335	23051271	
2	असम	38.98%	124.45%	144.72%	23.93%	11928394	14158164	5701595	6765840	7392324	6226799	7392324	
3	बिहार ¹	42.32%	171.96%	191.95%	21.86%	54737466	61614113	30322638	34241653	27372460	24414828	27372460	
4	गुजरात	81.90%	134.00%	141.57%	46.68%	48904839	52876469	32278047	34648835	18227634	16626792	18227634	
5	हरियाणा	82.59%	144.17%	148.09%	51.33%	21039617	22124635	12367428	13000367	9124268	8672189	9124268	
6	हिमाचल प्रदेश	111.11%	440.12%	467.10%	70.23%	7553408	8121731	3306771	3565508	4556223	4246637	4556223	
7	जम्मू और कश्मीर	50.90%	107.84%	115.40%	30.01%	5970619	6218463	3395181	3688450	2530013	2575438	2530013	
8	कर्नाटक	87.76%	176.59%	184.11%	35.10%	52192245	37361196	20919943	41332770	15176563	13106714	15176563	
9	केरल	100.01%	236.25%	254.97%	56.63%	34661797	37361196	20919943	22665045	14696151	13741854	14696151	
10	मध्य प्रदेश ²	48.88%	120.73%	127.10%	22.92%	47208801	51352468	30947016	33113340	18239128	16261785	18239128	
11	महाराष्ट्र	68.97%	112.48%	123.92%	46.07%	64569437	71267589	36318090	40682669	30584920	28251347	30584920	
12	पूर्वोत्तर ³	56.50%	132.57%	145.51%	32.36%	7453972	8519625	4213729	4698404	3821221	3240243	3821221	
13	उड़ीसा	56.37%	194.98%	212.20%	28.42%	22986472	25960890	13343282	14738260	1122630	9643190	1122630	
14	पंजाब	104.09%	171.06%	181.61%	57.23%	30340329	33163299	20526339	22219336	10943963	9813990	10943963	
15	राजस्थान	65.35%	149.88%	159.77%	38.79%	44387580	48472845	24339883	26293610	22179235	20047697	22179235	
16	तमिलनाडु	97.73%	150.60%	160.17%	48.55%	58706095	63852256	43593451	47259185	16593071	15112644	16593071	
17	उत्तरप्रदेश-(पूर्व)	52.97%	145.15%	158.27%	26.57%	65146971	73138666	37044756	40714207	32424459	28102215	32424459	
18	उत्तरप्रदेश-(पश्चिम) ⁴	52.97%	145.15%	158.27%	26.57%	46622166	52896760	31131217	34900037	17996723	15490949	17996723	
19	पश्चिम बंगाल ⁵	53.43%	153.27%	173.31%	36.88%	40418890	45388209	16489331	18808791	26579418	23929559	26579418	
20	कोलकाता	163.76%	168.45%			24614543	25529952	23697521	24550604	979348	917022	979348	
21	चेन्नई	163.41%	170.18%			14384336	15268853	14271002	15162303	106550	113334	106550	
22	दिल्ली	225.26%	235.63%			41663422	44519918	40567379	42927652	1592266	1096043	1592266	
23	मुम्बई	180.45%	188.95%			37791762	40235517	37791762	40235517	0	0	0	
	अखिल भारत	70.89%	156.94%	167.46%	33.83%	846328166	926547689	564039562	611157850	282288604	282288604	315389839	

नोट: उत्तरप्रदेश (पूर्व) एवम् (पश्चिम) की जनसंख्या के अनुसूचकता के कारण इनकी टेलीघनत्व संयुक्त रूप परिकल्पित की गई है। 1. आरखण्ड सम्मिलित, 2. छत्तीसगढ़ सम्मिलित, 3. पूर्वोत्तर-1 व 11 सम्मिलित, 4. उत्तराखण्ड सम्मिलित, 5. अण्डमान व निकोबार सम्मिलित।
 स्रोत: भारत वे रजिस्ट्री की जनसंख्या अनुमान वर्ष 2001-26, भारत के रजिस्ट्री जनरल का कार्यालय से। सरकारी क्षेत्र (बीएसएनएल व एमटीएनएल) और निजी क्षेत्र (आरपी-वॉयलार्ड, इन्फोस्टार, जीएसएल और सीआरआई-निजी जीएसएल) सम्मिलित आंकड़े हेतु

सारणी — 3

टेलीफोनों की संख्या 31 मार्च'11 एवं 31 दिसम्बर'11 की स्थितिनुसार

क.सं.	लाईसेन्स क्षेत्रवार	वाँयर लाईन (फिक्सड) फोन						वाँयरलेस (जीएसएम+सीडीएमए) फोन					
		कुल		सार्वजनिक प्रचालक		निजी प्रचालक		कुल		सार्वजनिक प्रचालक		निजी प्रचालक	
		मार्च'11	दिसम्बर'11	मार्च'11	दिसम्बर'11	मार्च'11	दिसम्बर'11	मार्च'11	दिसम्बर'11	मार्च'11	दिसम्बर'11	मार्च'11	दिसम्बर'11
1	आंध्रप्रदेश	2368169	2351337	2001056	1966602	367113	384735	60676836	65649401	7308540	8835316	53368296	56810085
2	असम	257683	231683	255584	229088	2099	2595	11670711	13926481	1484007	1598487	10186704	12327994
3	बिहार ¹	1196225	609135	1183267	594446	12958	14689	53541241	61004978	5980257	6022054	47560984	54982924
4	गुजरात	1947196	1870185	1714975	1637087	232221	233098	46957643	51006284	3977469	4083179	42980174	46923105
5	हरियाणा	650110	600662	609130	554818	40980	45844	20389507	21523973	3057475	2928781	17332032	18595192
6	हिमाचल प्रदेश	337476	315533	331623	309242	5853	6291	7215932	7806198	1670414	1719922	5545518	6086276
7	जम्मू और कश्मीर	216333	207293	216149	206966	184	327	5754286	6011170	833382	991438	4920904	5019732
8	कर्नाटक	2742534	2707345	2040456	1989078	702078	718267	49449711	53801988	5705297	6560514	43744414	47241474
9	केरल	3300789	3205878	3182212	3082352	118577	123526	31361008	34155318	5965314	6808388	25395694	27346930
10	मध्य प्रदेश ²	1383627	1197905	1040334	853788	343293	344117	45825174	50154563	5018630	4777484	40806544	45377079
11	महाराष्ट्र	2853191	2667523	2482216	2273011	370975	394512	61716246	68600066	6596309	5903746	55119937	62696320
12	पूर्वोत्तर ³	269395	253291	269235	253057	160	234	7184577	8266334	1439509	1553414	5745068	6712920
13	उड़ीसा	571103	467422	560504	456115	10599	11307	22415369	25493468	3831699	4234329	18583670	21259139
14	पंजाब	1579054	1485166	1231817	1132502	347237	352664	28761275	31678133	4577025	4731202	24184250	26946931
15	राजस्थान	1287201	1197307	1182757	1079720	104444	117587	43100379	47275538	5691079	5697195	37409300	41578343
16	तमिलनाडु	1976096	1882588	1789059	1689924	187037	192664	56729999	61969668	6886289	7863987	49843710	54105681
17	उत्तरप्रदेश-(पूर्व)	1467586	1387623	1369941	1284226	97645	103397	63679385	71751043	10069644	10239584	53609741	61511459
18	उत्तरप्रदेश-(पश्चिम) ⁴	855158	816925	819478	779736	35680	37189	45767008	52079835	4401674	4673023	41365334	47406812
19	पश्चिम बंगाल ⁵	757373	694786	750854	686839	6519	7947	39661517	44699423	3320571	3524516	36340946	41168907
20	कोलकाता	1401154	1176788	1199651	972575	201503	204213	23213389	24353164	2487240	2388975	20726149	21964189
21	चेन्नई	1481722	1472009	994607	972602	487115	499407	12902614	13796844	1532302	1626271	11370312	12170573
22	दिल्ली	2838818	2885115	1546432	1554281	1292386	1330834	38824604	41634803	2643248	2799882	36181356	38834921
23	मुंबई	2991856	3001712	1917537	1899485	1074319	1102227	34799906	37233805	2835896	2897923	31964010	34335882
	अखिल भारत	34729849	32685211	28688874	26457540	6040975	6227671	811598317	893862478	97313270	102459610	714285047	791402868

नोट: 1.आरक्षक सम्मिलित,2.कृत्तीसकड सम्मिलित,3.पूर्वोत्तर-1 व 11 सम्मिलित,4.उत्तरप्रदेश सम्मिलित,5.अण्डमान व निकोबार सम्मिलित। स्रोत: सरकारी क्षेत्र (बीएसएल व एमटीएल) और निजी क्षेत्र (बीएसएल व जीएसएल) और निजी क्षेत्र (बीएसएल व जीएसएल) और सीओएलई-निजी (जीएसएल) एमओ



सारणी - 4

दूरसंचार सुविधाओं की सीधी पहुँच वाले गांवों की संख्या

क.सं.	सर्किल/राज्य	गांवों की संख्या (अक्टूबर 2007 से संशोधित)	निम्न स्थितिनुसार वीपीटी युक्त गांव						निम्न स्थितिनुसार पीसीओ (स्थानीय+एसटीडी+राजमार्ग)	
			सार्वजनिक		निजी*		कुल वीपीटी		मार्च'11	दिसम्बर'11
			मार्च'11	दिसम्बर'11	मार्च'11	दिसम्बर'11	मार्च'11	दिसम्बर'11	मार्च'11	दिसम्बर'11
1	अंडमान और निकोबार	501	343	350	0	0	343	350	517	416
2	आंध्र प्रदेश	26613	23961	24001	845	845	24806	24846	127961	107407
3	असम	25124	24221	24326	0	0	24221	24326	27380	23271
4	बिहार	39032	38926	38932	0	0	38926	38932	64182	62389
5	छत्तीसगढ़	19744	18169	18170	0	0	18169	18170	5759	4243
6	गुजरात	18159	16932	16932	1130	1130	18062	18062	58392	49964
7	हरियाणा	6764	6678	6678	0	0	6678	6678	14634	11166
8	हिमाचल प्रदेश	17495	17387	17406	0	0	17387	17406	8532	7206
9	जम्मू और कश्मीर	6417	6343	6353	0	0	6343	6353	10721	9832
10	झारखंड	29354	28804	28807	0	0	28804	28807	17500	12276
11	कर्नाटक	27481	27448	27449	0	0	27448	27449	188121	166401
12	केरल	1372	1372	1372	0	0	1372	1372	85734	65737
13	मध्य प्रदेश	52117	51986	51986	0	0	51986	51986	49703	38498
14	महाराष्ट्र	41442	39741	39743	878	878	40619	40621	174688	157523
15	पूर्वांचल- I	7347	6271	6505	0	0	6271	6505	7857	7121
16	पूर्वांचल- II	7456	5987	6001	0	0	5987	6001	8643	7589
17	उड़ीसा	47529	44750	44858	0	0	44750	44858	16978	14714
18	पंजाब	12301	12065	12065	0	0	12065	12065	16792	15621
19	राजस्थान	39753	38838	38838	572	572	39410	39410	40671	35525
20	तमिलनाडु	13837	13837	13837	0	0	13837	13837	155319	130281
21	उत्तरांचल	15761	15364	15365	0	0	15364	15365	9285	8599
22	उत्तर प्रदेश- (पूर्व)	76993	74121	74121	0	0	74121	74121	111361	106642
23	उत्तर प्रदेश- (पश्चिम)	20949	23629	23629	0	0	23629	23629	23426	21955
24	पश्चिम बंगाल	37365	36268	36517	0	0	36268	36517	41868	35290
25	कोलकाता	1040	567	567	0	0	567	567	53872	18066
26	चेन्नई	1655	1655	1655	0	0	1655	1655	75121	74455
27	दिल्ली	लागू नहीं	0	0	0	0	0	0	65237	62938
28	मुम्बई	लागू नहीं	0	0	0	0	0	0	110320	99042
	अखिल भारत	593601	575663	576463	3425	3425	579088	579888	1570574	1354167

*आंकड़े युएसओएफ के

सारणी – 5

31 मार्च 2011 की अवस्थितिनुसार दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की संख्या – कुल, अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक (शारीरिक दृष्टि से शक्त और अशक्त) और महिलाएँ

समूह	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (शक्त)	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक (अशक्त)	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	महिला कर्मचारी	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत
क	452	63	13.94%	31	6.86%	0	0.00%	0	0.00%	48	10.62%
ख	763	84	11.01%	23	3.01%	0	0.00%	0	0.00%	138	18.09%
ग	928	165	17.78%	45	4.85%	19	2.05%	0	0.00%	121	13.04%
घ	115	46	40.00%	15	13.04%	3	2.61%	0	0.00%	3	2.61%
जोड़	2258	358	15.85%	114	5.05%	22	0.97%	0	0.00%	310	13.73%

सारणी – 6

31 मार्च 2011 की अवस्थितिनुसार दूरसंचार विभाग के अशक्त कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	संख्या		अंतर
	स्वीकृत का प्रतिशत	कार्यरत	
अल्प दृष्टि	5	4	1
श्रवण दोष	4	0	4
अपंग अथवा मानसिक पक्षाघात युक्त	7	5	2
जोड़	16	9	7






X. ग्राफ एवं चार्ट

	पृष्ठ
आकृति-1 दूरसंचार नेटवर्क का विकास (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र)	141
आकृति-2 टेलीघनत्व (फोन प्रति 100 व्यक्ति)	142
आकृति-3 वायर लाइन टेलीफोन एवं वायर लेस टेलीफोन	143
आकृति-4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्रों में सीधी एक्सचेंज लाइनों (वायर लाइन और वायर लेस) का वितरण	144
आकृति-5 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सुवधा	145
आकृति-6 दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की संख्या का समूह-वार वितरण	146




आकृति - 1
दूरसंचार नेटवर्क का विकास (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र)



वर्ष के अंत में 31 मार्च को

आकृति - 2

टेलीघनत्व (प्रति 100 की जनसंख्या पर टेलीफोनो की संख्या)



वर्ष के अंत में 31 मार्च को




आकृति - 3 वॉयर लाईन एवम् वॉयरलेस फोन






आकृति - 4

सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों और निजी क्षेत्र में कुल फोनों
(वॉयर लाईन और वॉयरलेस) का वितरण
31 मार्च 2011 की स्थिति




31 दिसम्बर 2011 की स्थिति






आकृति - 5

गाँवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनो (वीपीटी) की सुविधा
31 मार्च 2011 की स्थिति




31 दिसम्बर 2011 की स्थिति





आकृति – 6
दूरसंचार विभाग के समूहवार कर्मचारियों की संख्या का वितरण
31 मार्च 2011 की स्थिति





परिवर्णी-शब्द

एसीसी	एकाउंट्स कूलींग कॉर्ड
एडीसी	अभिगम्य घाटा परिवर्तन (एक्सेस डेफिसिट चेंज)
एडीएसएल	विषम डिजिटल उपभोक्ता लाइन (एसिमीट्रीकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन)
एपीटी	एशिया प्रशान्त दूरसंचार (एशिया पैसिफिक टेलिकम्युनिकेशंस)
एटीएम	अतुल्यकालिक अन्तरण मोड (एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड)
बीआरबीआरएआईटीटी	भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान
सीएसीटी	दूरसंचार संघटक अनुमोदन केंद्र
सीएडी	कंप्यूटर सहायता प्राप्त (एडिड) डिजाइन
सी-डॉट	टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र
सीआईडीए	कनाडाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण
सीएलआईपी	कालर्स लाइन आइडेन्टिफिकेशन प्रोटोकॉल
सीएमपी	सेल्यूलर मोबाइल फोन्स
सीओएमएसी	केन्द्रीयकृत प्रचालन और अनुरक्षण केन्द्र
सीएसएमएस	उपभोक्त सेवा प्रबंधन प्रणाली
डीसीसी	विकास समन्वय समिति
डीसीएमई	डिजिटल सर्किट गुणन उपस्कर
डीईसीटी	डिजिटल वर्द्धित तार-रहित टेलीफोन (डिजिटल एनहान्सड कॉर्डलेस टेलीफोन)
डीआईएस	सीधी इन्टरनेट अभिगम्य प्रणाली
डीएलसी	डिजिटल लूप संवाहक (कैरियर)
डीडब्ल्यूडीएम	डेन्स वेवलेंगथ डिविजन मैल्टिप्लेक्सिंग
ईएमटीएस	तुरंत मुद्रा अंतरण सेवा
एफएसएस	फाइबर अभिगम्य प्रणाली
एफआरएस	दोष सुधार सेवा
जीएमपीसीएस	उपग्रह द्वारा सार्वभौमिक मोबाइल निजी संचार
जीपीएसएस	गेटवे पैकेट स्विचिंग प्रणाली

जीआर	सामान्य (जिनेरिक) आवश्यकताएं
एचईसीएस	उच्च वर्द्धित क्षमता स्विच (हाई एर्लेग कैपिसिटी स्विच)
एचएसडीएल	हाई बिट रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
आईएफआरबी	अन्तर्राष्ट्रीय आवृत्ति विनियामक बोर्ड
आईएलडी	अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी
आईएमआरबी	भारतीय विपणन अनुसंधान ब्यूरो
आईएल	इन्टेलीजेंट नेटवर्क
इनसैट	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह
आईआर	अंतरापृष्ठ आवश्यकताएं (इंटरफेस रिक्वायरमेंट)
आईएसडीएन	एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क (इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क)
आईएसपी	इंटरनेट सेवा प्रदाता
आईटीयू	अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ
आईयूसी	अंतःसंपर्क प्रयोग प्रभार (इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज)
आईवीआरएस	अंतर्क्रिया ध्वनि प्रतिक्रिया प्रणाली (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम)
एलएमडीएस	स्थानीय बहु-बिंदु वितरण प्रणाली
एलओआई	आशय पत्र
एमसीआईबीएस	सूक्ष्म संसाधित्र नियंत्रित इंटेलिजेंट भवन प्रणाली (माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल्ड इंटेलिजेंट बिलिडिंग सिस्टम्स)
एमसीपीसी	बहु चैनल प्रति संवाहक (मल्टि चैनल पर कैरियर)
एमएलएलएन	मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क
एमएमएस	मल्टी मीडिया मेसेजिंग सर्विस
एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
एमएसएस	चल उपग्रह प्रणाली
एमटीएल	मिलेनियम टेलिकॉम लिमिटेड
एमयूएक्स	मल्टीप्लेक्सर
एनआईबी	राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन
एनएलडीएस	राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा
एनटीपी	नई दूरसंचार नीति



एनवाईएसई	न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज
ओएफसी	आप्टिकल फाइबर केबल
ओएलटीई	ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेटिंग उपस्कर
क्यूटीएस	टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता
क्यूओएस	सेवा की गुणवत्ता
पीसीबी	मुद्रित सर्किट बोर्ड
पीसीओ	सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र
पीसीएस	वैयक्तिक संचार प्रणाली
पीएमआरटीएस	सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा
पीओआई	प्वाइंट ऑफ इन्टरकनेक्शन
पीओटी	साधारण पुराना टेलीफोन
पीआरएस	प्रीमियम दर सेवा
पीएसटीएन	सार्वजनिक स्विचन दूरसंचार नेटवर्क
आरएबीएमएन	दूरस्थ क्षेत्र व्यवसाय संदेश नेटवर्क
आरएएन	रेडियो अभिगम नेटवर्क
आरटीटीसी	क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र
एसएसएस	लेखांकन पृथक्करण प्रणाली
एसबीएन	सिग्नल बेस मॉड्यूल
एसडीसीए	अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र
एसडीएच	सिन्क्रोनस डिजिटल हायरकी
एसआईएम	उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल
एसएसए	गौण स्विचन क्षेत्र
एसटीएम	सिन्क्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल
टीसीपी	ट्रान्समिशन कनेक्शन प्रोटोकॉल
टीडीएमए	टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस
टीडीएसएटी	दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण
टीआरएआई	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण



टीएसपी	जनजातीय उप योजना
टीटीएल	दूरसंचार प्रशिक्षण प्रयोगशाला
टीटीओ	दूरसंचार प्रशुल्क आदेश
यूएचएफ	अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी
यूएमएस	एकीकृत संदेश सेवा
यूएसएफ	वैश्विक सेवा निधि
यूएसओ	वैश्विक सेवा दायित्व
यूटीएल	यूनाईटेड टेलीकॉम लिमिटेड
वीसीसी	वर्चुअल कॉलिंग कार्ड
वीएमएस	वायस मेल सर्विस
वीपीएन	वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
वीपीटी	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
वीआरएलए	वेल्यू रेगुलेटेड लीड एसिड
वीएसएटी	वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल
डब्ल्यूएलएल	वायरलैस इन लोकल लूप
डब्ल्यूपीसी	बेतार आयोजना एवं समन्वय
डब्ल्यूपीएचएस	वेब पेज होस्टिंग सर्विस
डब्ल्यूएसएचएस	बेव सर्वर होस्टिंग सर्विस




(संगठनात्मक चार्ट) दूरसंचार विभाग

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

सचिव, दूरसंचार विभाग एवं
अध्यक्ष दूरसंचार आयोग



संक्षिप्तियां:

टीपीएफ: टैरिफ पब्लिक इंटरप्राइजेज फाइनेंस

एएस: पहुँच सेवाएँ

डब्ल्यूपीएफ: बेतार आयोजना वित्त

ए: प्रशासन

बीआईजी: सतर्कता

आईपी: निवेश प्रोत्साहन

टीईसी: दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र

सीएस: करियर सेवाएँ

डीएस: डाटा सेवाएँ

यूएसएफ: सार्वभौमिक सेवा निधि

एलएफ: लाइसेंसिंग वित्त

पीजी: जन शिकायत

आईआर: अंतरराष्ट्रीय संबंध

एसयू: सेवा इकाई

बीबी: ब्रांडबैण्ड

एएटी: नवीन तकनीकी

एफईबी: वित्त, स्थापना और बजट

टी: दूरसंचार

सी एंड ए : समन्वय एवं प्रशासन

डीडीजी: उप महानिदेशक





दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली